नवम माला, खंड 10, अंक 22

सोमवार, 1 अक्तूबर, 1990
9 आश्विन, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र—दूसरा भाग

(नौवीं लोकसभा)

No. 62
Date 10/6/91

(खंड 10 में अंक 22 से 24 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

नवम माला, खंड 10, तीसरा सत्र—दूसरा भाग, 1990/1912 (शक)

अंक 22, सोमवार, 1 अक्तूबर, 1990/9 आश्विन, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1-3
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	15-17
मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय के विरोध में देश के विभिन्न भागों में छात्रों द्वारा किए गए आंदोलन से निपटने के लिए पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार तथा इस निर्णय के विरोध में छात्रों द्वारा आत्म-दाह किया जाना	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	17
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	17-18
संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक	18
(अनुच्छेद 356 में संशोधन) पुन:स्थापित	
नियम 377 के अधीन मामले	19
(एक) आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के काकीनाडा कस्बे को मुख्य रेल लाइन से जोड़े जाने की मांग	
श्री एम. एम. पल्लम राजू	19
(दो) शाहजहांपुर और लखनऊ के बीच गोमती नदी पर पुलों के निर्माण के लिए उत्तरप्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग	
श्री राम लाल राही	20-21

(तीन) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के पूर्ति विभाग को बंद करने और उसके विकेन्द्रीकरण के आदेश वापस लिए जाने की मांग

श्री बसुदेव आचार्य 21

(चार) जहानाबाद, बिहार में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 22

(पांच) जयपुर, राजस्थान में रसोई गैस के अधिक कनेक्शन देने और गैस सिलेंडरों की पूर्ति विनियमित किए जाने की मांग

श्री गिरधारी लाल भार्गव 22

(छः) अहमदाबाद की 16 कपड़ा मिलों के बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को मुआवजा दिए जाने की मांग

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट 22-23

संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक—अस्वीकृत 23-71

(अनुच्छेद 356 में संशोधन)

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद 23-24 और 67-71

श्री कमल चौधरी 25-29

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री 29-33

प्रो. प्रेम कुमार धूमाल 33-36

श्री सैफुद्दीन चौधरी 36-38

श्री इन्द्रजीत गुप्त 38-42

डा. तम्बि दुरै 42-44

श्रीमती बिमल कौर खालसा 44-47

श्री कपिल देव शास्त्री 47-49

श्रीमती सुखबंस कौर 49-52

स. अतिन्दर पाल सिंघ 53-55

श्री इन्द्रजीत 55-56

श्री कृपाल सिंह 57-58

श्री नानी भट्टाचार्य 58-59

श्री हरमजन लाखा 59-60

श्री राजदेव सिंह 60-62

श्री ए. के. राय 63-64

प्रो. सैफुद्दीन सोज 62 और 65-67

उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा 91

हजरत मोहम्मद साहिब के जन्म-दिवस पर 3 अक्तूबर, 1990 को सभा की बैठक रद्द किया जाना ।

नौवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकबर, श्री एम. जे. (किशनगंज)

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अग्रवाल, श्री जे. पी. (चांदनी चौक)

अजित सिंह, श्री (बागपत)

अडईकलराज, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)

अतिन्दर पाल सिंह, स. (पटियाला)

अतीतन, श्री धनुषकोडी आर. (तिरुचेन्दूर)

अन्तुले, श्री ए. आर. (कोलाबा)

अन्बारासु, इरा, श्री (मद्रास प्रदेश)

अमात, श्री डा. (सुन्दरगढ़)

अम्बरी, श्री लेइता (अरुणाचल पूर्व)

अरुणाचलम, श्री एम. (टेंकासी)

अर्गल, श्री छविराम (मुरैना)

अली, श्रीमती सुभाषिनी (कानपुर)

अवैद्य नाथ, महन्त (गोरखपुर)

अशोकराज, श्री ए. (पैरम्बलूर)

अहमद, श्री अनवार (उन्नाव)

अहमद, श्री कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)

अहेर, डा. दौलतराव सोनूजी (नासिक)

आ

आचार्य, श्री वसुदेव (बांकुरा)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (नई दिल्ली)

इ

इन्द्र जीत, श्री (दार्जिलिंग)

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के. पी. (वडागरा)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारडागा)

ए

एन्टनी, श्री पी. ए. (त्रिचुर)

ओ

ओडेयर, श्री चनैया (दावनगिरि)

ओवैसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कटारिया, श्री गुलाब चन्द (उदयपुर)

कमल नाथ, श्री (छिन्दवाडा)

कमान्डर, श्री मोहम्मद हुसन (लद्दाख)

करेदवुला, कुमारी कमलाजी (भद्राचलम)

कांबले श्री अरविन्द तुलसीराम (उस्मानाबाद)

कापसे, प्रो. राम गणेश (ठाणे)

काबडे, डा. वेंकटेश (नान्देड़)

कामसन, प्रो. मिंजिनलंग (बाह्य मणिपुर)

कालका दास, श्री (करोलबाग)

कालवी, श्री कल्याण सिंह (बाड़मेर)

कालीमुथु, डा. के. (शिवकाशी)

काले, श्री सुखदेव नन्दाजी (बुलढाना)

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी (नरसारावपेट)

कुन्हू, श्री समरेन्द्र (बालासोर)

कुप्पुस्वामी, श्री सी. के. (कोयम्बटूर)

कुमारमंगलम, श्री पी. आर. (सेलम)

कुरियन, प्रो. पी. जे. (मवेलीकारा)

कुशवाहा, श्री जगदीश सिंह (गाजीपुर)

कृपाल सिंह, श्री (अमृतसर)

कृष्ण, श्री जी. (इलुरु)

कृष्ण, कुमार, श्री एस. (क्विलोन)
केशरी लाल, श्री (घाटमपुर)
कोंतल, श्री राम कृष्ण (अनकापल्ली)
कोटाड़िया, श्री मनुभाई (अमरेली)
कोडिकुन्नील, श्री सुरेश (अडूर)
कौल, श्रीमती शीला (रायबरेली)
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम (दुर्ग)

ख

खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल (राजगढ़)
खटीक, श्री शंकर लाल (सागर)
खनोरिया, श्री डी. डी. (कांगड़ा)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री सुखेन्दु (विष्णुपुर)
खां, हाजी जी. एम. (मुरादाबाद)
खान, श्री आरिफ मोहम्मद (बहराइच)
खालसा, श्रीमती बिमल कौर (रोपड़)
खुराना, श्री मदन लाल (दक्षिण दिल्ली)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)
गंगाधर, श्री एस. (हिन्दूपुर)
गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)
गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)
गांधी, श्री राजीव (अमेठी)
गाडगिल, श्री वी. एन. (पुणे)
गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई (माण्डवी)
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव (कोल्हापुर)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्य (नन्दबार)
गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)
गिरियप्पा, श्री सी. पी. मुदाल (चित्रदुर्ग)
गुजराल, श्री इन्द्र कुमार (जालन्धर)
गुडादिन्नी, श्री बी. के. (बीजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)
गुप्त, श्री जनक राज (जम्मू)
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह (राजनंदगांव)
गोखले, श्री विद्याधर (मुम्बई उत्तर मध्य)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गौंडर, श्री ए. एस. (पलानी)
गौड़ा, श्री डी. एम. पुट्टे (चिकमगलूर)

च

चक्रवर्ती, श्री सुशान्त (हावड़ा)
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)
चटर्जी श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चन्द्र शेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम. (श्रीपेरुम्बुदूर)
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. वी. (शिमोगा)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चांद राम, श्री (हरदोई)
चाल्सं, श्री ए. (त्रिवेन्द्रम)
चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई (पाटण)
चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डा. (तिरुपति)
चेन्नीथाला, श्री रमेश (कोट्टायम)
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या (विजयवाड़ा)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खां (माल्दा)
चौधरी, श्री कमल (होशियारपुर)
चौधरी, श्री दसई (रोसेड़ा)
चौधरी, श्री राम प्रसाद (खलीलाबाद)
चौधरी, श्री रुद्रसेन (केसरगंज)
चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौहान, श्री प्रभातसिंह (कैरा)

ज

जग पाल सिंह, श्री (हरिद्वार)
जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
जनार्दनन, श्री कादम्बुर एम. आर. (तिरुनेलवेली)

जमुना, श्रीमती जे. (राजामुन्द्री)
जय प्रकाश, श्री (हिसार)
जयमोहन, श्री ए. (तिरुपत्तूर)
जसवन्त सिंह, श्री (जोधपुर)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाटव, श्री धान सिंह (बयाना)
जाफर शरीफ, श्री सी. के. (बंगलौर उत्तर)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जाबाली, डा. बासवराज (गुलबर्गा)
जीवरत्नम, श्री आर. (आर्कोनम)
जू देव, श्री दलीप सिंह (आजमोर)
जेना, श्री श्रीकान्त (कटक)
जोरावर राम, श्री (पलामाउ)
जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

ट

टंडेल, श्री डी. जे. (दमण और दीव)

ठ

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी (कपड़वंज)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)
डेनिस, श्री एन. (नागरकोइल)
डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई (दादर और नगर हवेली)
डोम, डा. राम चन्द्र (बीरभूम)
डोरे, श्री राजा अम्बान्ना, नायक (रायचूर)

ढ

ढाकणे, श्री बबनराव (बीड)

त

तम्बि दुरै, डा. श्री (करूर)
तस्लीमुद्दीन, (पूर्णिया)
तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास (खंडवा)
तारीफ सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
तिवारी, श्री जनार्दन (सीवन)
तिवारी, श्री बृज भूषण (डुमरियागंज)
तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)
तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)
त्यागी, श्री के. सी. (हापुड़)

थ

थापा, श्री नन्दू (सिक्किम)
थामस, प्रो. के. वी. (एरणाकुलम)
थामस, श्री पी. सी. (मुक्तुपुजा)
थुंगन, श्री पी. के. (अरुणाचल पश्चिम)
थोरट, श्री एस. बी. (पंढरपुर)

द

दण्डवते, प्रो. मधु (राजापुर)
दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)
दानवे, श्री पुंडलीक हरि (जालना)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री भक्त चरण (कालाहाण्डी)
दासगुप्त, डा. बिप्लव (कलकत्ता दक्षिण)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री नरसिंहराव (भिण्ड)
देब बर्मन, श्री के. बी. के. (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा पश्चिम)
देवरा, श्री मुरली (मुम्बई दक्षिण)
देवराजन, श्री बी. (रसिपुरम)
देवी लाल, श्री (सीकर)
देशमुख, श्री अनन्तराव (वाशिम)
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव (परभनी)
देशमुख, श्री चन्दूभाई (मड़ोच)
देशमुख, श्री सुदाम दत्तात्रेय (अमरावती)

ध

धनखड़, चौ. जगदीप (झुन्झुनू)
धवन, श्री हरमोहन (चण्डीगढ़)
धूमाल, प्रो. प्रेम कुमार (हमीरपुर)
ध्यान सिंह, श्री (फिरोजपुर)

न

नन्दी, श्री येल्लैया (सिट्टीपेट)
नाईक श्री जो. (देवराम)
नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)
नाथू सिंह, श्री (दौसा)
नायक, श्री नकुल (फूलबनी)
नायकर, श्री डो. के. (धारवाड़ उत्तर)
नारायणन, श्री के. आर. (ओट्टापलम)
नारायणन, श्री पी. जी. (पोलिचीट्टिपालयम)
निकाम, गोविन्दराव (रत्नगिरि)
नीतिश कुमार, श्री (बाढ़)
नेगी, श्री सी. एम. (गढ़वाल)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
नेहरू, श्री अरुण कुमार (बिल्हौर)

प

पंडियन, श्री डी. (मद्रास उत्तर)
पंवार, श्री हरपाल सिंह (कैराना)
पचेरवाल, श्री गोपाल (टोंक)
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटेल, डा. ए. के. (मेहसाना)
पटेल, श्री अर्जुन भाई (बलसाड़)
पटेल श्री चन्द्रेश (जामनगर)
पटेल, श्री नटुभाई एम. (आनन्द)
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (सिवनी)
पटेल, श्री मगनभाई मणिभाई (साबरकंठा)
पटेल, श्री राम पूजन (फूलपुर)
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास (गोधरा)
पटेल, श्री सोमाभाई (सुरेन्द्रनगर)
परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)
परांजपे, श्री बाबूराव (जबलपुर)
पत्तनीसामी, श्री के. सी. (तिरुचेन्गोडे)
पांजा, श्री अजीत (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
पांडे, श्री राजमंगल (देवरिया)
पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव (इरन्दल)
पाटिल, श्री एस. टी. (बागलकोट)
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वसंतराव (सांगली)
पाटिल, श्री बाबासाहिब विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री बासवराज (कोप्पल)
पाटिल, श्री यशवंतराव (अहमदनगर)
पाटिल, श्री शंकरराव (बारामती)
पाटिल, श्री शिवराज वी. (लातूर)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पाणि, श्री रवि नारायण (देवगढ़)
पाण्डेय, प्रो. यदुनाथ (हजारीबाग)
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पाल, श्री एम. एस. (नैनीताल)
पाल, डा. देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)
पासवान, श्री छेदी (सासाराम)
पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम (अलेप्पी)

पुरोहित, श्री बनवारीलाल (नागपुर)
पेरुमल, डा. पी. वल्लल (चिदम्बरम)
पंचालैया, श्री पी. (नेल्लोर)
पोटदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रधानी, श्री के. (नौरंगपुर)
प्रभु, श्री आर. (नीलगिरी)
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन (मथुरापुर)
प्रसाद, श्री आर. एस. (नालन्दा)
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराजनगर)
प्रसाद, श्री हरि केवल (सलेमपुर)
प्रेम प्रदीप, श्री (नवादा)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर (उदीपी)
फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फर्नान्डीज, श्री जोस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)
फुंडकर, श्री भाऊसाहेब पुंडलीक (अकोला)
फैलोरी, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बंगाली सिंह, डा. (हाथरस)
बंसी लाल, श्री (भिवानी)
बनातवाला, श्री जी. एम. (पोन्नानी)
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह (मेवाड़)
बर्मन, श्री पलास (बालूरघाट)
बलरामन, श्री एल. (वन्डावासी)
बशीर, श्री टी. (चिरायिकिल)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बसु, श्री चित (बारसाट)
बागा रेड्डी, श्री एम. (मेडक)
बाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बानखेले, श्री किशनराव बाबूराव (खेड)
बाल गौड, श्री टी. (निजामाबाद)
बाला, डा. असीम (मेदनीपुर)
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला (मद्रास दक्षिण)
बासवराज, श्री जी. एस. (तुमकुर)
बीरेन्द्र सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)
बुलारा श्रीमती राजिन्द्र कौर (लुधियाना)
बेंजामिन, श्री एस. (बपतला)
बेग, श्री आरिफ (बेतूल)
बेग, श्री युसुफ (मिर्जापुर)
बेगा राम, श्री (गंगानगर)
बेहेरा, श्री भजमन (ढेंकानाल)
बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)
बैस, श्री रमेश (रायपुर)
बोपचे, डा. खुशाल परसराम (भन्डारा)
ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको (बड़ौदा)
ब्रह्म दत्त, श्री (टिहरी गढ़वाल)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
भगत, श्री एच. के. एल. (पूर्व दिल्ली)
भजन लाल, श्री (फरीदाबाद)
भट्टाचार्य, श्री नानी (बरहामपुर)
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)
भागेय गोवर्धन, श्री (मयूरभंज)
भाटिया, श्री राम सेवक (जालौन)

भारतीय, श्री सन्तोष (फर्रुखाबाद)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोये, श्री रेशमा मोतीराम (धुले)
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव (सतारा)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)
मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
कक्कासर, श्री शोपत सिंह (बीकानेर)
मणवर, श्री बलवन्त (पोरबन्दर)
मनेम्मा, श्रीमती टी. (सिकन्दराबाद)
मन्टोष, श्री पान आर. (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)
मरबनिआंग, श्री पीटन जी. (शिलांग)
मरांडी, श्री साइमन (राजमहल)
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
मलिक, श्री मंगाराज (भद्रक)
मलिक, श्री सत्यपाल (अलीगढ़)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
महरोत्रा, प्रो. विजय कुमार (दिल्ली सदर)
मसूदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)
महतो, श्री शैलेन्द्र (जमशेदपुर)
महाजन, श्री वाई. एस. (जलगांव)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)
महाडीक, श्री वामनराव (मुम्बई दक्षिण मध्य)
महाता, श्री चित (पुरुलिया)
महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महाले, श्री हरि शंकर (मालेगांव)
महेश्वर सिंह, श्री (मंडी)
माडेगौडा, श्री जी. (माण्डया),
माने श्री आर. एस. (इचलकरांजी)
मायकर, श्री गोपालराव (पणजी)
मायावती कुमारी (बिजनौर)
मारक, श्री सनफोर्ड (तुरा)
मिर्धा, श्री नाथू राम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री बालगोपाल (बोलनगीर)
मिश्र, श्री राज मंगल (गोपालगंज)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मीणा, डा. किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर)
मीणा, श्री नन्दलाल (सलुम्बर)
मुंजारे, श्री कंकर (बालाघाट)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृष्णनगर)
मुजाहिद, श्री बी. एम. (धारवाड़ दक्षिण)
मुण्डा, श्री कडिया (खूंटी)
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)
मुथिया, श्री आर. (पेरियाकुलम)
मुन्ना खां, श्री (बलरामपुर)
मुरलीधरण, श्री के. (कालीकट)
मूर्ति, श्री एम. वी, चन्द्र शेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण (अमालापुरम)
मेघवाल, श्री कैलाश (जालोर)
मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़)

मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र (मुम्बई उत्तर पूर्व)
मैथ्यू, श्री पलाई के. एम. (इडुक्की)
मोहम्मद, श्री इ. एस. एम. पाकीर (मयीला-दुतुराई)
मोहम्मद शकी, श्री (श्रीनगर)

य

यावदानी, डा. गुलाम (रायगंज)
यादव, डा. एस. पी. (सम्भल)
यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह (चन्दौली)
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)
यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)
यादव, श्री जनार्दन (गोड्डा)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री बालेश्वर (पदरौना)
यादव, श्री मित्रसेन (फैजाबाद)
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि (मधेपुरा)
यादव, श्री राम कृष्ण (आजमगढ़)
यादव श्री राम शरण (खगरिया)
यादव, श्री रामजी लाल (अलवर)
यादव, श्री शरद (बदायूं)
यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)
यादव, श्री सूर्य नारायण (सहरसा)
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (सीतामढ़ी)
यादवेन्द्र दत्त, श्री (जौनपुर)
युवराज, श्री (कटिहार)

र

रंगा, प्रो. एन. जी. (गुंटूर)
रशीद मसूद, श्री (सहारनपुर)
राउतराय, श्री नीलमणि (पुरी)
राकेश, श्री आर. एन. (चैल)
राघवजी, श्री (विदिशा)
राजदेव सिंह, श्री (संगरूर)
राजवीर सिंह, श्री (आंवला)
राजू, श्रीमती उमा गजपति (विशाखापट्टनम)
राजू, श्री एम. एम. पल्लम (काकीनाडा)
राजू, श्री एस. विजय राज (पार्वतीपुरम)
राजू, श्री भू. विजयकुमार (नरसापुर)
राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
राजेश्वरम, डा. (रामनाथपुरम)
राजेश्वरी, श्रीमती बासव (बेल्लारी)
राथवा, श्री एन. जे. (छोटा उदयपुर)
राठौड़, श्री उत्तम (हिंगोली)
राठौर, डा. भगवान दास (खुर्जा)
राणा, श्री काशीराम छबीलदास (सूरत)
राम अवध, श्री (अकबरपुर)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, चौ. (अम्बाला)
राम बाबू, श्री ए. जी. एस. (मदुरै)
राम सजीवन, श्री (बांदा)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
रामकृष्ण, श्री वाई. (कोलार)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानोर)
रामदास, डा. आर. (टिंडिवनम)

राममूर्ति, श्री के. (कृष्णगिरि)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (आरा)
राय, श्री ए. के. (धनबाद)
राय, श्री एम. रमन्ना (कासरगोड)
राय, श्री कल्प नाथ (घोसी)
राय, श्री रवि (केन्द्रपारा)
राय, श्री लालबाबू (छपरा)
राय, डा. सुधीर (बर्दवान)
राय, श्री हरधन (आसनसोल)
रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)
रायप्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)
राव, श्री आर. गुंडू (बंगलौर दक्षिण)
राव, श्री के. एस. (मछलीपटनम)
राव, श्री के. राम मोहन (बोब्बिली)
राव, श्री जे. चोका (करीमनगर)
राव, श्री जे. वेंगल (अम्मम)
राव, श्री पी. वी. नरसिंह (रामटेक)
राव, श्री वी. कृष्ण (चित्तूर)
राव, श्री श्रीनिवास (नालगोंडा)
रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)
रावत, श्री हरीश (अल्मोड़ा)
राही, श्री राम लाल (मिसरिख)
रेड्डी, श्री आर. सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्री ए. वेंकट (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री एम. जी. (चित्तूर)
रेड्डी, श्री कोठला विजय भास्कर (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी. नरसा (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री बी. एन. (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री बोजा वेंकट (नन्दयाल)
रेड्डी, श्री राजमोहन (ओंगोले)
रेड्डी, श्री वाई. एस. राजशेखर (कुडप्पा)

ल

लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री (मुकुन्दपुरम)
लाखा, श्री हरभजन (फिल्लौर)
लोढा, श्री गुमान मल (पाली)
लोधी, श्री गंगा चरण (हमीरपुर)

व

वघेला, श्री शंकर सिंह (गांधीनगर)
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ (चतरा)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (खीरी)
वर्मा, श्री एस. सी. (भोपाल)
वर्मा, श्री वंशी प्रसाद (बेतिया)
वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्री बी. राजरवि (पोल्लाची)
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)
वर्मा, श्री शिवशरण (मछली शहर)
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज (मैसूर)
विजयराघवन, श्री ए. (पालघाट)
विश्वनाथम, डा. (श्रीकाकुलम)
वेंकटस्वामी, श्री जी. (पेद्दापल्ली)
वेंकटेशन, श्री पी. आर. एस. (कुड्डालोर)
वेकारिया, श्री एस. एन. (राजकोट)

श

शंकरानन्द, श्री बी. (चिक्कोडी)

शकीलुर्रहमान, डा. (दरभंगा)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री धर्म पाल (उधमपुर)
शाक्य, डा. महादीपक सिंह (एटा)
शाक्य, श्री राम सिंह (इटावा)
शास्त्री, श्री अनिल (वाराणसी)
शास्त्री, श्री कपिल देव (सोनीपत)
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद (रीवां)
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई (बनास-कांठा)
शाह, श्री बाबूभाई मेघ जी (कच्छ)
शिंगडा, श्री डी. बी. (दहानू)
शिवनकर, प्रो. महादेव (चिमूर)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)
शेखड़ा, श्री गोविन्दभाई कानजीभाई (जूनागढ़)
शेखर, श्री एम. जी. (धर्मपुरी)
श्रीकान्तय्या, श्री एच. सी. (हसन)
श्रीनिवासन, श्री सी. (डिन्डिगुल)
श्रीवास्तव, डा. शैलेन्द्रनाथ (पटना)

ष

षण्मुख, श्री पी. (पांडिचेरी)

स

सईद, श्री पी. एम. (लक्षद्वीप)
सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद (मुजफ्फरनगर)
समद, श्री अब्दुल (वेल्लोर)
सरताज सिंह, श्री (होशंगाबाद)
सरवर हुसैन, श्री (बुलन्दशहर)
सरोज, श्री सरजू प्रसाद (मोहनलालगंज)
सहाय, श्री सुबोध कान्त (रांची)
साठे, श्री बसंत (वर्धा)
सान्दुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या (शोलापुर)
सान्याल, श्री भाणिक (जलपैगुड़ी)
साय, श्री ए. प्रताप (राजमपेट)
साय, श्री ए. लरंग (सरगुजा)
साय, श्री नन्द कुमार (रायगढ़)
सारण, श्री दीनत राम (चुरू)
साबे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)
सिंगम, श्री बासवमुन्नय्या (तेनाली)
सिंगरावडीवेल, श्री एस. (तंजावूर)
सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे (गुना)
सिंह, श्री अजय (आगरा)
सिंह, श्री आनन्द (गोंडा)
सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)
सिंह, श्रीमती उषा (वैशाली)
सिंह, प्रो. एन. तोम्बी (आंतरिक मणिपुर)
सिंह, श्री ललित विजय (बेगूसराय)
सिंह, श्री जगन्नाथ (सीधी)
सिंह, श्री तेज नारायण (बक्सर)
सिंह, श्री धनराज (मुंगेर)
सिंह, श्री धर्मगज (शाहाबाद)
सिंह, श्री के. मानवेन्द्र (मथुरा)
सिंह, श्री प्रताप (बांका)
सिंह, श्री मानधाता (लखनऊ)
सिंह, श्री राधा मोहन (मोतिहारी)
सिंह, श्री राम नरेश (औरंगाबाद)

सिंह, श्री राम प्रसाद (विक्रमगंज)
सिंह, राम बहादुर (महाराजगंज)
सिंह, श्री रामदास (गिरिडीह)
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)
सिंह, श्री लोकेन्द्र (दमोह)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फतेहपुर)
सिंह, श्री सुखेन्द्र (सतना)
सिंह, श्री सूर्य नारायण (बलिया)
सिंह, श्री हर गोविन्द (अमरोहा)
सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)
सिंह देव, श्री ए. एन. (आस्का)
सिदनाल, श्री एस. बी. (बेलगाम)
सिलवेरा, डा. सी. (मिजोरम)
सुंदरराज, श्री एन. (पुडुकोट्टाई)
सुखवंस कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुच्चा सिंह, बाबा (भटिंडा)
सुशील दल, श्री (मुम्बई उत्तर पश्चिम)
सुमन, श्री रामजी लाल (फिरोजाबाद)
सुम्बरुई, श्री बागुन (सिंह भूम)
सुर, श्री मनोरंजन (बसीरहाट)
सुल्तानपुरी, श्री के. डी. (शिमला)
सूबेदार, श्री (राबर्ट्सगंज)
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव (बीदर)
सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान (मजेरी)
सेमा, श्री शिकिहो (नागालैंड)
सेलवम, श्री कांसी पन्नीर (चेंगलपट्टु)
सेल्वाराजु, श्री एम. (नागापट्टिनम)
सैनी, श्री गुरदयाल सिंह (कुरुक्षेत्र)
सोज, प्रो. सैफुद्दीन (बारामूला)
सोढ़ी, श्री मानकूराम (बस्तर)
सोनकर, श्री कल्पनाथ (बस्ती)
सोरेन, श्री शिबू (दुमका)
सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)

ह

हंसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)
हन्नान मोल्लाह, श्री (उलूबेरिया)
हरीश पाल, श्री (मेरठ)
हर्षवर्धन, श्री (महाराजगंज)
हान्डू, श्री प्यारे लाल (अनन्तनाग)
हीरा भाई, श्री (बांसवाड़ा)
हेत राम, श्री (सिरसा)
होटा, श्री भवानी शंकर (सम्बलपुर)

अध्यक्ष

श्री रवि राय

उपाध्यक्ष

श्री शिवराज वी. पाटिल

सभापति तालिका

डा. तम्बि दुरै

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन

श्री जसवन्त सिंह

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी

श्रीमती गीता मुखर्जी

महासचिव

श्री के. सी. रस्तोगी

भारत सरकार

मंत्री मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा रक्षा, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी महासागर विकास, अंतरिक्ष मंत्रालयों/ विभागों के प्रभारी तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी, जो मंत्रिमंडल स्तर के किसी अन्य मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं।	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
वित्त मंत्री	श्री मधु दण्डवते
गृह मंत्री	श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद
उद्योग मंत्री	श्री अजित सिंह
वाणिज्य और पर्यटन मंत्री	श्री अरुण कुमार नेहरू
विदेश मंत्री	श्री इन्द्र कुमार गुजराल
ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री	श्री आरिफ मोहम्मद खान
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी
जल-भूतल परिवहन मंत्री	श्री के. पी. उन्नीकृष्णन
इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मंत्री	श्री दिनेश गोस्वामी
रेल मंत्री	श्री जार्ज फर्नान्डीज
शहरी विकास मंत्री	श्री मुरासोली मारन
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री नाथू राम मिर्धा
पर्यावरण और वन मंत्री	श्री नीलमणि राउतराय
सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री पी. उपेन्द्र
श्रम और कल्याण मंत्री	श्री राम विलास पासवान
वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री	श्री शरद यादव

राज्य मंत्री

(स्वतन्त्र प्रभार)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री रशीद मसूद
वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अरंगिल श्रीधरन
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री भागेय गोवर्धन
पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री	श्री भजमन बेहेरा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री	श्री चिमन भाई मेहता
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री हरि किशोर सिंह
विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री	प्रो. एम. जी. के. मेनन
कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री	श्री नीतीश कुमार
रक्षा मंत्रालय मे राज्य मंत्री	डा. राजा रमन्ना
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री राम पूजन पटेल
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सत्यपाल मलिक
उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री	श्री श्रीकांत जेना
कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा

उप मंत्री

रेल मंत्रालय में उप मंत्री	श्री अजय सिंह
वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री	श्री अनिल शास्त्री

लोक सभा

सोमवार, 1 अक्तूबर, 1990/9 आश्विन, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आज हम तीन सप्ताह के अन्तराल के बाद मिल रहे हैं मुझे सदन को सभा के दो वर्तमान सदस्यों सर्वश्री शशिभाई जामोद और चौधरी मुल्तान सिंह तथा अपने दो भूतपूर्व साथियों सर्वश्री राजबहादुर और प्रफुल्ल चन्द्र सेन के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री शशिभाई जामोद, नवम्बर, 1989 में हुए आम चुनाव में गुजरात राज्य के भावनगर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। इससे पहले वह वर्ष 1985-89 के दौरान गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे और मार्च से मई 1985 तक अल्प अवधि के लिए राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे।

वह पेशे से एक इन्जीनियर होने के साथ-साथ वकील भी थे। श्री जामोद ने गुजरात राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, 1987-89 के दौरान वह गुजरात राज्य पिछड़ी जातियों सम्बन्धी आयोग के सदस्य भी रहे।

वह एक योग्य सांसद थे और सभा की कार्यवाही में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया।

श्री जामोद का निधन 19 सितम्बर, 1990 को 52 वर्ष की अवस्था में भावनगर में हुआ।

चौधरी मुल्तान सिंह नवम्बर, 1989 में हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के जलेसर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। छठी लोक सभा (1977-79) और सातवीं लोक सभा (1980-84) के लिए भी वह इसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए लगातार चार अवधियों 1962-67, 1967-69, 1969-74 और 1974-77 तक सदस्य रहे।

वह सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के भी दो वर्ष तक सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य होने के नाते वह इसकी विभिन्न समितियों जैसे कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति इत्यादि से सम्बद्ध रहे। अत: एक विधायक के रूप में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया।

चौधरी मुल्तान सिंह ने देश की कृषक के रूप में राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में और एक योग्य सांसद के रूप में सेवा की। उन्होंने समाजवादी आन्दोलन में भी सक्रिय भाग लिया।

कृषकों, ग्रामीणों और दलित वर्गों के उत्थान के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और कृषकों के हित के लिए कृषक मंच की स्थापना का श्रेय भी उनको जाता है। शिक्षा के प्रसार के लिए भी उन्होंने कठोर प्रयास किए। वृद्ध और अस्वस्थ होने के बावजूद वह अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियों में व्यस्त रहे। 23 सितम्बर, 1990 को 75 वर्ष की आयु में उनका देहान्त रिवाड़ी में एक सामाजिक समारोह में भाग लेते हुए हुआ।

श्री राजबहादुर संविधान सभा तथा 1948-52 के दौरान अंतरिम के सदस्य रहे। बाद में वह राजस्थान के भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए और दूसरी, तीसरी तथा चौथी लोकसभा में भी वह इसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे।

अपने दीर्घकालीन और लब्ध प्रतिष्ठ संसदीय जीवन में मंत्री पद पर रहकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। वह एक योग्य सांसद थे तब सभा की कार्यवाही में बहुत दिलचस्पी लेते थे। संसदीय कार्यमंत्री के रूप में उन्होंने सभा के सुचारु कार्यकरण में जो योगदान दिया उसे हमेशा याद रखा जायेगा।

वह एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थे और अपने कालेज के दिनों से ही उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था और तत्कालीन भरतपुर राज्य में 1940-41 से 1947 तक आन्दोलन का नेतृत्व किया तथा जेल गए।

वह पेशे से वकील थे और अनेक सामाजिक तथा राजनैतिक संगठनों से संबद्ध थे। पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए उन्होंने अथक कार्य किया और भूतपूर्व भरतपुर रियासत में जबरी मजूरी की प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया।

उन्होंने अनेक देशों का भ्रमण किया और वह खेलकूद में भी दिलचस्पी रखते थे।

श्री राजबहादुर का निधन 22 सितम्बर, 1990 को 78 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुआ।

श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन संविधान सभा के सदस्य थे। वर्ष 1977 के दौरान वह पश्चिम बंगाल के आराम बाग निर्वाचन क्षेत्र से छठी लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। इससे पहले वह पश्चिम बंगाल विधान सभा के भी सदस्य रहे। श्री सेन देश के पुराने गांधीवादी और स्वतन्त्रता सेनानियों में से एक थे।

असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन और भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण उन्हें कुल मिलाकर 11 वर्ष के कारावास का दंड भुगतना पड़ा। छात्र जीवन से ही वह राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पड़े थे। बाद में वह गांधी जी के अहिंसा आन्दोलन से बहुत प्रभावित और प्रेरित हुए।

वह एक सुविख्यात सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने आराम बाग के दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए बहुत काम किया। और इसलिए उन्हें आराम बाग का गांधी कहा जाता है।

वह एक योग्य प्रशासक थे और डा. बी. सी. राय के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रीमंडल में उन्होंने 1948 से खाद्य विभाग का कार्यभार संभाला। डा० राय के निधन के पश्चात् श्री सेन ने 1962 से लेकर 1967 तक आम चुनावों के होने तक पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का पद संभाला।

वे एक जाने-माने और मृदुभाषी संसद विद् थे। समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में और शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया उसे सदा याद रखा जायेगा।

पिछले कई वर्षों से उनका स्वास्थ्य ठीक न रहने के बावजूद श्री सेन ने राजनैतिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया। श्री सेन का निधन 25 सितम्बर, 1990 को 94 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना देने के लिए सदन हमारे साथ है।

अब सदस्यगण संवेदना व्यक्त करने के लिए कुछ देर मौन खड़े रहेंगे।

11.10 म० पू०

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, लोग आत्मदाह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठें। मैंने माननीय प्रधान मन्त्री को बोलने के लिए आमन्त्रित किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपनी जगह पर बैठेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रावत, कृपया अपनी जगह पर बैठें।

(व्यवधान)

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : महोदय, वे कैसे बोल सकते हैं ? उन्होंने बोलने का अधिकार खो दिया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रावत जी, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय खड़े हैं। कृपया अपनी जगह पर बैठें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अग्रवाल, कृपया अपनी जगह पर बैठें। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रावत, मैं खड़ा हूं। कृपया अपनी जगह पर बैठें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रावत जी, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। आप बैठ जाएं। मैंने प्रधान मन्त्री जी को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने दें। प्रधान मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या अब आप प्रधान मन्त्री की बात सुनेंगे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कल्पनाथ जी और कुमारमंगलम जी, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा : उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वे पहले उन रोती मांओं से जाकर मिलें जिनके बच्चों की हत्या की गई और उन घायलों से जाकर मिलें जो अब अस्पतालों में हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रधान मन्त्री के बाद बोलने की अनुमति दूंगा। अब, क्या आप अपनी जगह पर बैठेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती जमुना, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्रीमती जे. जमुना (राजामुन्द्री) : महोदय, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती जे. जमुना : कितनी मांओं ने अपने बच्चे खो दिए हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

प्रो. यदुनाथ पाण्डेय (हजारीबाग) : मैं आपके सामने गिरफ्तार होकर आया हूं, आप मुझे जवाब दें कि मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार विशेषाधिकार का प्रस्ताव सर्वप्रथम लेना चाहिए। मैंने सूचना दी है कि यदुनाथ जी को अकारण गिरफ्तार किया गया। इनको अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने से रोका गया और वहां तिहाड़ जेल में बन्द रखा गया। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : आप यहां बैठ जाएं।

[अनुवाद]

कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यदुनाथ जी आप बैठ जायें मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : इस सरकार के हाथ खून से रंगे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : रावत साहब आप बैठ जायें, इस पर बहस होगी।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे (वर्धा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया है कि प्रधान मन्त्री और उनकी सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विरोध में मैंने 11 बजे से आमरण अनशन रखा है। जब तक वे अपना निर्णय नहीं बदलते, मैं इस सदन में आज 11 बजे से आमरण अनशन पर बैठने वाला हूँ। महोदय, मैंने आपको इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. यदुनाथ पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, यह बताइये, कानून सबके लिए बराबर होता है - **(व्यवधान)**...मैंने 15 तारीख को होम मिनिस्टर और प्राईम मिनिस्टर को लिखा था। वहां पर मुझे रोकने के लिए कोई प्रतिबंध लगाया ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पाण्डेय जी, आप बैठ जायें। पहले प्रधानमंत्री को सुनिये।

प्रो. यदुनाथ पाण्डेय : मैंने 18 तारीख को टेलीफोन से बात करने का प्रयास किया। आप बतायें कि अगर संसद सदस्य अपने क्षेत्र में नहीं जायेगा ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इजाजत नहीं दिया है। पहले आप बैठ जायें। उसके बाद आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूँ। आप कृपया अपनी जगह पर बैठें।

[हिन्दी]

आप सब बैठ जायें। आप हमें व्यवस्थित ढंग से इस हाऊस को चलाने दीजिये। जब हम खड़े हैं, आप सब बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रावत जी, आप पहले बैठ जायें। मैं जब खड़ा हूँ तो आप सब बैठ जायें।

प्रो. यदुनाथ पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा। पहले आप अपनी जगह पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूँ, तो कृपया आप अपनी जगह पर बैठें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रावत, मैं बोल रहा हूँ और आप अभी भी बोले जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, क्या आपको माननीय सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में इन्फार्मेशन थी।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइये, ऐसे नहीं।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष जी, आप बताइये कि क्या आपके पास माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की जानकारी थी।

अध्यक्ष महोदय : जब आप लोग बैठते ही नहीं हैं, तो मैं किसी को एलाव नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको जो रूल्स मालूम हैं, मिस्टर रावत। प्लीज़ टेक यौर सीट। पहले आप हाउस को व्यवस्थित ढंग से चलने दीजिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष जी, यह बड़ा सीरियस मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब मना किया है, लेकिन मुझे पहले हाउस को व्यवस्थित ढंग से चलाना है। मैंने इन्हें भी मना नहीं किया है। ये हाउस को ठीक ढंग से चलने नहीं देना चाहते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पाण्डेय जी, मैं जानता हूँ लेकिन हाउस के कुछ नियम हैं, उन नियमों के अंतर्गत आपके पास अपनी बात कहने के कई तरीके हैं।

(व्यवधान)

श्री कालका दास (करोल बाग) : अध्यक्ष जी, यहां माननीय सदस्य के अधिकारों के हनन

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

का सवाल है, आप माननीय सदस्य को संरक्षण प्रदान कीजिये, इनकी बात सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन जब मैं यहां खड़ा हूं तो आप लोगों को नियमानुसार बैठ जाना चाहिये। हाउस को व्यवस्थित ढंग से चलने देना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पाण्डेय जी, यह कोई तरीका नहीं है। आप पहले बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को मना नहीं किया है। मैंने कहा है कि पहले आप बैठ जाइये। मैं टर्न पर इनको बुलाऊंगा। कालका दास जी, आप भी बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप हाउस को व्यवस्थित ढंग से चलने नहीं देंगे, मैं किसी को परमिट नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं **(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष जी, आप इस हाउस के सभी माननीय सदस्यों के कस्टोडियन हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं, लेकिन मुझे हाउस को व्यवस्थित ढंग से चलाना है, इसकी भी जिम्मेदारी है। मैंने इन्हें भी मना नहीं किया है लेकिन ऐसे नहीं चलने दिया जायेगा। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, ऐसे नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री यदुनाथ पांडेय जी की गिरफ्तारी का मामला बुलेटिन में आ चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री यदुनाथ जी की गिरफ्तारी का मामला बुलेटिन में आ चुका है। उनको जो कहना है, उसको मैं सुनूंगा, लेकिन हाउस को पहले व्यवस्थित ढंग से चलने तो दीजिए। आप लीडर आफ दि हाउस को नहीं सुनेंगे ? आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं सुनेंगे।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, आप पांडेय जी को सुन तो लीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : महोदय, मैं जम्मु और कश्मीर पर बोलना चाहता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले तो प्रधान मंत्री खड़े थे, उनको बोलने के लिए मैंने कहा था। पहले लीडर ऑफ दि हाउस बोलेंगे।

(व्यवधान)

डा. शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव (पटना) : अध्यक्ष महोदय आप पांडेय जी को सुन तो लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहां मना किया है ? मैं तो उनको भी सुनूंगा।

डा. शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव : आप पहले पांडेय जी को सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रधान मंत्री के बाद उनको सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, श्री पांडेय आज भी पुलिस कस्टडी में यहां लाए गए हैं। वे कैदी के रूप में आपके सामने उपस्थित हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या यह आपको शोभा देता है कि बिना कानून के किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाए और इस प्रकार से कानून का उल्लंघन किया जाए। आप हमारे कस्टोडियन हैं। हमारी रक्षा करना आपके हक में है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी गिरफ्तारी की हमें सूचना मिली थी पांडेय जी, और उसके बारे में बुलेटिन में आ चुका है। अब आपको क्या कहना है, संक्षेप में कहिए।

प्रो. यदुनाथ पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि आज क्या किसी सांसद को अपने क्षेत्र में जाने से रोका जा सकता है ? मुझे रोका गया। यह लोक-तंत्र की हत्या है। हम अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, तो हम कहां जा सकते हैं ? यह दोगली नीति वहां का प्रशासन क्यों चला रहा है ? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है, वह अपने क्षेत्र में नहीं जा सकता है, उस पर पाबन्दी लगा दी गई है और उसको सूचना भी नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टियों के लोग, वहां के प्रशासन से मिलकर, लम्बे-लम्बे जुलूस निकालें, उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ऐसी दोगली नीति वहां का प्रशासन क्यों अपना रहा है ? पहले यह बताइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप यह बताइए कि इसमें हमारा गुनाह क्या है ? **(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा—6 सितम्बर को जीरो ऑवर में, वहां की समस्या के बारे में मैंने प्रश्न उठाया था, लेकिन आपके माध्यम से जिस बात के ऊपर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था, उस बात को सरकार ने इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। उस पर कोई इम्पलीमेंटेशन नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद, मुझे शंका है

कि वहां का जिला प्रशासन, वहां की सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैंने 13 तारीख को गृह मंत्री, प्रधान मंत्री, बिहार के मुख्य मंत्री और गृह आयुक्त को पत्र लिखा था कि 2 अप्रैल से जिन रामनवमी के झंडों को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और जिनको रोका गया था, उसका क्या किया गया ? (**व्यवधान**)

मैंने पत्र के द्वारा कहा था कि वहां का जिला प्रशासन कुछ करने को तैयार होगा लेकिन 16 तारीख को मुझे मालूम हुआ कि हजारीबाग में सेना सतर्क हो गई है। मैं 17 तारीख को यहां से गया। 21.9.90 को जब मैं जा रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि पितृ पक्ष में वहां का प्रशासन हमारी मूर्तियों को डुबा रहा था, वहां के झंडे को तोड़ा गया था। बाद में मैं गया तो वहां के जिला प्रशासन ने मुझे गिरफ्तार किया। मुझे 20 तारीख की शाम को गिरफ्तार किया और कहा कि आप हजारीबाग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। छः महीने से हजारीबाग जल रहा था लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ भी देखने की जरूरत नहीं समझी। मुझे बिना सूचना के गिरफ्तार किया गया, मुझ पर कोई प्रतिबन्ध लगा है इसकी सूचना तक नहीं दी गई और गिरफ्तार करके हमको बन्द कर दिया गया। इसकी सूचना सदन को उस समय नहीं दी गई और आज भी मैं गिरफ्तार होकर आपके सामने आया हूं, मैं तिहाड़ जेल से आया हूं। यहां पर कुछ कार्यकर्ता आए हुए थे जिनको दिल्ली में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. श्रीवास्तव, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया अपनी जगह पर बैठें।

(**व्यवधान**)

प्रो. यदुनाथ पाण्डेय : मुझे हजारीबाग जेल में रखा गया, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया गया। अखबार के माध्यम को वहां के जिला प्रशासन ने सूचना दी कि मैं कोडरमा जेल में हूं लेकिन सात समुद्र पार के लोगों को मालूम है कि मुझे कहां रखा गया था। यह कैसी आकाशवाणी है ? कभी-कभी आपने प्रसार भारती का बिल पास किया है। क्या यही है स्वतन्त्रता अगर सांसद अपने क्षेत्र में नहीं जाएगा तो वहां पर क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप खत्म कीजिए।

प्रो. यदुनाथ पाण्डेय : मैंने 19 तारीख को प्रधानमन्त्री जी से फोन पर बात करने का प्रयास किया। उनके सेक्रेटरी ने कहा कि यह हमारे विभाग का मामला नहीं है। यदि सांसद का मामला हमारा मामला नहीं हो सकता है तो किसका मामला हो सकता है। मैंने पहले ही सूचना दी थी। गृहमंत्री और प्रधानमन्त्री इस मामले को गुमराह न करें यह मेरा निवेदन है।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया, नियम के अन्तर्गत सूचना दी है। सदस्य को उसके निर्वाचन क्षेत्र में जाने से रोका गया है। उसके कर्त्तव्य में बाधा खड़ी की है।

0

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं, मैं बिजनेस पर आ रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि आज देश में क्या स्थिति है। सदन की इसमें क्या भावना है इसको भी आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। एक तरफ बच्चे मारे जा रहे हैं ऐसी स्थिति में हम सरकार की बात कैसे सुन सकते हैं। होम मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हुए हैं, होम मिनिस्टर ने बच्चों को मरने से रोकने के लिए क्या किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर जवाब दें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप लोग यहां पर क्यों आ गए हैं, आप अपनी सीट में जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीवास्तव जी, आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। मैंने गृह मन्त्री को आमन्त्रित किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीवास्तव जी, क्या आप कृपया अपनी जगह पर बैठेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पाण्डेय, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

डा. शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव : श्री दिनेश सिंह जी खड़े हुए हैं और आप हमें बैठने के लिए कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीवास्तव जी, आप अपनी सीट पर जायें।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, यह एक विशेषाधिकार का मामला है—

(व्यवधान)

माननीय सदस्य को आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पाण्डेय जी, मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, एक संसद सदस्य को जिस ढंग से गिरफ्तार किया, उसको लेकर हम सदन से वाकआऊट करते हैं।

11.41 म० पू०

(इस समय, श्री राम नाईक और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जायें और हमें काम करने दें।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप आज देश की स्थिति को देख रहे हैं और इस सदन की भावनाओं को भी देख रहे हैं, जिस तरह से इस सरकार के हाथ बच्चों के खून से रंगे हुए हैं उससे आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल से हम लोग यहां अपने को रोके बैठे हुए हैं। हमारे एक वरिष्ठ साथी ने अभी आपसे निवेदन किया कि वह भूख हड़ताल पर हैं—**(व्यवधान)**—

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, साथ-साथ अनुवाद नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुवाद मिल जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे एक वरिष्ठ साथी यहां भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि इस सरकार की जब तक बच्चों के साथ ज्यादती होगी तब तक वह भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इन लोगों ने कोई बात बच्चों की जान बचाने के बारे में नहीं की है, बल्कि जिस तरीके से पुलिस का उनके ऊपर आक्रमण हुआ—**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दे दी है। श्री जाटव, आप कृपया बैठ जाएं। क्या आप अपनी जगह पर बैठेंगे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने सदन में एक ड्रामा देखा। बी. जे. पी. के लोगों ने देश के बच्चों के ऊपर आज जो ज्यादती हो रही है, उसको छोड़कर एक व्यक्तिगत बात उठा कर इतनी देर सदन का समय लिया। **(व्यवधान)**

यह एक नाटक जो उन्होंने अदा किया है, उससे देश को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य स्थगन का जो हमारा प्रस्ताव है, आप उसको सबसे पहले लायें। उसके पहले और कार्य को उठाना मुनासिब नहीं होगा। यह जो गलतफहमी···

(व्यवधान) · अध्यक्ष महोदय, जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं, यह बिल्कुल गलत है और हमारी शिकायत ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दिनेश सिंह जी, आप उस तरफ क्यों देख रहे हैं, हमारी तरफ देखिये।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, बीच-बीच में ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : हमारा विरोध 7 अगस्त की घोषणा से है, जिस तरह से वह घोषणा की गई, उससे किसी पिछड़े वर्ग को फायदा नहीं होने वाला है बल्कि सरकार ने अपने को बचाने के लिए वह किया है इसलिए उसको और आरक्षण को, दोनों को साथ नहीं जोड़ना चाहिए। न जो पुलिस की ज्यादती है बच्चों पर उससे आरक्षण को जोड़ना चाहिए। हमारा निवेदन है कि हमारा जो काम रोको प्रस्ताव है, आप उसको स्वीकार करें और उसके पहले और कोई इश्यू आप न लें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठें।

[हिन्दी]

आप बैठ जायें। हमको काम चलाने दीजिए। मायावती जी, आप बैठ जायें। मैं आपको नहीं सुन रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचित करना है कि मुझे देश के विभिन्न भागों में छात्रों पर की गई पुलिस की ज्यादतियों और आरक्षण की नीति के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध छात्रों द्वारा आत्मदाह के बारे में श्री जगपाल सिंह, प्रो. सैफुद्दीन सोज, श्री रामलाल राही, श्री दिनेश सिंह, श्री आर. एन. राकेश और श्री बी. शंकरानंद से स्थगन प्रस्ताव की छः सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप मेहरबानी करके सुन लीजिए। मैं आपको इजाजत

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं दे रहा हूं। आप आरक्षण के समर्थन में बोलेंगी। आप अपनी सीट पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाइये।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, शास्त्री जी। इस तरह से बोलने पर पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं होता है। मायावती जी आप सीट पर जाइये। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बिना इजाजत के बोल रहो हैं, मैंने इजाजत नहीं दी है। आप अपनी सीट पर जाइये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप सीट पर जाइये।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप सीट पर जाइए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, यह आप ठीक नहीं कर रही हैं। आप सीट पर जाइए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप बैठ जायें। मैं बोल रहा हूं। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, वैस्ट दिल्ली में पानी नहीं, लोग कहां से पानी

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पियेंगे। पानी नहीं है। मैं वैस्ट दिल्ली में रहता हूं। मेरा आरोप है, रेडियो-टी.वी. गुमराह कर रहे हैं, कोई पानी नहीं है, कोई पेट्रोल नहीं है···(**व्यवधान**)···विद्यार्थी आत्मदाह कर रहे हैं।···

(**व्यवधान**)

11.53 म. पू.

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय के विरोध में देश के विभिन्न भागों में छात्रों द्वारा किए गए आन्दोलन से निपटने के लिए पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार तथा इस निर्णय के विरोध में छात्रों द्वारा आत्म-दाह किया जाना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे देश के विभिन्न भागों में छात्रों पर की गई पुलिस की ज्यादतियों और आरक्षण की नीति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध छात्रों द्वारा आत्मदाह के बारे में (1) श्री जगपाल सिंह, (2) प्रो. सैफुद्दीन सोज, (3) श्री रामलाल राही, (4) श्री दिनेश सिंह, (5) श्री आर. एन. राकेश और (6) श्री बी. शंकरानंद से स्थगन प्रस्ताव की छः सूचनायें प्राप्त हुई हैं

मैं श्री जगपाल सिंह को अनुमति देता हूं जिन्होंने प्रस्ताव पेश करने के लिए मतदान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

क्या श्री जगपाल सिंह उपस्थित हैं ?—उपस्थित नहीं है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं श्री दिनेश सिंह या श्री शंकरानंद के पक्ष में अपना नाम वापस लेता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : मैं श्री शंकरानन्द जी के पक्ष में विद-ड्रा करता हूं।

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : मैं श्री शंकरानन्द के पक्ष में अपना नाम वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर. एन. राकेश—उपस्थित नहीं हैं।

श्री बी. शंकरानन्द (चिक्कोडी) : मैं अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा की अनुमति नहीं है ? सभा की अनुमति है। अनुमति दी जाती है।

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, कृपया मुझे प्रस्ताव को उसी रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए जिस रूप में मैंने दिया है। अब मैं अपने प्रस्ताव को पढ़कर सुनाता हूं।

"प्रधान मंत्री द्वारा समस्त समाज को प्रभावित करने वाले संवेदनशील मुद्दे पर की गई निन्दनीय जल्दबाजी अक्षमता तथा अड़ियलपन के परिणामस्वरूप प्रशासन व्यवस्था के पूर्णत: ठप्प होने, विद्यार्थियों तथा युवाओं पर पुलिस ज्यादतियों, युवा लड़कों तथा लड़कियों द्वारा हताशापूर्ण आत्मदाह के कार्यों और बहुमूल्य जीवन की हानि।"

अध्यक्ष महोदय : अब आपने अपना संकल्प प्रस्तुत कर दिया है। क्या इसे सभा की अनुमति है ? अनुमति दी जाती है। नियम 61 के अधीन स्थगन प्रस्ताव पर 4 बजे चर्चा की जाती है अथवा एक घंटे पहले तथा इस पर चर्चा के लिए $2\frac{1}{2}$ घंटे से कम समय निर्धारित नहीं किया जाता है। इस प्रस्ताव पर चर्चा आज 4 बजे शुरू होगी।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय उसी नियम में यह भी कहा गया है कि यदि अध्यक्ष चाहे तो सभा का मत जानकर वह प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति पहले भी दे सकते हैं। ...**(व्यवधान)** कृपया मेरा निवेदन सुनिये। पंजाब विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। हम मानते हैं कि हम केवल उसी के लिए यहां एकत्र हुए हैं। परन्तु बात यह है कि इस देश के इतिहास में हमने युवाओं द्वारा इतनी अधिक संख्या में आत्मदाह कभी भी नहीं देखा है। हमारे कितने युवा छात्र मरे हैं ? यह भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण विषय है, शायद उससे अधिक महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा तत्काल आरम्भ की जानी चाहिए।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : महोदय, नेताओं की बैठक में, जो आज सुबह बुलाई गई थी यह सहमति बनी थी कि हम संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के बाद 4 बजे से 4.30 बजे तक के बीच स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और इस बात पर भी सहमति हुई थी कि आज हम मध्याह्न भोजनावकाश नहीं करेंगे। हम रात में भी देर तक बैठेंगे। माननीय सदस्यों के लिए रात्रि भोजन की भी व्यवस्था कर ली गई है।

श्री राजीव गांधी (अमेठी) : महोदय, दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। चूंकि पंजाब सरकार के बारे में इतनी अधिक चिन्तित है, हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। उन्हें हमारे साथ स्थगन प्रस्ताव पर सहयोग करना चाहिए। हम पंजाब को पहले लेते हैं। आपने पंजाब पर चर्चा के लिए तीन घंटे का समय रखा है जिसका अर्थ है कि अब 12 बजे हैं और चर्चा 3 बजे तक चल सकती है। हम इस बात पर थोड़ा समझौता कर लेते हैं। हम स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.30 बजे करा लेते हैं। पंजाब पर चर्चा के लिए आपके पास ढाई घंटे हैं। हम मतदान करेंगे और इस विषय पर हम आपकी सहायता करेंगे। उसके बाद स्थगन प्रस्ताव को लिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : पंजाब पर मतदान 2.30 बजे होगा।

श्री राजीव गांधी : पहले यह तय किया गया था कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.30 बजे शुरू होगी। मतदान में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। अत: मतदान 2 बजे शुरू होना चाहिये।

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते) : हम सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह सभा का मत है कि मतदान 2 बजे शुरू होगा।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी : दो बजे वोट कर लें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, लेकिन सदस्यों को पता होना चाहिए कि वोटिंग कब होनी है।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, मतदान दो बजे होने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह सभा का मत है कि मतदान दो बजे होगा ताकि हम विधेयक को 2.30 बजे पारित कर सकें। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

———

12.01 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

लघु तथा सहायक औद्योगिक इकाईयों में निवेश की सीमा के बारे में प्रारूप अधिसूचना में एक संशोधन

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख की उपधारा (3) के अन्तर्गत लघु तथा सहायक औद्योगिक इकाईयों में निवेश की सीमा के बारे में प्रारूप अधिसूचना संख्या 12(3)/90-एस. एस. आई. (पी)* में किये गये संशोधन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या (एल.टी. 1534/90]

———

12.01½ म० प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 8 अगस्त, 1990 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के भाग एक के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1990

(2) पंजाब विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1990

* प्रारूप अधिसूचना 7 अगस्त, 1990 को सभा पटल पर रखी गई थी।

(3) विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1990

(4) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक, 1990

2. महोदय, मैं, 8 अगस्त, 1990 को सभा को संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1990

(2) राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक, 1990

(3) सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां विधेयक, 1990

(4) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक, 1990

(5) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक, 1990

———

12.02½ म० प०

संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 356 में संशोधन)

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : हमारे जीरो आवर का क्या होगा।

*दिनांक 1.10.90 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में साढ़े चार दिन से पानी नहीं मिल रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। **(व्यवधान)**

12.03 म प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के काकीनाडा कस्बे को मुख्य रेल लाइन से जोड़े जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री एम. एम. पल्लभ राजू (काकीनाडा) : आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाडा जिला मुख्यालय है और यह तेजी से एक मुख्य औद्योगिक बन्दरगाह के रूप में विकसित हो रहा है, परन्तु यह मुख्य रेल लाइन से नहीं जुड़ा हुआ, जिससे इसका अत्यधिक विकास नहीं हो रहा।

काकीनाडा को गहरे समुद्र वाले बन्दरगाह के रूप में विकसित करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने 134 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति दी है, जिससे यहां जहाजों का आना-जाना और बढ़ जायेगा। पिछले कुछ वर्षों से तीव्र औद्योगीकीकरण से यहां यात्रियों और सामान के आने-जाने में भी वृद्धि हुई है।

काकीनाडा के सबसे पास मुख्य रेलवे लाइन पर समालकोट स्टेशन है जो वहां से 13 कि. मी. दूर है। यहां से सभी गाड़ियों में कोटा बहुत ही कम है तथा अधिकतर सुपर फास्ट गाड़ियां यहां नहीं रुकतीं।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और काकीनाड़ा जिले की अप्रत्याशित प्रगति को देखते हुए मैं सरकार से काकीनाडा को मुख्य लाइन पर लाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँ।

मैं रेलवे मंत्री से काकीनाडा तथा समालकोट के लिए सभी गाड़ियों में कोटा बढ़ाने तथा समालकोट जंक्शन पर सभी सुपरफास्ट गाड़ियों को रोके जाने के लिए अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय, कश्मीर का मामला बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, 377 भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : भजनलाल जी, आप बैठ जाइए। राही साहब नियम 377 के अधीन पढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में साढ़े चार दिन से पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इस पर मंत्री महोदय को यहां पर जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भजनलाल जी, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं, खुराना जी को भी इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप तो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको सब नियमों का पता है। मैं आपको मना कर रहा हूं और आप बोलते जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, ठीक है आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, पानी के बारे में, इसको सरकार देखेगी, आप बैठ जाइये। भजनलाल जी आप भी बैठ जाइए। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। श्री राम लाल राही।

(व्यवधान)

12.05 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(दो) शाहजंहापुर और लखनऊ के बीच गोमती नदी पर पुलों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

श्री राम लाल राही (मिश्रिख) : उपाध्यक्ष महोदय, गोमती नदी उत्तर प्रदेश में शाहजहानपुर जनपद की तरफ से आती है और हरदोई एवं सीतापुर जनपदों का सीमांकन करती हुई लखनऊ की तरफ चली गयी है। दोनों जनपदों के लगभग 100 किमी. में सीमांकन करती यह नदी बहती है। इतनी बड़ी सीमा में नदी पर मात्र दो पुल हैं। एक पिसावां-गोपामाऊ मार्ग पर मकूरहाघाट पर और दूसरा सीतापुर-हरदोई मार्ग पर नेमिवारण्य के पास बने हैं। अब इस नदी में एक पुल मधेली-पिहानी मार्ग पर कुल्हाघाट में, एक पुल हत्याहरन-नेमिवारण्य मार्ग पर हथिया-घाट में और एक पुल सिधौली-अतरौली मार्ग पर भटपुरघाट में बनाया जाना अति आवश्यक है। जब तक यह तीनों पुल नहीं बन जाते तब तक नदी के किनारों पर बसे सैकड़ों मील लम्बे-चौड़े ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के अवसर कतई पैदा नहीं हो सकते। गोमती नदी में भटपुरघाट पर पुल बनाये जाने की मांग बहुत अर्से से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में और इस नदी में भी कई स्थानों पर पुल बनाने वाले पीपे काफी तादाद में बेकार पड़े हैं। जिनको इस्तेमाल कर लोगों की सुविधा के लिए नदियों पर मार्ग में पुल बनाया जा सकता था। हमारी मांग है कि गोमती नदी में भटपुरघाट, हथियाघाट और कुल्हाघाट पर पक्का पुल बनाये जाने के लिए केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन को आवश्यक धन उपलब्ध करायें ताकि पुल निर्माण कार्य क्रमवार प्रारम्भ

हो सके। यह भी प्रार्थना है कि हथियाघाट, मटपुरघाट और कुल्हाघाट के लिए अविलम्ब पक्का पुल बनाये जाने से पहले नदी पार करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कहें कि यह तीनों स्थानों पर क्रमवार तत्काल पेन्टोन पुल की व्यवस्था बरसात का सीजन समाप्त होते ही कर दी जाये। पेन्टून ब्रिजों के लिए भी आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार तत्काल उपलब्ध करा देवे।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे बढ़कर अन्याय क्या होगा ? आप लोगों को प्यासा मारना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन अफसर, कौन सरकार जिम्मेदार है। 90 घण्टे तक दिल्ली को पानी नहीं मिला। हमारे बार-बार कहने के बावजूद भी पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया। ऐसा नहीं है कि उन्हें 12 घण्टे पानी नहीं मिला हो, 24 घण्टे पानी नहीं मिला हो, लोगों को 90 घण्टे तक पानी नहीं मिला। **(व्यवधान)**

(तीन) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के पूर्ति विभाग को बंद करने और उसके विकेन्द्रीकरण के आदेश वापस लिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, केन्द्र सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय के अधीन पूर्ति और निपटान महानिदेशालय जो केन्द्रीकृत खरीद का कार्य करता है, को बन्द करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के साथ-साथ खरीद का काम जो पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा किया जाता था, अपने कर्मचारियों को कोई विशेष दिशा-निर्देश दिये बिना, अब इस काम को सम्बन्धित विभागों को सौंप दिया जायेगा। इससे कम से कम 4000 कर्मचारी फालतू हो जायेंगे। यह निर्णय संसद की प्राक्कल समिति की सिफारिश के विरुद्ध है जिसमें पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से केन्द्रीय खरीद को जारी रखने तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इसका विस्तार करने की सिफारिश की गई थी। मजदूर संघ से सलाह किये बिना वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के कानपुर, कुलटी, राउरकेला स्थित कार्यालयों को बन्द करने तथा बम्बई, मद्रावती आदि कार्यालयों के विलय के आदेश जारी किये हैं। यह एक असामान्य बात है तथा सरकार की नीति के विरुद्ध है। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के कर्मचारियों के विरोध के कारण इस आदेश को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है यद्यपि यह आदेश स्थगित कर दिये गये हैं। तथापि, 6 सितम्बर, 1990 को एक अन्य आदेश जारी किया गया जिसके अनुसार यह निर्णय लिया गया कि पूर्ति और निपटान महानिदेशालय का विकेन्द्रीकरण किया जाए और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा की गई तदर्थ मांग उनके मंत्रालयों को पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में उस कार्य को करने वाले कर्मचारियों सहित स्थानांतरित कर दी जाए।

मैं सरकार से पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के वर्तमान ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन न करने तथा इसके विकेन्द्रीकरण और इसे बन्द करने से संबंधित आदेशों को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

(चार) जहानाबाद, बिहार में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र जहानाबाद में सैकड़ों गांव हैं जहां हरिजनों एवं गरीबों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी तक कच्चे कुएं काटकर एवं तालाब से पानी पीते हैं, जिससे हर वर्ष सैकड़ों लोग हैजे के शिकार होकर मरते हैं। जिसकी वजह से नौजवानों में रोष एवं आक्रोश बना हुआ है, उसी नफरत में लोग उग्रवादी संगठन के सस्त्र दस्तों में भर्ती होते जा रहे हैं। इस संबंध में मैंने बिहार सरकार के एवं भारत सरकार के पास लिखित आवेदन भी दिया। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि हरिजनों एवं गरीबों के टोलों में शुद्ध पानी की व्यवस्था केन्द्रीय खर्च में कराई जाए।

(पांच) जयपुर, राजस्थान में रसोई गैस के अधिक कनेक्शन देने और गैस सिलेंडरों की पूर्ति विनियमित किए जाने की मांग

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में नए गैस कनेक्शनों के लिए 1980 में पंजीयन किया गया था। उस समय 38,000 लोग प्रतीक्षा सूची में थे। राज्य की राजधानी होने के नाते जयपुर की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है व उसी अनुपात में पिछले 10 वर्षों में 10,000 प्रति वर्ष के हिसाब से लगभग एक लाख कनेक्शन की नई मांग पैदा हो गई है। तीनों सरकारी गैस कम्पनियां प्रति वर्ष केवल 5500 नए कनेक्शन देती है। इस प्रतीक्षारत लोग बढ़कर लगभग डेढ़ लाख हो गए हैं।

अत: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर को प्रति वर्ष नए कनेक्शन का आवंटन कम से कम 20,000 प्रति वर्ष किया जाये। साथ ही जयपुर में गैस की पूर्ति इतनी खराब है कि निवेदन करने के 15 दिन से पहले गैस नहीं मिलती। इसकी सप्लाई को सुधारने की तुरन्त आवश्यकता है वे जयपुर में सिलेंडर भरने की इकाई की तुरन्त स्थापना की जाये। सरकार ने उपभोक्ता की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था हेतु एक कनेक्शन पर दो गैस सिलेंडर आवंटित करने की योजना चालू की थी, परन्तु अब उपभोक्ताओं को मांगने पर भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस विषय में जांच कर दूसरे सिलेंडर की उपलब्धि की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए।

(छः) अहमदाबाद की 16 कपड़ा मिलों के बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को मुआवजा दिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा) : महोदय, अहमदाबाद में 16 कपड़ा मिलों के बंद होने से चालीस हजार मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। इन 16 मिलों को बेकार घोषित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। गुजरात राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि संयुक्त मिलों के लाभकारी हिस्से को किसी उद्यमी को बेचने के लिए तथा किराये की पूरी राशि वसूल करने के लिए राज्य को अनुमति दी जाये। अलाभकारी इकाइयां, जो कार्य नहीं कर सकती हैं, उनको बेकार घोषित किया जाये। भूमि, भवन और मशीनों को बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए।

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार पूरी तरह से सहमत है कि इन मिलों को पूर्ण और आंशिक रूप से बंद करने, जो भी राष्ट्र के हित में हो, किया जाना चाहिए। वित्तमंत्री से आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों के अनुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों से उपदान; छंटनी मुआवजा और पुनर्वास भत्ता देने का अनुरोध किया गया था। वयोवृद्ध श्रमिक नेता और मजदूर महाजन

संघ के सलाहकार ने केन्द्रीय वित्त मन्त्री को अहमदाबाद-की बन्द कपड़ा मिलों के बन्द के कारण बेरोजगार श्रमिकों को देय के भुगतान के सम्बन्ध में एक फार्मूले का सुझाव दिया है।

मैं अहमदाबाद में 16 मिलें, जो काफी समय से बंद पड़ी हैं, से प्रभावित श्रमिकों के पुनर्वास को मुआवजे के भुगतान के बारे में शीघ्र उपाय करने का केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ।

12.14 म० प०

संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 356 में संशोधन) जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 6 पर विचार करेगी।

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मौहम्मद सईद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि सदन जानता है, राष्ट्रपति के 11 मई, 1987 को पंजाब राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की थी। राज्य विधान सभा को शुरू में निलम्बित किया गया था और 6 मार्च, 1988 को भंग कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का राज्य सभा तथा लोक सभा ने 12 मई, 1987 को अनुमोदन कर दिया था। पंजाब में 11.11.87 से राष्ट्रपति शासन की अवधि को आगे छः महीने तक जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति ले ली गई थी।

चूंकि पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पंजाब में समय-समय पर संसद की अनुमति से राष्ट्रपति शासन की अवधि को और आगे बढ़ाते रहना पड़ा। राष्ट्रपति शासन की वर्तमान अवधि 10 नवम्बर, 1990 को समाप्त होने जा रही है।

संविधान के अनुच्छेद 356 (5) के वर्तमान उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति शासन की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सम्पूर्ण भारत में या सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी हिस्से में आपत्तकाल की स्थिति विद्यमान न हो और राज्य में विधान सभा के लिए आम चुनाव करवाने की कठिनाइयों को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 356(1) के उपबंधों के अधीन उद्घोषणा को जारी रखने के सम्बन्ध में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने से संबंधित दो शर्तें पूरी न हो गई हों। यह दोनों शर्तें पूरी नहीं हुई थीं, अतः संविधान के अनुच्छेद 356(5) में संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 के तहत संशोधन किया गया ताकि उसे अनुच्छेद का खण्ड 5, पंजाब के सम्बन्ध में 11 मई, 1987 को जारी उद्घोषणा पर लागू न हो।

यदि आवश्यक हो तो इस संशोधन से अनुच्छेद 356 के खण्ड (5) में उल्लखित शर्तों को

पूरा किये बगैर पंजाब में 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। इस संशोधन के जरिये पंजाब में राष्ट्रपति शासन संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से प्रत्येक 6 महीने के अन्तराल के बाद 10-5-1990 तक बढ़ाया गया था। संविधान (59वां संशोधन) अधिनियम, 1988 को संविधान (63वां संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

पंजाब में राष्ट्रपति शासन की 3 वर्ष की अवधि 10-5-1990 को समाप्त होनी थी। अब चूंकि उस समय राज्य में कानून और व्यवस्था की जो स्थिति चल रही थी वह राज्य विधान सभा के स्वतन्त्र और शान्तिमय चुनाव कराने के वास्ते ठीक नहीं थी अत: राष्ट्रपति की 11 मई, 1987 की उद्घोषणा को 10-5-1990 के बाद भी जारी रखने की आवश्यकता महसूस की गई। तद्नुसार संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (4) और (5) में संविधान (64वां संशोधन) अधिनियम, 1990 के द्वारा संशोधन किया गया था ताकि पंजाब में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष और 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सके जोकि 10 नवम्बर, 1990 को समाप्त होने वाली है।

यह समझा गया कि पंजाब की विधान सभा के चुनाव इस बढ़ाये गए समय में कराना संभव होगा फिर भी राज्य में इस वक्त जो परिस्थितियां चल रही है, वह राज्य विधान सभा के स्वतन्त्र और शान्तिमय चुनाव कराने के वास्ते अभी उपयुक्त नहीं हैं। अत: पंजाब राज्य से संबद्ध इस उद्घोषणा को चार साल की अवधि तक बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (4) को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया।

इस बात को देखते हुए मैं महान सभा से अनुरोध करता हूं कि वह संविधान (75वां संशोधन) विधेयक, 1990 का अनुमोदन करे और इसे पारित करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्रीमती सुखबंसकौर (गुरुदासपुर) : इससे पहले कि हम यह फैसला करें कि हमें इसका समर्थन करना चाहिए या नहीं, हम जानना चाहेंगे कि वे पंजाब में ऐसे कौन से कदम उठायेंगे ताकि वहां 6 महीने के अन्दर चुनाव कराये जा सकें। हम जानना चाहेंगे कि अगले 6 महीनों में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया है। जब वह उत्तर देंगे तो संभवत: आपको यह बात स्पष्ट हो जायेगी।

इससे पहले कि हम चर्चा आरम्भ करें, मैं तो कहूंगा कि इस सम्बन्ध में यह फैसला किया गया है कि स्थगन प्रस्ताव 2.30 म. प. पर लिया जायेगा। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास केवल 2 घंटे और 15 मिनट हैं। मतदान के लिए कम से कम 30 मिनट चाहिए। अत: हमारे पास चर्चा के लिए एक घंटा और 45 मिनट हैं। क्या मैं माननीय सदस्यों से सहयोग के लिए अनुरोध कर सकता हूँ और यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह कर सकता हूं कि इस मसले के साथ-साथ स्थगन प्रस्ताव को समय पर ले सकें ? यह तो माननीय सदस्यों से केवल एक आग्रह है। मैं श्री कमल चौधरी से समय पर अपना भाषण समाप्त करने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अमेंडमेंट जो दिए हुए हैं, उनका क्या होगा ?

स० अतिन्दर पाल सिंघ (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें और अधिक समय दिया जाना चाहिए। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। पौने दो घण्टे···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि इस पर सभा में पहले ही फैसला लिया जा चुका है। जो फैसला हुआ था उसे मैं आपके ध्यान में ला चुका हूँ। मैं आपका सहयोग मांग रहा हूँ।

[हिन्दी]

स० अतिन्दर पाल सिंघ : मेरी यह रिक्वेस्ट है कि और अधिक समय दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि केवल कुछ मिनट पहले ही। श्री कमल चौधरी।

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। पंजाब में लोकतन्त्र का गला घोंटा गया है। जब कांग्रेस का शासन था तो सभी माननीय सदस्य जो दूसरे पक्ष में बैठे थे ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का विरोध करते हुए जो कुछ कहा था मैं उसे दोहराकर अपना समय और सभा का समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इस बात के विस्तार में भी नहीं जाऊंगा कि पंजाब में आतंकवादी हिंसा और पुलिस की ज्यादतियों में कितने लोग मारे गये।

मेरा कहना यह है कि सरकार पंजाब में चुनाव नहीं कराना चाहती है।

हमें अंग्रेजों से यह नौकरशाही पद्धति विरासत में मिली है। अंग्रेजों ने भारत में दूर बैठकर शासन करने के लिए जो आई सी.एस. अधिकारी भर्ती किये थे और यह भारतीय प्रशासनिक सेवा जो हमें उनकी देन है आज यही लोग इस देश पर शासन कर रहे हैं और उन्होंने इस देश के राजनीतिज्ञों को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि पंजाब में चुनाव नहीं होने चाहिए। यह उनका शासन है और वे इसे चिरकाल तक जारी रखना चाहते हैं। यह तीन वर्ष, $3\frac{1}{2}$ या 4 वर्षों की बात नहीं है। ये राजनीतिज्ञ, जोकि नौकरशाही से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं चाहे वे वर्तमान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार या अल्पमत वाली सरकार या जनता दल और इससे संबद्ध दल के हों या भा.ज.पा. और कम्युनिस्ट हों। हमें देखना चाहिए कि पंजाब में उनके क्या दावे हैं। जनता दल का तो यह मानना है कि वह पंजाब में एक भी स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है। साम्यवादियों को भी यह विश्वास है कि पंजाब में उन्हें तीन या चार स्थान से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का है **(व्यवधान)** कौन चाहता है कि मैं बैठ जाऊं ? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ? पंजाब को और बर्बाद नहीं कीजिए। आज आप इस देश की युवा पीढ़ी का खून पी रहे हैं। उन राजनीतिज्ञों से पूछिए जो पंजाब में चुनाव नहीं चाहते हैं। हरेक ऐसे उम्मीदवार का मानना है कि वह इस आने वाले चुनाव में नहीं जीत सकते हैं। वही व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि पंजाब में चुनाव नहीं होने चाहिए। यह सब आतंकवादियों के डर की वजह से नहीं कह रहे

हैं। लोग कहते हैं कि मैं होशियारपुर से चुना गया हूँ। मैं इस सरकार को चुनौती देता हूँ कि आप पंजाब के 117 निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी एक निर्वाचन क्षेत्र को चुनिये मैं उधर से चुनाव लड़ूंगा। किसी को भी मेरे मुकाबले में खड़ा कीजिये। मैं पंजाब में मुक्त रूप से घूमा हूँ। इस अल्पमत वाली सरकार ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ढह गयी है।

यह नपुंसकों की सरकार है। जैसे ही यह सरकार बनी इसने स्वर्ण मन्दिर जाने जैसी राजनैतिक चालबाजियां खेलनी शुरू कर दी। प्रधानमन्त्री ने सभी तरह के बेवकूफी भरे वक्तव्य दिये। लेकिन हुआ क्या? यह सरकार कुछ दिन चाहती थी और फिर पंजाब में शांति लाने के लिए चुनाव कराने हेतु कुछ महीने। पंजाब में माहौल अनुकूल था। पिछली कांग्रेस सरकार ने वह माहौल पैदा किया था और चुनाव एक शान्तिपूर्ण माहौल में हुए थे। प्रधानमन्त्री ने सभी संसद सदस्यों को हाल में बुलाया था। यह शर्म की बात है कि प्रधान मन्त्री ने प्रैस को वह सब नहीं बताया जो संसद सदस्यों ने उन्हें बताया था। वह सच छुपा रहे थे। लेकिन इस सरकार ने धोखा दिया। मैं आपको बताऊं कि सात संसद सदस्य वहां गये और प्रधानमन्त्री से मिले। सत्र चल रहा था। कुछ लोग केन्द्रीय कक्ष से आये और पंजाब के संसद सदस्यों से पूछा कि क्या के प्रधानमन्त्री को 7 बजे मिल सकते हैं। मुझे 6 बजे संदेश मिला। पत्र में कोई भी कार्यसूची नहीं थी। 7 बजे का समय दिया हुआ था। मिलने का यही समय एक नेपाली प्रतिनिधि मंडल को भी दिया गया था। एक को 7, रेसकोर्स मार्ग में दूसरे को 9, संसद भवन में दिया गया था। इस तरह से प्रधानमन्त्री कार्यालय में काम होता है। हम वहां गये और प्रधानमन्त्री से पूछा कि वह क्या चाहते हैं और क्या कार्य सूची है। बैठक में भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। राजनैतिक मामलों संबंधी सम्पूर्ण मंत्रिमंडलीय समिति भी उपस्थित थी। हमें पंजाब के बारे में कुछ कहने के लिए कहा गया था। इसके पश्चात् पंजाब से निर्वाचित सभी सात संसद सदस्य केन्द्र। यही इसकी खूबी है। सभी सदस्यों ने कहा कि पंजाब में चुनाव कराये जाने चाहिए। वास्तव में मेरा भी यही दृष्टिकोण है और विगत तीन वर्षों से मेरी यही धारणा है कि लोकतन्त्र को दबाया नहीं जाना चाहिए। इसके पश्चात शेष षड्यंत्र शुरू हो गये जैसे कि सर्वदलीय बैठक। लेकिन इसमें क्या हुआ? सिर्फ वे लोग ही जो कि यह जानते थे कि वे पंजाब में चुनाव नहीं जीत सकते हैं, वे ही बार-बार कहते थे कि वहां चुनाव नहीं कराये जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : क्या आप पंजाब में इलैक्शन्स करवाने के पक्ष में हैं?

श्री कमल चौधरी : हां, मैं बिल्कुल पक्ष में हूं।

श्री राजवीर सिंह : चलिये, पता तो लगा।

श्री कमल चौधरी : लेकिन इसमें गट्स नहीं हैं, आप यहां बैठे हुए बोलते हैं। आप मेरे साथ पंजाब चलिये और देखिये।

श्री राजवीर सिंह : लेकिन आप के नेता तो अभी तक वहां गये नहीं हैं। **(व्यवधान)**

श्री कमल चौधरी : आपको मैं पार्लियामैंट के इलैक्शन्स के बाद ये चुनाव भी करवा लेने चाहिये थे।

स. अतिन्दर पाल सिंह : मैं अपनी तरफ से सभी को पंजाब चलने का न्यौता देता हूं।

चलिये मेरे साथ। मैं आपको गांव-गांव घुमाता हूं।

श्री कमल चौधरी : मुझे आपका न्यौता नहीं चाहिये। कमल चौधरी को पंजाब में घूमने का किसी अलिन्दर पाल सिंघ का कोई न्यौता नहीं चाहिये।

स. अतिन्दर पाल सिंघ : मैं पूरे हाउस को न्यौता दे रहा हूं, सिर्फ कमल चौधरी को न्यौता नहीं दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सिंघ साहब, प्लीज।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी : पंजाब में, इस देश में आवश्यकता जनसंख्या के नियंत्रण की है। हम छात्रों का युवा वर्ग का खून बहा रहे हैं। मैंने अप्रैल, 1986 में इस सभा में कहा था कि इस देश में लोग सड़कों पर आ जायेंगे और एक गृह युद्ध छिड़ जायेगा। इस सरकार ने गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी है। मुझे इसका दुःख नहीं है। मुझे खुशी है कि आज युवा पीढ़ी सड़कों पर आ गयी है और बुजुर्गों को जागने के लिए कह रही है। एक बच्चे का जन्म होता है जो कि एक इन्सान है और उस बच्चे को हम चूड़ा या चमार या पिछड़ी जाति का अथवा अनुसूचित जाति का बना देते हैं। यही हमारी अग्रज पीढी कर रही है। इस संसद में बैठकर सभी राजनीतिक यही कर रहे हैं। आप बच्चे के मस्तिक में जाति की भावना उत्पन्न कर रहे हैं।

आज हमारे अधिकारियों की पत्नी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी की पत्नी ब्रिटेन या अमरीका जाकर 'ब्यूटिशियन' का पाठ्यक्रम कर घर में दुकान खोल सकती है। वह अपने आपको नाई कहलाना नहीं चाहती है। उसे 'ब्यूटिशियन' का सैलून कहा जाता है। लेकिन एक बच्चा जो कि सड़कों पर पैदा होता है उसे चूड़ा या चमार कहा जाता है। ऐसा यह सभा कर रही है। मैं इसे चुनौती दे रहा हूं। इस चाल को बन्द कीजिए। इस जाति प्रथा को बन्द कीजिए, युवा पीढ़ी के दिमाग में जहर बोना बन्द कीजिए। मैं उस दिन का इन्तजार कर रहा हूं जब युवा पीढी जाग उठेगी और उन माता-पिता को, जो कि दस से बारह बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऐसा करने से रोकेगी। इस देश के एक मुख्यमंत्री बड़े गर्व से कहते हैं कि यह उनका दसवां बच्चा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती बिमल कौर खालसा (रोपड़) : क्या कांग्रेस स्कूलों में बच्चों को वर्जीफे नहीं देती रही? उनको आज तक यह कहती रही कि हम गरीबी हटायेंगे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, बिमल और खालसा जी, ऐसे आप बीच में नहीं बोलेंगी। जब आपकी बारी आए, तब आप बोलिएगा। अब आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी : मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब एक बच्चा अपने माता या पिता को दसवें अथवा बारहवें बच्चे को जन्म देने से मना करेगा। आज यह देश की आवश्यकता है। लेकिन ये राजनीतिज्ञ, जिन्हें कि आम लोगों का मार्ग दर्शन करना है, सिर्फ एक और मत

प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि जब बालक 18 वर्ष का हो जाता है तो वह भी मतदान करने का अधिकारी हो जाता है।

हम आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। किसके लिए ? आम जनता में से कितनों को यह आरक्षण दिया जा रहा है ? इस राजनैतिक चाल को बन्द कीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा) : पंजाब के लिए बोलिए।

श्री कमल चौधरी : आप अब कह रहे हैं पंजाब के लिए बोलिए, आपने उन बच्चों को उकसाया है।

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : इसके लिये जवाबदार कौन है ? आपकी 40 साल तक सरकार रही।

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी : इनके पीछे कौन है ?

[हिन्दी]

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : आपकी सरकार ने यह सारी गड़बड़ करवाई है।

श्री कमल चौधरी : आप "तहले पर दहला" करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

जी देश में आज स्थिति पैदा हो गई है, उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे।

[अनुवाद]

देश में जो हो रहा है क्या आप उससे खुश हैं ?

दो दिनों पूर्व मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था। मैंने सुना कि कुछ लड़कों की हालत गंभीर है और उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया था। आप उनका खून पीने वाले हैं। आप उन बच्चों से यह पूछिए। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब बच्चे इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहरायेंगे।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करौल बाग) : आपने अपनी सत्ता को बनाने के लिए बच्चों को गुमराह किया है। 14 साल का बच्चा क्या जाने कि यह क्या होता है। आप अपनी गद्दी के लिए बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। उनको आग में जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी : यदि यह सभा मेरे विचारों को जानना चाहती है तो मैं छात्रों से बन्दूकें उठाने के लिए कहूंगा और आप राजनीतिज्ञों को मार देने के लिए कहूंगा जो कि इस देश पर शासन कर रहे हैं। मैं इस बात में बहुत अधिक विश्वास करता हूं। पंजाब में यही किया गया है। **(व्यवधान)**

ये पंजाब के लड़के ही हैं जो संविधान को चुनौती दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त कौन संविधान को चुनौती दे रहा है ? आपने उनके लिए क्या किया है। इस देश ने उनके लिए क्या किया है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : मेरे पास एक्स-एम. पी. आये कि तुम क्यों उस सत्ता के साथ रहे (व्यवधान)

श्री कमल चौधरी : अपना खाता-पीता है, किसी की भीख नहीं मांगता। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कमल चौधरी जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

श्री कमल चौधरी : यही कारण है कि आज पंजाब में युवाओं ने बन्दूकें उठा ली हैं। मैं विगत पांच वर्षों से इस सभा से अनुरोध कर रहा हूं कि उन लोगों में साथ भी जो कि संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, जिनके हाथों में बन्दूकें हैं और जो हत्यायें करना चाहते हैं। आपको उनके साथ भी बात-चीत करनी चाहिए। उनकी भी कुछ समस्यायें हैं। सिर्फ यही एक तरीका है जिसके द्वारा आप इस स्थिति को टाल सकते है। आज इसकी आवश्यकता है। आपको उनके साथ बात-चीत करनी होगी। मैंने प्रत्येक व्यक्ति से बात की है। वे सिर्फ यह चाहते हैं कि कोई उनके साथ बात करे। इसलिए ही मैं यह कह रहा हूं कि चुनाव कराये जाने चाहिये। चुनाव में कुछ उग्रवादियों के भी निर्वाचित होने की संभावना है। पंजाब विधान सभा में उनका भी कुछ प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि वे छुपकर बन्दूकों द्वारा नहीं बल्कि अपने विचारों को सभा में व्यक्त कर सकें। उनमें से कितने निर्वाचित होंगे ? क्या ये पांच, दस या बीस होगे ? यदि सभी राष्ट्रवादी शक्तियां एक हो जाये तो ये कुछ उग्रवादी निर्वाचित नहीं हो पायेंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस देश में इन राष्ट्रवादी बलों को कितनी शक्ति प्राप्त है। इसी कारण मैं पूरी सभा से और राष्ट्रीय स्तर पर सभी राजनैतिक दलों से एकजुट होने का और पंजाब में आपके दल के लोगों से बात करने का अनुरोध कर रहा हूं। पंजाब में उनके प्रतिनिधि हैं। आतंकवाद के विरुद्ध चुनाव कराने में सभी दलों को एकजुट होना चाहिए। यह चुनाव राष्ट्रवादी शक्तियों और राष्ट्रविरोधी शक्तियों के बीच है। मुझे विश्वास है कि 117 स्थानों में से 80 या 90 राष्ट्रवादी लोग निर्वाचित होंगे और इसकी ही आवश्यकता है।

मैं इस विधेयक का जोरदार विरोध करता हूँ और मैं चाहता हूं कि पूरी सभा इस विधेयक का विरोध करे। अन्त में मैं सरकार से पंजाब में चुनाव कराने का अनुरोध सरकार से करता हूं।

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता का भाषण सुना, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यद्यपि वे पंजाब से चुने गये हैं लेकिन पंजाब की स्थिति के बारे में तो उन्होंने शायद ही 2-4 वाक्य कहे। आज देश की जो यह भयावह स्थिति है

जिसके सम्बन्ध में अभी कुछ देर के बाद यहां पर चर्चा होने जा रही है। केवल उन्हीं बातों का उल्लेख उन्होंने यहां पर किया जोकि एक विषयांतर था। चाहिए यह था कि आज जब पंजाब के संबंध में गृहमंत्री ने विधेयक रखा उसपर वे अपने विचार रखते। श्रीमन् एक परिस्थिति है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि पंजाब में चुनाव स्थगित किया जाए या पंजाब में चुनाव न हो। लेकिन यह आज का सवाल नहीं है, पिछले आठ-दस सालों से यही हुआ है। आज ये कह रहे हैं कि हम पिछले पांच वर्षों से कह रहे हैं कि वहां पर चुनाव हों। सन् 1987 में जिस समय वहां की विधानसभा स्थगित की गई, वहां के चुने हुए मंत्रिमण्डल को बरखास्त किया गया, यह काम किसने किया था? क्या हम लोगों ने किया था? क्या उस समय आपकी पार्टी की हुकूमत नहीं थी? वहां के चुने हुए मंत्रिमण्डल को बरखास्त किया, वहां की विधानसभा को पहले स्थगित किया, कुछ दिन के बाद विधानसभा को आपने भंग भी किया, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। उस समय आपने यह सब कुछ किया, उस समय आपको यह लगा कि परिस्थिति ऐसी नहीं है कि चुना हुआ मंत्रिमंडल काम कर सकेगी उस समय ऐसा लगा कि आपको चुनी हुई विधानसभा अपने कार्यकाल को पूरा न करे इसीलिए आपने उसे भंग करवा दिया। आज आप घड़ियाली आंसू बहाने चले हैं कि चुनाव चाहते हैं। अगर आप चुनाव चाहते तो कांस्टीट्यूशन का 59वां अमैंडमैंट किसने पास करवाया था? आप इस बात को भूल गये। 59वां संशोधन करके समूचे देश से पंजाब को अलग कर दिया और उसमें कहा कि अकेले पंजाब में आपाततात लागू किया जा सकता है। यह काम पिछली सरकार ने ही किया था। इतना ही नहीं आपने चुनावों को स्थगित कराया। स्थिति यह थी कि जब पंजाब में चुनाव हुआ था उसके पहले एक राजीव-लोंगोवाल समझौता हुआ। उस समझौते के बाद वहां पर चुनाव कराये गये। चुनाव में वहां की जनता ने अपनी पसन्द की पार्टी को चुना। हम को याद है कि कुछ दिनों तक वहां जरूर शांति रही क्योंकि जनता ने अपनी पार्टी को चुना था लेकिन उस समय के प्रधान मन्त्री ने जो समझौता किया था उसके साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। उसमें लिखा गया था कि 26 जनवरी को चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जायेगा। उस समय यद्यपि आतंकवादियों ने चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की थी लेकिन जनता ने उनकी बात को नहीं सुना। उन्होंने सोचा था कि चुनी हुई सरकार आयेगी और जो समझौता हुआ है उसे कार्यान्वित किया जायेगा। 26 जनवरी के पहले क्या नाटक किया गया, कभी एक कमीशन बनाया और कभी दूसरा कमीशन बनाया और कहा गया कि फाजिल्का और अबोहर हरियाणा को दिया जायेगा लेकिन चूंकि इस विषय में सबकी राय एक जैसी नहीं थी इसलिये कंदूखेड़ा में जनमत संग्रह कराया गया। वह सब होने के बाद फाजिल्का और अबोहर हरियाणा को नहीं मिल सका इस कारण चंडीगढ़ पंजाब देना मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद और तरह-तरह के नाटक करने शुरू किये गये। एक कमीशन बनाया और उसने कहा कि 70 हजार वर्ग एकड़ जमीन दी जाये हरियाणा को, जिसका कि कोई उल्लेख समझौते में नहीं था, लेकिन इसका भी कोई निदान नहीं हो सका। तब एक कमीशन ऐसा बनाया गया जिसको कहा गया कि वह 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट दे दे। दुनिया में इससे बड़ा मजाक कभी किसी के साथ नहीं हुआ। क्या पंजाब की जनता इस मजाक को कभी भूल सकती है। इतना सब होने के बाद चंडीगढ़ पंजाब को नहीं दिया गया। उसके बाद पंजाब की जनता को ऐसा लगा कि जो समझौता हुआ था वह मानो एक धोखा था, बहुत बड़ा विश्वासघात था। जिस व्यक्ति के लिए आपने बहुत प्रशंसा के शब्द कहे यानी कि बरनाला जी के लिये, वहां की जनता ने और युवकों ने यह समझा कि यह आदमी राजीव गांधी जी की झोली में चला गया, यह आदमी हमको न्याय नहीं दिला सकता, जो समझौता कराया था उससे वह संतुष्ट नहीं हुए और हम भी संतुष्ट नहीं थे लेकिन आप उसके कुछ तो

हिस्से तो लागू कराते जिससे वहां के लोगों को न्याय मिलता लेकिन जानबूझ कर आपने उसकी अवहेलना की। इससे वहां के नवयुवकों के मन में ठेस पहुचो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुरानी बातों को कहना नहीं चाहता हूं। नवम्बर 1984 में दिल्ली में नरसंहार कुछ इन्होंने कराया था जिसकी वजह से आज भी उनके हृदय में ज्वाला जल रही है लेकिन उसके बाद भी आपने उनके साथ विश्वासघात किया और तब आतंकवादियों ने वहां की जनता से कहा कि अब आप हमारे साथ रहें। आपने इस समय हमारी बात नहीं मानी, चुनाव का बहिष्कार नहीं किया इसलिए आपको कुछ भी नहीं मिल सका और चण्डीगढ़ पंजाब को नहीं मिल सका।

हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हम 59वें संविधान संशोधन को रद्द करेंगे, वह हमने रद्द किया। हम चुनाव कराना चाहते थे लेकिन आपके पापों के कारण स्थिति ऐसी बनी कि अभी तक वहां की स्थिति में ऐसा परिवर्तन नहीं हो सका कि वहां निष्पक्ष और निर्भिकता के साथ स्वतंत्र रूप से चुनाव कराये जा सकें इसलिए हमको 64वां संविधान संशोधन लाना पड़ा। उसमें आपने हमें सहयोग दिया। आप भी समझते थे कि चुनावों के लिये उपयुक्त वातावरण नहीं है। उस समय पंजाब के सभी प्रतिनिधियों को वहां के राज्यपाल ने बुलाया था और कांग्रेस ने यही सुझाव दिया था कि यह चुनाव कराने की परिस्थिति नहीं है। उसी कारण से आपने उसका वहां भी समर्थन किया। और चुनाव 6 महीने के लिए स्थगित किये गये। हम लोगों ने सोचा था, इस बीच में परिस्थिति बदल जायेगी और हमारी सरकार ने उस परिस्थिति में सुधार लाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक किया, प्रधानमंत्री जी दो-तीन बार वहां गये, इससे वहां की जनता के मन में एक विश्वास जागा, वहां के नवयुवकों का हृदय बदला है लेकिन बार-बार कांग्रेस पक्ष की जो वहां हरकतें होती रहीं। यहां सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, इस समस्या के लिए, जो कि एक राष्ट्रीय समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। देश की सीमा पर स्थित यह प्रान्त है, यहां की स्थिति को सम्भालने के लिए सबका सहयोग मिलना चाहिए। पहले इस सर्वदलीय बैठक में गए लेकिन अन्तिम प्रस्ताव जब बनने लगा तो ये उससे अलग हो गये। इन्होंने उसका बहिष्कार किया, वहां की स्थिति को सुधारने में कभी भी इनकी तरफ से सहयोग नहीं मिला। इसके कारण वहां की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। अब सरकार भी 6 महीने में वह व्यवस्था नहीं कर सकी कि वहां एक निर्भीकता का वातावरण बन पाये, क्योंकि, इतने दिनों का पाप है। एक कहावत कही जाती है कि जन्म भर का कोढ़ एक रविवार में नहीं जाया करता। इतना प्रयास करने के बाद अभी परिस्थिति अनुकूल नहीं हो पाई। सरकार उसके लिए प्रयत्नशील है। अभी हमारे प्रधान मन्त्री जी ने जाकर यह घोषणा की कि वहां के एक लाख नौजवानों को काम दिया जायेगा, क्योंकि, एक बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और हम लोग यह जानते हैं कि बेरोजगारी के कारण आतंकवाद पनपता है। उस आतंकवाद का सामना करने के लिए, उससे पंजाब को मुक्ति दिलाने के लिए यह एक बड़ा कारगर तरीका है कि एक लाख नौजवानों को काम देने का वचन दिया गया है, उसकी व्यवस्था वहां पर हो रही है लेकिन इसके लिए थोड़ा-सा समय लगेगा ··

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : इसलिए आज यह आवश्यकता उठी कि अभी हम यह अवधि और बढ़ायें, क्योंकि, अगर यह अवधि नहीं बढ़ती, अगर संविधान में यह संशोधन नहीं होता तो

पंजाब में संविधान से/के संकट उत्पन्न हो जाएगा। चुनाव को 10 नवम्बर से पहले करना पड़ेगा। लेकिन कमल जी, आप अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछिये, मुझे आपके प्रति स्नेह है, आपके स्वर्गीय पिताजी मेरे बहुत बहुमूल्य साथी रहे हैं इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गलत लोगों के बहकावे में मत आइये, अ ने ही नेताओं के, जिन्होंने देश को उजाड़ा, पंजाब को उजाड़ा, पंजाबियों के साथ विश्वासघात किया। आप स्वयं अपने हृदय पर हाथ रखकर बताइये, क्या वहां स्थिति ऐसी है कि निष्पक्ष चुनाव वहां हो सकें, स्वतन्त्रतापूर्वक लोग वहां मतदान कर सकें। मैं समझता हूं वहां लगभग आधे से अधिक जनसंख्या ऐसी है जो कि निडर होकर, निर्भीकतापूर्वक अपने मत का उपयोग आज की परिस्थिति में नहीं कर सकेगी इसलिए आज उस परिस्थिति को किसी तरह से संभालना है। जैसा मैंने कहा, नवयुवकों को काम देने का सवाल है, प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम पंजाब की पदयात्रा करेंगे, वहां के नवयुवकों के हृदय में आशा और विश्वास की भावना जगेगी और वह हिंसा का रास्ता छोड़ेंगे, निश्चित रूप से छोड़ेंगे, हमको इस पर विश्वास नहीं कि वहां फौज को भेजकर, बन्दूक की नोंक पर नवयुवकों का दमन किया जाय और इस तरह से हम परिस्थिति को संभालने का प्रयास करें। वहां वातावरण को सुधारने के लिए हम दमन का सहारा नहीं लेना चाहते पर शान्तिपूर्ण तरीकों का, लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करना चाहते हैं। अभी गृहमंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी वहां पर गये, एक-एक प्रखण्ड में सरपंचों का सम्मेलन बुलाया, अभी सब जगह वह नहीं हो पाया है, वह प्रक्रिया चल रही है जिससे लोगों के मन में, लोगों के मस्तिष्क में भय का वातावरण मिटे लेकिन लोग उम्मीद रखें कि पंजाब के साथ न्याय होगा इसलिए अभी कुछ समय की आवश्यकता है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम यह नहीं चाहते कि चुनाव अनिश्चितकाल तक के लिए रोक दिया जाय, उन्होंने यह भी कहा है कि 6 महीने का जो समय ले रहे हैं, यह आवश्यक नहीं कि 6 महीने के बाद ही चुनाव कराये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : टाइम बहुत थोड़ा है, सब लोग बोलने वाले हैं। समाप्त कीजिए।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मैं बहुत जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि माननीय प्रधान मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि यह आवश्यक नहीं कि पूरे 6 महीने तक विधान सभा के चुनाव न हों, उसके पहले ही चुनाव की तिथि निश्चित की जा सकती है। जैसे ही यह विश्वास हो जायेगा, चुनाव का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है, निर्वाचन का कि हर व्यक्ति बिल्कुल निर्भय होकर स्वतन्त्रतापूर्वक स्वेच्छा से मतदान करे। ऐसा कोई वातावरण वहां नहीं होना चाहिए, जिससे वहां लोगों को स्वतन्त्र रूप से मतदान करने में कोई बाधा पहुंचे। इसलिए समय की आवश्यकता है कि वहां वातावरण बनाया जाये। आज आप चाहे कुछ भी कहें, पंजाब की जनता यह चाहती है, सभी राजनीतिक दल यह चाहते हैं और यद्यपि, आपने निश्चित रूप से अभी नहीं कहा है, लेकिन कमल जी आपने भी कहा है और अभी आपके नेता राजीव जी ने स्पष्ट कहा है कि पंजाब के सवाल पर वे हम लोगों के साथ कोआपरेट करेंगे। इसका मतलब यह है कि वे भी यह जानते हैं कि पंजाब की स्थिति ऐसी नहीं है। आप यह मत सोचिए कि जनता दल यह बात सीटों के लिए कह रहा है कि पंजाब में चुनाव कराये जाएं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता दल को सीटें मिले या न मिले, लेकिन आपने बहुत गलत सोचा है।

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप कन्क्लूड कीजिये, और भी बहुत से लोग बोलने वाले हैं।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : हमारे सामने यह सवाल नहीं है, हमको सीट मिले या न मिले

और भारतीय जनता पार्टी के सामने भी यह प्रश्न नहीं है तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सामने भी यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि लोकतन्त्र जीवित रहे और लोकतान्त्रिक तरीके से वहां पर चुनाव हो सकें। यह सवाल हमारे सामने है और यह प्रश्न आपके सामने भी है तथा हृदय से आप इस बात को जानते हैं। हमारे सामने एक ही बात है, चाहे आप कुछ भी कहें, हम सही मार्ग पर चलना चाहते हैं।

"निन्दनतु नीति निपूणाः, यदि वास्तुवन्तु।
लक्ष्मी समाविरतु, गच्छतु वा यथेष्टम् ॥"

नीति-निपूण चाहे निन्दा करें, नीतिज्ञ लोग चाहे निन्दा करें और लक्ष्मी आए या चली जाए, हमको सीट मिले या न मिले—इसकी कोई चिन्ता नहीं है।

"अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरेवा।"

आज हमारी मृत्यु हो जाए, चाहे युगों के बाद हो, और

न्यायात् पथः प्रविचलन्ति, पदमनः धीराः।"

धैर्यवान लोग, न्याय मार्ग से, उचित मार्ग से अपने पैर पीछे नहीं हटाते हैं। न्याय और उचित मार्ग पर चलना चाहते हैं और सबके साथ न्याय करना चाहते हैं। उसका तकाजा यह है कि चुनाव हों और लोगों के मन से भय मुक्त हो। ऐसा वातावरण तैयार किया जाए, ताकि वहां स्वतन्त्र रूप से चुनाव हो सकें। इसी उद्देश्य को लेकर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसलिए मैं पूरे सदन से आग्रह करता हूं, कांग्रेस दल से भी आग्रह करता हूं कि पंजाब की स्थिति को देखते हुए, देश के ऊपर जो तरह-तरह के संकट हैं, उनको देखते हुए, देश के ऊपर जो तरह-तरह के संकट हैं, उनको देखते हुए, इस विधेयक का समर्थन करें। आज भी पाकिस्तान वहां के आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर हथियार दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या वहां चुनाव उपयुक्त होगा, इस पर विचार करना है और इन सारे संकटों से मुक्ति दिलानी है। पंजाब के अन्दर जो संकट है, उस संकट को दूर करके शीघ्रातिशीघ्र चुनाव वहां कराए जाएं। इसी उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और इसमें आप सबका समर्थन चाहते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. प्रेमकुमार धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र में समय पर चुनाव न होना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, परन्तु स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने के लिए परिस्थितियां तैयार हों, यह बहुत आवश्यक है।

इसी सदन में छः महीने पहले यह प्रस्ताव आया था कि राष्ट्रपति राज की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जाए, रात को यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और प्रातःकाल होते-होते अवधि छः महीने की हो गई—वे क्या परिस्थितियां थी ? आज मुझे वह दिन याद आ रहा है, जब सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि इसी छः महीने की अवधि में चुनाव करा दिए जायेंगे, परिस्थितियां सुधर जायेंगी, लेकिन छः महीने में परिस्थितियां सुधरी नहीं हैं बल्कि और अधिक बिगड़ी हैं। प्रधानमन्त्री जी ने ठीक किया कि वे पंजाब गए और वहां का दौरा किया तथा पदयात्रा की घोषणा कर दी। लेकिन प्रधानमंत्री जी पदयात्रा तो पंजाब में करनी थी, रोहतक में भूतपूर्व मुख्यमंत्री अस्पताल में पड़े हैं, उनको आप देखने तक नहीं जा सके। परिस्थितियां किस तरह से

बदल रही है और आप हवाई जहाज से आते हुए घोषणा कर रहे हैं कि आप पंजाब में छः महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ायेंगे और इसी के साथ चुनाव की तिथि भी घोषणा कर देंगे। यह निश्चित बात आज आप कह रहे हैं, लेकिन पंजाब की परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वहां चुनाव करवाए जा सकें।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ऐसा विश्वास है कि जो तिथि आप आज घोषित करेंगे या कुछ दिनों में घोषित करने वाले हैं, क्या तब तक आप परिस्थितियां ठीक कर लेंगे ? क्या आपको अपने ऊपर इतना विश्वास है कि वहां परिस्थितियां 3,4,5 या 6 महीने में इम्प्रूव हो जायेंगी ? अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि पंजाब की समस्या यदि बिगड़ी है तो अनावश्यक घोषणाओं के कारण बिगड़ी है, जो राजनीतिज्ञ लोग बिना ईमानदारी के घोषणा कर देते हैं, झूठी घोषणा कर देते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते हैं उनके कारण पंजाब की समस्या अधिक बिगड़ी है। अगर आज पंजाब का नौजवान दुखी है तो वह आपकी घोषणाओं के कारण से। भाजपा, वामपंथी दल चुनावों का विरोध करते रहे। हमने कहा कि परिस्थितियां ऐसी पैदा करो, मेरे माननीय मित्र ने कहा कि भाजपा को वहां सीट नहीं मिलेगी, कम्युनिस्टों को 3-4, उग्रवादियों को 15-20; मैं तो चाहता हूं कि वहां ऐसी परिस्थितियां पैदा करो इसमें चाहते सारी सीटें एक पार्टी ले जाये लेकिन पंजाब के लोग ईमानदारी से निर्भय होकर वोट दे सकें। आप जब मर्जी चुनाव कराओ, आप 6 महीने की बात क्यों करते हो, चाहे आप कल ही चुनाव कराओ लेकिन परिस्थिति ऐसी पैदा होनी चाहिये कि लोग निर्भर होकर वोट दे सकें। (व्यवधान) एक आर्टीकल जो उन्होंने पढ़ा, मैं इसमें से थोड़ा सा कोट करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि :-

[अनुवाद]

"पूर्व का शासन भ्रष्ट था। वर्तमान शासन अयोग्य है।" मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे समय को सीमित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं यह कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां पहले से ज्यादा भयंकर हैं। 1989 में जो एस के के 47 रायफल का जिक्र किया गया था कि यह कितनी है जो अनुमान है उसके अनुसार 6 सौ, पौने 6 सौ के लगभग दिया गया था, आज जो अनुमान है वह लगभग 17 सौ ए के-47 रायफल का है। 6 सौ के लगभग आप पकड़ चुके हैं तो आप क्या समझते हैं कि जब पौने छः सौ रायफल थी तब चुनाव नहीं हो सकता था और अब 1700 हो गई तो आप कर लेंगे।

प्रधानमन्त्री महोदय यहां बैठे हैं अपने चुनाव घोषणा पत्र की बहुत सी बातें जल्दी में लागू कर रहे हैं। एक बात जो उन्होंने कहीं मुझे आशा थी कि कमल चौधरी जी इसको उठायेंगे। मैं प्रधानमन्त्री जी से पिछले सत्र में यहीं पर मिला था—वन रेंक वन पेंशन, पंजाब में बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक जो देश की रक्षा के लिये तैयार हैं, जो हर क्षेत्र में सहयोग देने के लिये तैयार हैं। प्रधानमन्त्री जी फिर क्या हो गया, आप पिछले कुछ दिनों से इतने खामोश क्यों हो गये ? क्यों नहीं आप उन भूतपूर्व सैनिकों को जवाब देते जिन्होंने देश की सेवा की है और जो आज भी देश की सेवा करने के लिये तैयार हैं।

प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसपर हम लोगों ने काफी एक्स सर्विसमैन आर्गेनाइजेशन

से भी बात की है, इसमें 85 परसेंट तक काम करीब-करीब फाइनल हो चुका है और जो थोड़ा सा बाकी है उसको भी हम लोग हल करेंगे। (व्यवधान)

प्रो. प्रेम कुमार धूमाल : प्रधानमन्त्री जी ने जो जवाब दिया, इसके लिये मैं प्रधानमन्त्री जी को धन्यवाद करता हूँ। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : कोई भी निर्णय लेने से पूर्व आपको, यदि कांग्रेस दल के साथ नहीं, तो अपने हितैषी दलों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए। यह हमारा अनुरोध है।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम कुमार धूमाल : मैं सन्तोष मोहन देव जी से प्रार्थना करूंगा कि एक्स सर्विसमैन के मामले में पार्टी का इशु मत लाइये। एक ही चिन्ता मुझे सता रही है कि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम एक रुपया दिल्ली से भेजते हैं, उसमें से 15 पैसे गांव में पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में ही खा जाते हैं। ये 15 और 85 पैसे वाला जो आंकड़ा है, कुछ गड़बड़ाने वाला है। कृपया इस दूरी को खत्म करिये। एक और बात जो मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, वह है देश सेवा के आधार पर सेना में जो भर्ती होती थी वह जनसंख्या के आधार पर कर दी गई है। पंजाब का नौजवान सेना में भर्ती होना चाहता है, वे अर्द्ध-सैनिक बलों में भर्ती होना चाहता है। उसे एम्प्लायमेंट देने के लिये आपने पापुलेशन को आधार बनाया है उसको समाप्त करिये।

1.00 म० प०

उसको फौज में, अर्द्धसैनिक बल में भर्ती होने का मौका दीजिए, वह देश को सेवा में आगे आएगा, वह हथियार उठाना जानता है, देश के लिए लड़ना जानता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। सीमा सुरक्षा पट्टी अभी मात्र 120 किलोमीटर बन पाई है और 280 किलोमीटर बाकी रहती है। मुझे पता लगा है कि पंजाब लोक निर्माण विभाग ने आफर किया था कि हम इस पट्टी को बना देंगे लेकिन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने उनके आफर को नहीं माना। मेरी सरकार से प्रार्थना कि सीमा सुरक्षा पट्टी का काम वहां पर शीघ्र पूरा किया जाए। (व्यवधान)

पंजाब की बात हो रही है, आपकी समझ नहीं आती तो आप चुप कर के बैठ जाइए

(व्यवधान)

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि चुनावों का तो हम स्वागत करते हैं, जब भी चुनाव हों, लोगों की चुनी हुई सरकार आए और लोगों की समस्याओं को हल करे, लेकिन जो बात कही जा रही है कि एक तिथि निश्चित कर दी जा, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि तिथि निश्चित मत करिए, आप परिस्थिति निश्चित करिए, चुनाव ठीक ढंग से हो सकें, ऐसी परिस्थिति वहां पर पैदा होनी चाहिए।

मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का जो प्रस्ता

आया है, उसका समर्थन करता हूँ और सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि आने वाले इन 6 महीनों में आप कौन कौन से ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं, जिससे वहां की स्थिति सुधरेगी, ला एण्ड आर्डर की स्थिति सुधरेगी और वहां पर निष्पक्ष और स्वतन्त्र चुनाव हो सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, अब सातवीं बार पंजाब में हम राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ा रहे हैं। हमने अनेकों बार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ायी है। पिछली निर्वाचित विधान सभा भंग की जा चुकी है। इस प्रकार वहां की निर्वाचित सरकार की, विधान सभा को भंग करके जो गलती की है, उसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस कारण वहां लगातार राष्ट्रपति शासन चला आ रहा है और हम वहां चुनाव नहीं करा पाये हैं तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्थापना नहीं कर पाये हैं। यह स्थिति बहुत सन्तोषजनक नहीं है। यदि उस समय यह गलती नहीं की जाती तो हमें इस सभा में अब सातवीं बार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का मुद्दा नहीं उठाना पड़ता।

पिछली बार भी चर्चा के दौरान हमने मांग की थी कि हमें आपकी ओर से विधान सभा की बहाली की पूरी कोशिश करनी चाहिए और मुझे स्मरण है कि अनेक लोगों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया ? जब हम सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्थापना के पक्ष में थे और दूसरी ओर जब हमने विधि की प्रक्रिया द्वारा विधान सभा की बहाली की मांग की थी तो किस प्रकार कुछ लोगों ने ऐसी मांग की थी, मैं नहीं समझ पाया हूं। यह कोई बहुत सन्तोषजनक बात नहीं है कि हम पुनः पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ा रहे हैं। यह पंजाब के लिए एक स्थायी जरूरत नहीं बन सकती है। आज या कल वहां चुनाव होना ही है। लेकिन विवादास्पद बात यह है कि क्या वास्तव में हम इस बढ़ायी गयी अवधि का उपयोग, वहां इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने में कर रहे हैं, जिससे कि वहां स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जाना संभव हो सके। क्या सरकार द्वारा और देशभक्त राजनैतिक दलों द्वारा बढ़ायी गयी इस अवधि का उपयोग आतंकवादियों के विरुद्ध संघर्ष में लोगों को संगठित और प्रेरित करने में किया जायेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस देश में कोई भी, कतिपय लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय के रूप में चुनाव को स्थगित करने का तरीका नहीं अपना सकता है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। चुनाव होने ही हैं। लेकिन हमें यह जानने के लिए, स्वयं विश्लेषण करना होगा कि विगत समय में हमने क्या गलतियां की हैं, विगत में समय का सही उपयोग करने में हम किस प्रकार असफल रहे और भविष्य में हमें क्या करना चाहिए।

अब, यदि हम पुनः छः महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाते हैं और पुनः हम उसी प्रकार निष्क्रिय बैठे रहते हैं, जिस प्रकार हम विगत में निष्क्रिय रहे, तो इस अवधि को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। इससे स्थिति और भी बदतर बन जाएगी। यह सिर्फ एक तिथि निर्धारित करने का प्रश्न नहीं है। वास्तव में मसला यह है कि समय का किस प्रकार बिल्कुल सही-सही उपयोग किया जाए।

हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, जो यह समझते हैं कि उस पंजाब समझौता का, जिस पर हस्ताक्षर हुए थे, पंजाब की वर्तमान स्थिति में कोई औचित्य नहीं है और पंजाब समस्या के निदान में उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते हैं। हमारे विचार में, इस पंजाब समझौते के जरिए हम उन लोगों से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं,

जिन्हें इस समस्या के निदान के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उनमें से अधिकांश लोग राष्ट्र-भक्त हैं। पंजाब के 90% या उससे भी अधिक लोग राष्ट्रभक्त हैं। वे खालिस्तान के समर्थक नहीं हैं। लेकिन उन्हें केन्द्र सरकार पर भी भरोसा नहीं है। (व्यवधान) उनमें से 99% लोग। मैं अपने कथन में शुद्धि करता हूं।

मैं इस बात का समर्थक हूँ कि पंजाब समझौते के उपबन्धों पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। सम्बद्ध राजनैतिक दलों के साथ उचित विचार-विमर्श कर सरकार को एक ठोस निर्णय लेना है। आज या कल, यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन चंडीगढ़ के अन्तरण के सम्बन्ध में सरकार को अपने निर्णय की घोषणा करनी ही पड़ेगी। इस सम्बन्ध में हमें अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिए। जल सम्बन्धी विवाद पर हमें निर्णय लेना है। इस विवाद को हम एक न्यायाधिकरण को सौंप सकते हैं। यह परामर्श हम लम्बे समय से दे रहे हैं। फिर हमें क्षेत्र संबंधी विवाद के बारे में कतिपय निर्णय करने हैं। फिर कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जिन्हें हम इस सभा में समय-समय पर दोहराते रहे हैं, जैसे कि 1984 के दंगों के दोषी व्यक्तियों को सजा देना। इस प्रकार ये सभी मुद्दे गम्भीर हैं। इन्हीं सब बातों से समाधान ढूंढने का एक आधार तैयार हो सकता है।

एक अन्य बात, जिस पर हमें बहुत ही गम्भीरता से विचार करना है, वह सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही ज्यादतियों अथवा नौकरशाही द्वारा स्थिति को गलत ढंग से सम्भालने से सम्बन्धित है। वहां हमें कुछ अंकुश लगाने होंगे। पंजाब में आतंकवादियों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले सुरक्षा बलों की हम पूरी तरह से सराहना और प्रशंसा करते हैं। लेकिन कुछ अवांछित घटनायें भी हो सकती हैं। कुछ ज्यादतियां की गयी हैं। इन बातों से हमें मदद नहीं मिल रही है। उन पर एक उचित अंकुश लगाना होगा। इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर की एक ऐसी समिति गठित की जाए जिसमें राजनीतिक दलों, व्यापार और वाणिज्य तथा अन्य व्यवसाय के प्रतिष्ठित लोगों को शामिल किया जाए। इस समिति का आकार अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ कुछ जन-संस्थाएं भी गठित की जानी चाहिए। ऐसे संगठनों को कुछ अधिकार भी दिये जाने चाहिए, ताकि प्रशासन सम्बन्धी कतिपय मुद्दों पर, आर्थिक विकास के कुछ पहलुओं पर वे जो कुछ विचार-विमर्श करें, और जिस पर उनका मतैक्य हो, उसे राज्यपाल द्वारा लागू किया जा सके। हमें कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं होने देनी चाहिए, जिस पर कोई अंकुश न हो, जिस पर कोई निगरानी न रखी जा सके या जिस पर कोई चर्चा न की गई हो। पंजाब में जिला-स्तर पर, न केवल राजनीतिक दलों, बल्कि पंचायत से सम्बद्ध लोगों को प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वे सक्रिय लोग हैं। यह मैं और हम सभी जानते हैं। आर्थिक प्रक्रिया में उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है और इस परामर्श पर बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि पंजाब के लोगों के लिए, युवा लोगों को रोजगार प्रदान करने के रूप में किसी एकमुश्त आर्थिक सहायता की व्यवस्था करनी होगी। यह बहुत ही आवश्यक है।

यदि हम सब ये उपाय कर सकें, तो मेरे विचार से लोगों के मन में जो भय समाया हुआ है, अर्थात् यह कि चुनावों को आगे बढ़ाये जाने तथा स्थगित करने से और अलगाववाद पैदा होगा, उस बारे में मेरा यह मानना है कि इससे अलगाववाद पर दस गुनी अधिक क्षमता से काबू

पाया जा सकता है। यदि आप वास्तव में इस समय का उपयोग उन लोगों को संगठित करने में लगाएं, जो देशभक्त हैं। जो उग्रवाद के विरुद्ध हैं तथा उनसे सम्पर्क बनाने का प्रयत्न करें, तभी मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

दूसरी बात, जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सही संकेत जाना चाहिए। सरकार को किसी एक या दूसरे व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। इससे निराशा होगी। आपको लगेगा कि अमुक आपकी सहायता करने वाला है। लेकिन, दूसरे ही दिन आप यह पाते हैं कि वह आपकी सहायता नहीं कर रहा है। इसलिये किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं दौड़ें। आप आम लोगों तक पहुंचने का प्रयास करें। इस प्रकार, मेरे विचार से वे सभी राजनीतिक पार्टियां, जो संविधान के अनुसार चलती हैं, जो देश के सबसे अधिक हित में हैं, उन्हें मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ना चाहिये और इसके लिये हल्के-फुल्के तौर पर प्रयास नहीं करना चाहिए। इस सरकार ने पंजाब के लोगों के बीच सम्मानजनक साख बनाई है। प्रधानमन्त्री द्वारा वहां की यात्रा से लोगों में उत्साह जाग्रत हुआ है। अत. हमें इस समस्या को हल करने के लिये इस अवसर का उपयोग करना चाहिये। हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि हम उन लोगों को एकजुट करें जो देशभक्त हैं और फिर उन्हें आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने को प्रेरित करें। हमें यह याद रखना चाहिए कि पंजाब समझौता होने के बाद, आतंकवाद की परवाह न करते हुए बहुत से लोगों ने उसका समर्थन किया और चुनावों की मांग की समझौते के प्रावधानों का सम्मान करते हुए तथा कतिपय अन्य उपायों से उस स्थिति को फिर से बहाल करना होगा।

कुछ बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं। मेरे पास यहां मान-पार्टी (अकाली दल) द्वारा श्री क्लार्क को दिये गए ज्ञापन की 2 प्रतियां हैं। मैं समझता हूं कि इसके बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। उन्होंने आत्म-निर्णय का अधिकार मांगा है। मेरे पास दैनिक 'जगवाणी' दिनांक 15 सितम्बर, 1990 की एक प्रति है। इसमें आतंकवादी नेताओं के साक्षात्कार प्रकाशित हुए हैं। उनका कहना है कि वे चुनावों में भाग लेंगे और अपने लोगों को जीता कर विधान सभा भेजेंगे। शपथ ग्रहण के पश्चात्, वे खालिस्तान की घोषणा करेंगे। क्या हम ऐसा होने देंगे ? वास्तव में यह इस राज्य के लिये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और यहां के लोग आतंकवाद से उब गए हैं। अपनी अक्षमता के कारण, हम लोगों को एकजुट करने में तथा आतंकवाद को परास्त कर लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने में असफल रहे हैं। इसलिये इन छह महीनों का उपयोग इस कार्य के लिये किया जाना चाहिए। इस अवधि में आपको ऐसे कतिपय कदम उठाने चाहिये, जिनसे आतंकवादियों को जनसाधारण से अलग किया जा सके। उन लोगों का पर्दाफाश किया जाना चाहिये, जो विदेशी तत्वों से सांठ-गांठ कर देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार पंजाब में आगामी चुनाव कराने के लिये हर उचित कदम उठाएगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम के अनुसार हम लोगों को यह चर्चा 2.30 मध्यान्ह पश्चात् तक पूरी करनी है और उस पर मतदान करना है। इसलिये मेरे विचार से हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये और जहां तक हो, हम संक्षेप में ही अपनी बात कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं सहयोग करने का प्रयास करूंगा। लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि आपने किसी को टोका नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह सुझाव दे रहे हैं कि मैं सदस्यों को टोकूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरी पार्टी निश्चय ही इस संशोधन के समर्थन में मतदान करेगी। लेकिन हम इसकी भावना से सहमत नहीं हैं। यदि हम इसकी भावना को ध्यान में रखकर मतदान करें, तो हमें इसके विरुद्ध मत देना पड़ेगा। क्यों ? चूंकि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की बार-बार खुराक देना घिसी-पिटी बात हो गई है और यदि हम इन्हीं पुरानी बातों को दोहराते रहे तो स्थिति में परिवर्तन लाने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। मैं अपने युवा मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी के विचारों से सहमत हूं। मैं प्रेस के लोगों से जो ऊपर बैठे हुए हैं यह निवेदन करता हूं कि वे इस पर थोड़ा ध्यान दें, न कि ''।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उनका उल्लेख नहीं करना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें ऐसा आभास नहीं देना चाहिए, जैसा कि वे लगातार दे रहे हैं कि विपक्षी दल विशेष तौर पर दोनों साम्यवादी दल चुनावों के बिल्कुल विरुद्ध हैं; भाजपा के समान वे भी किसी भी स्थिति में चुनाव नहीं चाहते। और वे कहते हैं कि क्योंकि भाजपा और वामपंथी दल इस प्रकार का रवैया अपना रहे हैं, प्रधानमन्त्री के पास राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। यह हमारा रुख नहीं है। पंजाब की वर्तमान स्थिति में चुनाव कराये जाने में जितने गम्भीर खतरे, और कठिनाइयां हैं हम उनसे भली-भांति परिचित हैं। इस बारे में कोई शक नहीं है। मैं अधिक विस्तार से नहीं जाना चाहता। हर व्यक्ति जानता है कि क्या स्थिति है। किन्तु आप एक तरफा रवैया नहीं अपना सकते। और दूसरी ओर क्या हुआ है ? राष्ट्रपति शासन के कारण लोगों में अलगाव की भावना पैदा हो रही है, लोगों ने ऐसा महसूस करना आरम्भ कर दिया है कि यह उनके लिए हमेशा रहेगा और उन्हें प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का कभी अवसर नहीं मिलेगा। यह बात सिक्खों, हिन्दुओं और सब पर लागू होती है। हम वहां पर आम लोगों की सुरक्षा के प्रति बहुत चिन्तित हैं, मेरे विचार में, वास्तव में अब आतंकवाद के सबसे अधिक शिकार सिक्ख हैं। सभी लोग दो ओर की गोली-बारी में फंसे हुए हैं जिसमें से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक ओर आतंकवादियों की गोलियां हैं और दूसरी ओर सुरक्षा बलों, विशेषकर पंजाब पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियां हैं। हम जानते हैं वे क्या कर रहे हैं। हम इस तथ्य को क्यों छिपाएं ? आप वहां किसी से भी बात करें आपको मालूम हो जायेगा। इसलिए राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के साथ-साथ अन्य उपायों को न किए जाने से स्थिति में कोई सुधार नहीं आयेगा। हम इस प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के पक्ष में हैं, किन्तु इसके लिए कम से कम सभी बड़े दलों में एक सहमति और उनके सहयोग की आवश्यकता है। इसके बिना, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए, हम जो संवैधानिक संशोधन पेश कर रहे हैं उसे इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि इससे प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पर एक और रोक लगाई जा रही है। इसे एक चुनौती के रूप में एक अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए जो छः महीनों या छः महीनों से कम के लिए है। कुछ उपाय करने के लिए, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया की पहल करने के लिए और स्थिति को सुधारने के लिए ताकि अगली बार

चुनाव कराए जा सकें, हमें छः महीनों तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान स्थिति में, मैं इस तथ्य से परिचित हूं कि यदि सरकार एकदम से कहे कि हां, अब राष्ट्रपति शासन नहीं होगा और हम छः महीनों या छः महीनों से पहले चुनाव करा लेंगे, तो पंजाब में उन पर कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए, मैं प्रधान मन्त्री से निवेदन करता हूँ, यदि वे उचित समझते हैं तो सरकार की ओर से, यहां सदन में वे कुछ सकारात्मक, ठोस और विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त करें और यह स्पष्ट करें कि वे इस समय पर चुनाव करा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वे तारीख बताएं क्योंकि तारीख निश्चित करने का अधिकार उनका नहीं है। यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। किन्तु यह विशेष तौर पर स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि तीन महीनों, चार महीनों या पांच महीनों में चुनाव कराए जायेंगे और इस अन्तराल में कुछ ठोस कदम उठाये जायेंगे। जो पिछली बार उन्होंने बिल्कुल नहीं उठाए। उन्होंने राष्ट्रपति शासन को और आगे बढ़ा दिया और घर जाकर सो गये। इस प्रकार स्थिति बदतर हो रही है, इसमें सुधार नहीं हो रहा। और पंजाब में कोई भी नहीं है, लोगों का कोई प्रतिनिधि नहीं है जिसके पास कोई जा सके। अपने कष्ट या अपने प्रतिनिधित्व लेकर कोई किसके पास जा सकता है जब वहां कोई है ही नहीं? वहां पर पुलिस का शासन और नौकरशाही शासन चल रहा है। इन लोगों का इसमें एक निहित स्वार्थ छिपा है कि यह स्थिति ऐसे ही चलते रहे क्योंकि निर्दोष व्यक्तियों से धन ऐंठने का यह एक तरीका है। दोनों ओर के लोग यह कर रहे हैं। सीमा-पार चल रहे नशीली दवाओं के बड़े धन्धे से लाभ कमाने का भी यह एक तरीका है। हर व्यक्ति यह जानता है। बेशक, मैं इस बात से सहमत हूं कि सीमा को शत-प्रतिशत सील नहीं किया जा सकता। किन्तु इस सदन में हमें कई बार यह आश्वासन दिया गया था कि सीमा पर काफी बड़े क्षेत्र पर बाड़ लगा दी गई है और जो क्षेत्र बचा हुआ है, अब उस पर भी बाड़ लगा दी जाएगी। किन्तु हम अब भी यह नहीं जानते कि इसे कब पूरा किया जायेगा। सीमा के आर-पार आतंकवादियों की गतिविधियां जारी हैं। मुझे विश्वास है कि ए. के. 47 की जितनी संख्या पंजाब में दो वर्ष पहले थी उससे पांच से दस गुना अधिक इस समय उपलब्ध है। सब कहां से आ रहा है? इसलिए, मेरे विचार में, बिना कुछ ठोस उपायों की घोषणा किए, कि ये छः महीने या पांच महीने इन उपायों को अपनाने में व्यतीत किए जाएंगे, किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा और राष्ट्रपति शासन की इस अवधि की समाप्ति पर हम स्वयं को वापिस उसी जगह पर पाएंगे। हमारे सामने फिर वही दुविधा होगी। यह एक दुविधा है। यह दुविधा हम सबके लिए है, हमें इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि यदि हम चुनाव कराते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा खतरा है। यदि हम चुनाव नहीं कराते और राष्ट्रपति शासन के पक्ष में जाते हैं तो मेरे विचार में स्थिति बदतर हो जाएगी। मुझे इस बात से कोई डर नहीं है कि सभी स्थान आतंकवादियों के उम्मीदवारों द्वारा हथिया ली जाएंगी और नई पंजाब विधान सभा तुरन्त स्वतन्त्रता की घोषणा कर देगी, इत्यादि। मैं इससे चिन्तित नहीं हूँ क्योंकि मेरे विचार में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सहमत हूं, श्री कमल चौधरी इस समय यहां पर नहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने एक ही तर्कसंगत बात कही थी, कि वे सभी दल जो आतंकवाद के विरुद्ध हैं, जो देश की एकता, राष्ट्रीय अखण्डता और शान्ति और सामान्य स्थितियों की पुनः स्थापना के पक्ष में हैं—इस समय हमें अन्य मुद्दों की परवाह नहीं करनी चाहिए, कई मुद्दों पर हमारे मतभेद होंगे, किन्तु इन तीन या चार विषयों पर हम सहमत होंगे, सभी दल सहमत होंगे। यदि वे किसी आपसी समाधान पर पहुंच जाते हैं—इसमें कांग्रेस, भाजपा, वामपन्थी दल, सभी शामिल हैं—यदि वे किसी आपसी समाधान पर पहुंच जाते हैं और चुनावों में एक साथ खड़े हो जाते हैं, मैं नहीं सोचता कि आतंकवादी उम्मीदवार सभी

सीटें ले जाएंगे; और उनमें से शायद कुछ स्वाभाविक रूप से निर्वाचित हो जाएंगे क्योंकि पुलिस ज्यादतियों की वजह से उनके साथ जो हो रहा है उससे लोगों को सहानुभूति है किन्तु वे बच नहीं सकते, उन्हें विधान सभा में जाकर भारतीय संविधान के अधीन शपथ लेनी पड़ती है और यदि वे स्वतन्त्रता की या कोई और घोषणा करते हैं, खैर, हम सब यहां हैं, केन्द्रीय सरकार है, संसद है, इस देश के लोग हैं, वे ऐसा कभी नहीं होने देंगे, हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति से कैसे निबटा जाता है। कम से कम लोगों को यह महसूस होना चाहिये कि 'हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने दिया गया है और हमें अपने प्रतिनिधि चाहे जो भी व्यक्ति हों का चुनाव करने दिया गया है।' यह बुरा नहीं है बल्कि अभी जो हो रहा है उससे अच्छा ही होगा। इसलिये हम प्रधानमन्त्री से इसे स्पष्ट करने का निवेदन करना चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन को अनिश्चित समय तक लागू रखने के समर्थन में नहीं हैं जो कि वास्तव में भय उत्पन्न कर रहा है और इससे एक दूसरा कश्मीर पैदा हो जाएगा। पंजाब दूसरा कश्मीर बन जाएगा। यदि उन्हें यह आभास दें कि उन्हें चुनाव में कभी-भी भाग नहीं लेने दिया जाएगा। यह पूरी तरह दूसरा कश्मीर बनने की कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिये, महोदय, कुछ उपाय सुझाए गए हैं जिनका मैं समर्थन करता हूं। प्रत्येक छह माह पर हम केवल राष्ट्रपति शासन ही लागू नहीं करते बल्कि राज्यपाल भी बदल देते हैं। मैंने पाया है कि हर छह माह में हम राज्यपाल को बदल देते हैं। वे भी इस बात पर गौर कर सकते हैं। यह उपयुक्त समय है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को सामने लाएं जो पहल कर सकता हो, कोई राजनीतिक पहल, राजभवन में बैठना ही पर्याप्त नहीं है, हमें किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति को खोजना होगा जो जनता से मिल सके उनसे बात कर सके, कोई राजनीतिक पहल कर सके तथा लोगों में विश्वास पैदा कर सके। और इस तरह के परिषद, सलाहकार परिषद या जो कुछ भी श्री सैफुद्दीन चौधरी ने सुझाया है, वह एक अच्छा विचार बशर्ते परिषद और राज्यपाल परस्पर सहयोग करें न कि एक-दूसरे से विरोध रखें। इसका मतलब यह है कि सलाहकार परिषद को प्रतिनिधि निकाय होना चाहिये जिसमें पंजाब के सभी निर्वाचित सांसदों, बड़ी पार्टियों के प्रतिनिधि, कृषक वर्गों के संगठन किसानों के संगठन के प्रतिनिधि, पंजाब के उद्योग तथा व्यापार के प्रतिनिधि तथा व्यापारियों और भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिये। ऐसे लोगों को शामिल कर एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाना चाहिये जो कि पंजाब की सभी बड़ी समस्याओं पर विचार करे और यदि वे कोई मान्य सिफारिश करते या निष्कर्ष निकालते हैं तो राज्यपाल को प्रायः स्वीकार करना चाहिये और लागू करवाना चाहिये। उसी तरह, निचले स्तर पर, जिला स्तर, पंचायत स्तर और उस तरह के अन्य निकायों को सक्रिय बनाएं तथा पंचायतों को भी इस स्थिति में पूरे जोश के साथ हस्तक्षेप करने का मौका दें। सभी पंचायतों के सरपंच प्रायः सिख हैं और मेरे विचार में वे अपनी सीमा के अन्दर बहुत ही उपयोगी और सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। उनमें से कई पुलिस की ज्यादतियों का विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गुरदासपुर से खबर मिली कि पुलिस ज्यादतियों और अत्याचारों को यदि बन्द नहीं किया गया तो वे सरपंच, जिनमें अधिकतर सिख हैं, त्याग पत्र दे देंगे। मुझे पता नहीं कि पंजाब में पिछली बार कब पंचायत चुनाव हुआ था। लेकिन मेरा यह सुझाव है कि यदि विधानसभा के चुनाव कराये जाते हैं तो उसके साथ ही साथ पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा दिये जाते। भले ही विधान सभा चुनाव पहले कराये जाएं परन्तु उसके बाद पंचायत चुनाव भी करवाने चाहिये। इन चुनावों बहुत सारे लोग भाग लेंगे ही। यह एक अच्छी बात होगी और आतंकवाद और हिंसा से उत्पन्न समस्याओं की ओर से लोगों का ध्यान भी हट जाएगा।

और जहां तक पंजाब समझौते का सम्बन्ध है। मुझे नहीं पता कि उस समझौते को किस हद तक अब लागू किया जा सकता है। यदि हमारे हरियाणा के मित्र सहयोग करे तो चंडीगढ़ का हस्तांतरण निश्चित रूप से किया जा सकता है। निश्चय ही इसके लिए उन्हें कुछ क्षतिपूर्ति देनी होगी। जल विभाजन का मामला किसी अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण को जांच के लिये सौंपा जा सकता है। वहां कुछ होना चाहिए। सीमा को सील करने का कार्य जल्द पूरा किया जाना चाहिये। मैं इसका पक्का समर्थक हूं।

अत: मैं उन लोगों को राजनीतिक तौर पर एकजुट करने की बात करता हूं। पिछली बार हमारा यह विचार था कि वे सभी पार्टियां जिनका पंजाब समस्या से निपटने के बारे में समान विचार है उन्हें एकजुट होकर पंजाब की जनता के पास और गांवों में जाना होगा जहां के किसान भी सहयोग करना चाहते हैं, वहां जाकर संयुक्त बैठकें और सभाएं आयोजित करनी होगी। किन्तु दुर्भाग्यवश पिछली बार कुछ कारणों से हम कुछ नहीं पा पाए। मेरा यह सुझाव है कि इस बार हम इस स्थिति में परिवर्तन लाने के लिये दृढ़ प्रयास करें। राष्ट्रपति शासन लागू करना ही पर्याप्त नहीं है। परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के लिये हमें एक नया वातावरण तैयार करना होगा, बेरोजगार युवकों को अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देना होगा, तथा स्वरोजगार और अन्य रोजगार के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराना होगा। इन कदमों की घोषणा एकमुश्त करनी होगी और संविधान के इस नये संशोधन के द्वारा हम इन्हें लागू करने के लिये चार-पांच माह का समय ले रहे हैं यह हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अवरुद्ध करने के लिये नहीं बल्कि इसे उसके करीब लाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होती है। यह हमारा दृष्टिकोण है।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चूंकि सभी ने अपने विवेक से संविधान संशोधन लाने तथा राष्ट्रपति शासन जारी रखने का निश्चय कर लिया है तो इसके विरोध में मतदान नहीं करेंगे, हम इसका समर्थन करेंगे लेकिन मैं इस विचार के विरुद्ध हूं।

साथ ही हमारे दृष्टिकोण को प्रेस द्वारा तोड़-मरोड़ कर पेश करते हुए यह नहीं कहना चाहिये कि हम चुनाव के विरुद्ध हैं और हम किसी भी स्थिति में चुनाव नहीं चाहते और इसलिये, सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारा यह दृष्टिकोण है ही नहीं। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए विकल्प खुला रखना चाहते हैं और जितनी जल्दी इसे लागू किया जाए उतना ही पंजाब के लिये अच्छा होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. तम्बि दुरै (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन बड़ा दुखद दिन है क्योंकि हम एक बार फिर पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती विमल कौर खालसा (रोपड़) : सर, हम पंजाब वालों को भी बोलने का मौका दीजिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हां, हां।

डा. तम्बि दुरै : जब हमने पंजाब बजट प्रस्ताव को पारित किया था तो उसी समय मैंने विरोध जताते हुए कहा था कि हमने अब तक पंजाब समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। हर बार हम पंजाब बजट का प्रस्ताव पेश करते हैं और पारित कर देते हैं। मैंने पिछली बार भी यह कहा था।

हमारे वित्तमंत्री जब विपक्ष में थे तो जब भी पंजाब बजट का प्रस्ताव पारित हुआ उस समय वह हमेशा अविलम्ब चुनाव कराने का विचार व्यक्त करते थे। लेकिन अब भी यही हो रहा है।

अधिकतर राजनीतिक पार्टियां जिनका यहां प्रतिनिधित्व है उन्होंने तुरंत चुनाव कराने की बात कही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वे वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव कराने में सक्षम नहीं है और चुनाव को स्थगित कर दिया जाना चाहिये। लेकिन मेरा यह मानना है कि सदन में यह बहाना बनाया जाता रहा है और राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जाता रहा है। बार-बार वे यह कहते हैं कि आतंकवाद है और आतंकवादी क्रियाकलाप के कारण स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते।

परन्तु हम भूल रहे कि पंजाब में इस तरह का आतंकवाद क्यों चल रहा है। हमें इसका मुख्य कारण ढूंढ़ना है। हमारे संविधान में जो व्यवस्था है और अब चूंकि हम संविधान की भावना से कार्य नहीं कर रहे हैं, केन्द्रीय सरकार ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है, अत: इसकी वजह से पंजाब में इस तरह की स्थिति चल रही है। जब पंजाब के लोगों ने अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की तो हमने उन बातों की अवहेलना की। यह स्थिति न केवल पंजाब में ही विद्यमान है, बल्कि यह जम्मू और कश्मीर में, असम में और कुछ हद तक तमिलनाडु में भी चल रही है। हमें इसे भूलना नहीं चाहिये। हम इसकी मुख्य वजह को भूल रहे हैं। यदि आप इसे अस्थायी रूप से हल करने के लिए कोई समाधान लाना चाहते हैं, तो आप इसे हल नहीं कर सकते। मैं आपके जरिये प्रधानमन्त्री और इस सरकार को बताना चाहता हूं कि वे आतंकवाद की मुख्य वजह को हल करने के लिए कोई ठोस उपाय करें। भाषा की समस्या को हल करें। अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करें। ऐसी अन्य सभी समस्याओं को हल करें। पंजाब की भाषा को बढ़ावा देने और उनकी संस्कृति को विकसित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? उस राज्य के लिए आप कितना धन दे रहे हैं कौन से कार्यक्रम आप कार्यान्वित कर रहे हैं ? अत: जब आप ये सब काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस क्षेत्र में शान्ति नहीं ला सकते हैं। फिर एक बार आपको राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ानी पड़ रही है। अत: राष्ट्रपति शासन बढ़ाना कोई हल नहीं है। पंजाब की समस्या का हल तो तुरन्त चुनाव कराना है। हमें पंजाब के लोगों की भावनाओं को जानना होगा। 1885 में हमने लोक सभा और पंजाब विधान सभा के लिये चुनाव करवाये और हमने 1989 में लोक सभा के चुनाव कराये। फिर पंजाब में चुनाव स्थगित करने के पीछे जो डर है वह मेरी समझ से बाहर है। अत: लोगों के प्रतिनिधि के रूप में, जो भी लोकतन्त्रीय प्रक्रिया में, प्रथम स्थान पर आता है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। चुनाव लड़ने से पहले वे संवैधानिक उपबन्धों को स्वीकार करते हैं और केवल तभी चुने जाते हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारी चिन्ता क्या है। उन्हें बहुमत के आधार पर विधान सभा में कुछ भी पारित करने दीजिए। परन्तु हम यहां यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि विधानसभा संविधान के अनुरूप कार्य करे। जब ऐसी ही भावना है तो आप हमेशा चुनाव क्यों स्थगित करते

आ रहे हैं।

आतंकवाद का मुख्य कारण यह है कि आप युवाओं की अवहेलना कर रहे हैं। आप उन्हें उचित रोजगार नहीं दे रहे हैं। इसलिए उस समय आपने जो कदम उठाये थे, मैंने यही अनुरोध किया था कि सरकार को एकमुश्त योजनाएं को लाने दीजिए। सरकार काम के अधिकार को कब लायेगी ? क्या वे किसी विधेयक को लाये हैं ? उन्हें पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में काफी चिन्ता है। जब आप इसके लिए विशेष सत्र बुला रहे हैं, तो तत्काल काम के अधिकार की बात पर भी क्यों नहीं चर्चा कर लेते हैं और क्यों नहीं यह भी सुनिश्चित कर लेते हैं कि यह विधेयक भी इसी सत्र में पारित हो जाये। आप देश में आतंकवाद की समस्या को हल करने के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं ? माननीय प्रधानमन्त्री यहां है। उन्हें इस काम के अधिकार वाले विधेयक को लाने दीजिए और इस देश की कतिपय समस्याओं को हल करने की कोशिश करने दीजिए। इन उपायों के बगैर केवल आतंकवाद की बात करने से आप समस्या का हल नहीं कर सकते हैं।

तीसरे, मैं भाषा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय गृहमन्त्री यहां हैं, माननीय प्रधानमन्त्री यहां हैं। आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं को इस देश की राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा बना दिया जाना चाहिए। आप जब यह करेंगे तो देश के लोगों में विश्वास की भावना पैदा होगी और इस प्रकार का विश्वास आना अधिक महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी उपाय आपने आर्थिक समास्याओं को हल करने के लिए किये हैं वे काफी नहीं हैं।

मैं ज्यादा बोलना चाहता था लेकिन ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि अभी कई सदस्यों को बोलना है। माननीय प्रधानमन्त्री ने कहा है कि पंजाब के लोगों से मिलने तथा व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याओं को जानने के लिए पंजाब की यात्रा करेंगे। यह आवश्यक नहीं है। पंजाब के लोगों की समस्या से हर एक वाकिफ है। इस देश के अन्य भागों में भी इसी तरह की समस्यायें हैं। इन समस्याओं को आवश्वक कार्यवाही करके इस सरकार को हल करना चाहिए। चुनाव ही एकमात्र हल है। पंजाब के लोगों के लोकतान्त्रिक अधिकारों का आदर करने के लिए मेरा माननीय प्रधानमन्त्री से यह अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि पंजाब में यथाशीघ्र चुनाव होंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती बिमल कौर खालसा : ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, बड़े दुख की बात है कि पंजाब को लम्बे समय से दूसरे राज्यों से बिलकुल अलग-थलग कर दिया गया है। पंजाब के लिए संविधान अलग है और दूसरे राज्यों के लिए अलग है। साढ़े तीन साल हो गए हैं, पंजाब में लगातार गवर्नर रूल लागू है और सरकार इलैक्शन नहीं कराना चाहती है।

1.34 म. प.

(डा. तम्बि दुरै पीठासीन हुए)

ऑनरेबल चेयरमैन साहब, कहा जाता है कि पंजाब में अमन चैन नहीं है। इसलिए इलैक्शन नहीं करवाए जा सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि अमन चैन किसने करना है ? क्या अमन कायम न करने वालों को संविधान इजाजत देता है कि किसी स्टेट में परमानेंट

गवर्नर रूल लगाया जाए ? यदि सारे स्टेट में अमन की हालत ठीक न हो तो क्या सरकार लोकसभा के इलैक्शन नहीं करवाएगी ? लोकसभा के इलैक्शन सिर्फ तब मुल्तवी किए जा सकते हैं अगर ऐमरजैंसी डिक्लेयर की जाए। परन्तु पंजाब में चार साल बिना ऐमरजैंसी डिक्लेयर किए अभी तक गवर्नर रूल लागू है। वहां ब्यूरोक्रेसी का राज है, पुलिस का राज है, पुलिस नौजवानों को पकड़कर झूठा मुकद्दमा बनाकर मार रही है। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूं। तीन महीने पहले अजमेर के कस्बे में दो नौजवानों हरपाल सिंह मान और बलजीत सिंह भुट्टो को दिन-दहाड़े पुलिस ने गोलियां चलाकर मार दिया। यह घटना जब हमारे नोटिस में आई तो मैं और हमारे दूसरे साथी गवर्नर के पास गए। गवर्नर साहब ने सारी बात सुनने के बाद यह कहा कि इस क्षेत्र की जो इन्क्वारी है वह विदिन थ्री डेज कम्प्लीट कर दी जाएगी और ओपन इन्क्वारी होगी। परन्तु बड़े दुख की बात है कि वहां गवर्नर की पुलिस वालों के सामने नहीं चलती है। यदि गवर्नर यह कहें कि यह इन्क्वारी तीन दिन में कम्प्लीट हो जाएगी तो तीन महीने हो जाएं मगर इन्क्वारी अभी तक कम्प्लीट नहीं हुई। गवर्नर साहब से हम उसके बाद भी मिले मगर अभी तक इन्क्वारी का कुछ भी नहीं हुआ है। एक और उदाहरण है। हमारे घर से सिर्फ सौ गज की दूरी पर एक लड़के कुलवन्त सिंह को पुलिस वालों ने मारा। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि स्कूटर में तीन लड़के जा रहे थे। पुलिस वालों ने जब उनको रोका तो वे रुक गए, रोकने के बाद उनकी तलाशी ली गई, तलाशी लेने के बाद उनको मारना-पीटना शुरू कर दिया। जब मार-पीट बहुत ज्यादा की तो उस लड़के की पगड़ी उतर गई, चप्पलें भी गिर गई। दो लड़कों को पकड़कर पुलिस वालों ने वैन में बिठा लिया और एक नौजवान पुलिस से बचकर भाग निकला। पुलिस वालों ने उसका पीछा करके उसको गोलियों से सबके सामने मारा। वहां एक खाली प्लाट पड़ा हुआ है, वहां पर उसे गोलियों से मारकर बींध दिया। जब मुझे घटना का पता चला तो मैं दस मिनट में घटनास्थल में पहुंच गई। वहां पर डी. एस. पी. ने ऐसा मिसबीहेव किया जो कि सबके नोटिस में है। जब उधर डी. एस पी. आए तो कहने लगे कि लड़के की बौडी उठा लो। हमने कहा कि हम यह बौडी तब तक नहीं उठाने देंगे जब तक आप यह नहीं बताएंगे कि यह लडका, जिसको गोलियों से पुलिस ने मारा है, कौन है। डी. एस. पी. श्री दिलीप सिंह कहने लगे कि मुझे पता है कि यह लडका कौन है मगर मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने कहा कि हम इसकी बौडी नहीं उठाने देंगे। फिर सबने कहा कि ये एम. पी हैं, ये आपसे पूछ सकती हैं कि यह बच्चा कौन है ? मगर डी. एस. पी. ने कहा कि मैं किसी एम. पी. की परवाह नहीं करता। यदि यह एम. पी. हैं तो क्या हुआ, एम. पी कोई भी बन सकता है, मेरा कांस्टेबल भी एम. पी. बन सकता है, मैं भी एम. पी. बन सकता हूँ। सेन्टर में इन्क्वारी करवा लो, दस इन्क्वारी करवा लो। मेरी पहले भी इन्क्वारी हो चुकी है कभी कुछ नहीं हुआ। पंजाब में बहुत सारी इन्क्वारी हो रही हैं मगर कभी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जबरदस्ती वहां से उस बच्चे की बौडी उठाकर ले गए। सबने देखा कि बच्चे के सिर पर जो रिवाल्वर रखा हुआ था वह आधे घंटे के बाद उस बच्चे के पास लाकर रखा था। इसके हाथ में कुछ नहीं था, इसने कोई मुकाबला नहीं किया। जब वह जबर्दस्ती उसको उठा कर ले गये तो वहां के लोगों में बहुत दहशत इसको लेकर फैल गयी। जितने लोग वहां इकट्ठे हुए उन पर राइफलों के बट मारे गये। ऐसे में सब को मार-मार कर दौड़ा दिया। जब हम पुलिस स्टेशन गये तो वह एस एस. पी. और डी. सी. साहब बैठे थे। हमने डी. सी. साहब से कहा कि ये सारे आई विटनैस हैं, यह बच्चा बिल्कुल खाली हाथ था, दौड़ रहा था, इसके पैर में चप्पल नहीं थी, सिर में पगडी थी और हाथ जोड रहा था कि मेरा कसूर नहीं है, मुझ को गोली मत मारो, इतना सब कहने के बाद उसको गोली मार दी गई। इसका मतलब साफ है

कि पुलिस वालों ने यह मर्डर कराया। इतना सब होने के बाद पुलिस वालों ने पर्चा दर्ज करने से बिल्कुल इन्कार कर दिया। दो महीने से ज्यादा हो गये हैं कोई पर्चा हमारी तरफ से दर्ज नहीं हुआ। इधर मैं होम मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह केस लाई थी कि एक डी. एस. पी. ने एक एम. पी. के साथ किस प्रकार का मिसबिहेव किया। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी तक इसके ऊपर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। जब इन्टरनल विजिलेन्स के डाक्टर राजवंश को यह इन्क्वायरी मार्क होकर गई और कहा कि पता करो कि यह केस क्या है ? जब राजवंश ने सारा एविडेंस दर्ज कर लिया तो उसके बाद उन्होंने डी. एस. पी. को भी बुलाया कि आप बतायें कि आपने कैसा व्यवहार एम. पी. के साथ किया है ? ऐसे में उसने सब कुछ एडमिट कर लिया। ऐसी रिपोर्ट उन्होंने दो दिन के अन्दर सेन्टर में भेजनी थी लेकिन अभी तक वह रिपोर्ट नहीं पहुची है। बाद में पता चला कि वह रिपोर्ट दबा दी गई है और इन्टरनल विजिलेंस के डा. राजवंश जो कि चण्डीगढ़ में लगे थे उनकी प्रमोशन करके उन्हें जलन्धर शहर का एस. पी. बना दिया। क्या आप पंजाब में प्रेजीडेंट रूल एक्सटेंड करके यही चाहते हैं कि पंजाब में ब्यूरोक्रैसी का राज हो, पुलिस का राज हो और लोगों के बच्चों को घरों से उठा-उठा कर पुलिस मारे ? एक बच्चा इन्द्रमोहन जो कि लुधियाना का है उसको दो साल पहले पुलिस ने उसके घर से सब के सामने उठाया था। जब उसके घर वाले वहां पुलिस स्टेशन एस. एस. पी. साहब के पास गये तो उन्हें कहा गया कि कल आना, परसों आना और आपका बच्चा एक हफ्ते के बाद घर पहुंच जायेगा, आपका बच्चा 15 दिन के बाद घर पहुंच जायेगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि दो साल हो गये अभी तक उस बच्चे का कुछ पता नहीं लग रहा है। अनेकों ऐसी घटनायें हैं जिनको कि दबाया जा रहा है।

पंजाब में इलैक्शन कराने का वह पार्टियां विरोध कर रही हैं जिनको यह पता है कि अगर पंजाब में इलैक्शन हुए तो हमें एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। जिन पार्टियों का पंजाब में कोई दबदबा नहीं है उनको इलैक्शन के बारे में या पंजाब के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। वे यही चाहती हैं कि पंजाब में इलैक्शन न हों। कहा जाता है कि अगर वहां इलैक्शन हुए तो बन्दूक की नोंक पर होंगे। 1989 में लोकसभा के जो इलैक्शन हुए थे वह कौन सी बन्दूक की नोक पर हुए थे। दूसरी स्टेट्स में इलैक्शन के दौरान जो गडबडियां होती हैं वैसी गड़बड़ियां पंजाब के अन्दर इलैक्शन के दौरान कुछ नहीं हुई। एक भी ऐसा केस वहां थाने में दर्ज नहीं हुआ।

श्रीमती सुखबंस कौर भिंडर जो कि कांग्रेस आई की टिकट पर जीती हैं जब 1985 में उन्होंने इलैक्शन लड़ा था तो उस समय उन्हें 1 लाख 86 हजार वोट मिले थे और अब की बार वह 2 लाख 26 हजार वोट से जीत कर आई हैं। क्या इतने वोट उन्हें बन्दूक की नोक पर मिले हैं।

जब पीछे 1985 में सी.पी.आई., सी.पी.आई(एम.) ने पंजाब में इलैक्शन लड़ा तो सिर्फ दो लाख वोट इन लोगों को मिले थे और 1989 में इनको 3 लाख वोट मिले हैं, इनके क्या एक लाख वोट बन्दूक की नोंक पर बढ़े हैं ? दूसरी बात यह है कि फॉरेन मिनिस्टर साहब, आई.के. गुजराल, जो कि पंजाब के जालंधर से जीत कर आये हैं, हमारी पार्टी ने इनकी पूरी हिमायत की और सिख स्टूडैण्ट्स फेडरेशन ने इनकी पूरी हिमायत की तो क्या इनको इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया कि बन्दूक की नोंक पर जीतकर आये हैं, यह सरकार बताये ? क्योंकि, सिर्फ बदनाम करने के लिए, चुनाव स्थगित करने के लिए, एमेण्डमैंट करने के लिए यह कहा जाता है कि पंजाब

का माहौल इलैक्शन का नहीं है। पहले भी एमेण्डमैण्ट हुए हैं, 6 महीने के लिये, मैं यह पूछना चाहती हूं कि पीछे जब एमेण्डमैण्ड किया 6 महीने के लिए तो उसके दौरान, 6 महीने में सरकार ने पंजाब में शान्ति लाने के लिए क्या किया ? क्या सरकार दावे के साथ कह सकती है कि···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : महोदया कृपया अब अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप 10 मिनट बोल चुकी हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती बिमल कौर खालसा : अभी 6 महीने के लिए प्रेसीडैण्ट रूल एक्सटेण्ड किया जायेगा तो उससे पंजाब में शान्ति हो जायेगी ! जब तक सरकार पंजाब में शान्ति लाना नहीं चाहती, इलैक्शन कराने के साथ-साथ आपको और भी बहुत कुछ करना बाकी है। जितने भी नौजवान जेलों में बन्द हैं, सरकार को चाहिये कि उनको तुरन्त रिहा किया जाय, क्योंकि, बिना किसी केस के नौजवानों को जेलों में रखा हुआ है। आज हर सिख को शक की नजर से देखा जाता है। पहले फौज में सिखों की भर्ती 60 परसेण्ट थी जो अब घटकर 10-20 परसेण्ट रह गई है। मैं पूछना चाहती हूं कि इसका कारण क्या है। पंजाब में बेरोजगारी इतनी है कि पढ़े-लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। नौकरियों में सरकार ने बैन लगाया हुआ है इसलिए पंजाब में नौकरियों पर जो बैन लगा हुआ है, उसको तुरन्त खत्म किया जाय।*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया। अब श्री कपिल देव शास्त्री बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : सभापति महोदय, यह दो बजे तक की बहस थी, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

पंजाब की परिस्थितियों से मैं पूरे तौर से परिचित रहा हूं, हूं और इसलिए जो कुछ कहूंगा···

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : सच कहूंगा।

श्री कपिल देव शास्त्री : वह सच तो कहूंगा ही। मैं कहना यह चाहता हूं कि पंजाब के सम्बन्ध में आज तक जो कुछ हुआ, हमारी सरकार को उससे हटकर चलना होगा। पंजाब में पांच बार सरकार गिराई, दो बार तो गिराई प्रकाश सिंह बादल की और एक-एक बार जस्टिस गुरनाम सिंह की और लक्ष्मण सिंह गिल की और सुरजीत सिंह बरनाला को, उसे सारा देश जानता है, वह सरकारें किसने गिराई, उन सारी सरकारों को गिराने वाले हम तो थे नहीं। इसलिए मैं

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह कहना चाहता हूं कि वहां बात करने के लिए कोई जगह नहीं है। आप किससे बात करेंगे ? 1985 में सरकार गिराई, सुरजीत सिंह बरनाला की, उसमें और आज की परिस्थितियों में अंतर आ गया है। आप किससे बात करेंगे, किसी से बात नहीं कर सकते, जैसे ये एजिटेशन चल रहे हैं तो इसमें आप किससे बात करें, प्रधान मन्त्री जी। बात करने की बात कहते हैं कि प्रधान मन्त्री बात नहीं करते लड़कों से, किस लड़के से बात करें, किससे करें, कौन उनका प्रतिनिधि है। आज पंजाब की यही परेशानी है। सिमरिन जीत सिंह मान जो कुछ कहते हैं, वह उन लड़कों के कहने पर कहते हैं, अपने तौर पर कुछ नहीं कहते हैं। प्रकाश सिंह बादल अगर कोई बात कहें तो वह भी भयभीत होकर कहते हैं तो एक ही रास्ता है, चुनाव। चुनाव आपको वहां पर करवाना होगा, करवाना चाहिए। हमारी सरकार को साहसपूर्ण यह कदम उठाना चाहिए। वहां पर चुनाव हों, राज तो आयेगा, अब यह सारा देश पंजाब और हरियाणा के पैदा किये हुए अन्न से पेट भरता है, गेहूं और चावल से तब हम उनको राज देने में संकोच क्यों करें, जिनका राज आयेगा, वह हमारे ही होंगे, और किसके होंगे। ये लोग हम से बाहर जाने की शक्ति में नहीं है। वे खालिस्तान की बात करते हैं, उनका सिक्खों का राज आएगा तो खालिस्तान तो अपने आप ही बनता है। उसे आप कैसे रोकेंगे, राज तो सिक्खों का आएगा।

जहां तक बेकारी की बात है, बेकारी तो सारे देश में है। करोड़ों लड़के सड़कों पर हैं, यह पंजाब की न्यारी समस्या नहीं है, इस लिये इससे डरना नहीं चाहिए। मैं उस बैठक में शामिल था, जो अकाल तख्त पर हुई थी जिसमें पंजाब को हरियाणा से अलग कर दिया गया। उस बैठक में यह निर्णय हुआ था, फाजिलका-अबोहर हरियाणा को दे दिया जाए, लेकिन चंडीगढ़ के सम्बन्ध में उसमें कोई निर्णय नहीं था। मेरे सामने, सभापति जी, चौधरी भजन लाल जी बैठे हुए हैं, इन्होंने प्रयत्न किया कि हरियाणा के चार गांव राजस्थान को दे दिए जाएं और राजस्थान के चार गांव पंजाब को मिल जायें और फाजिलका-अबोहर हरियाणा में आ जाए। अगर यह उस वक्त हो जाता तो पंजाब में उग्रवाद की यह समस्या आधी रह जाती। पंजाब से जिस दिन फाजिलका-अबोहर हरियाणा को देंगे, उसी दिन से पंजाब में उग्रवाद आधा रह जाएगा और राजस्थान के मार्ग से जो हथियार पंजाब में पहुंचते हैं, वे रुक जायेंगे।

दूसरी बात, चंडीगढ़ की चलती है, जो कि यूनियन टैरेटरी है। अगर फाजिलका-अबोहर यूनियन टैरेटरी होता तो भी इतनी समस्या नहीं होती जो आज पंजाब में है।

तीसरी बात, पानी की आती है। मेरे पास सारे समझौतों का रिकार्ड है। मैंने पीछे भी पंजाब की समस्या पर बोलते हुए, इन सारी चीजों का जिक्र किया था। चार बार फाजिलका-अबोहर और चंडीगढ़ के समझौते हुए और चार पानी के समझौते हुए। मेरे पास सारा रिकार्ड है। मैं हरियाणा संघर्ष समिति का सैक्रेटरी था, जिसमें ये सारी चर्चायें होती थीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब की समस्या का एकमात्र हल चुनाव है। हमारे प्रधानमन्त्री जी ने जिस प्रकार साहसपूर्वक निर्णय इसका लिया है, उसी प्रकार पंजाब के चुनाव का भी निर्णय ले लें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, न वहां कांग्रेस की सरकार आएगी, न बीजेपी की आयेगी और न हमारे ही दल की सरकार आएगी, वहां तो अकालियों की सरकार आएगी, वे चाहे कोई भी हों। आप बन्दूक की नोक पर चुनाव की बात करते हैं, पीछे जो चुनाव हुए, उसमें जो लोग वोट डालने के लिए आए, उनको यह आदेश था कि वोट तो तुम अपने हाथ से डालोगे,

लेकिन हमारा जो एजेंट अंदर बैठा है उसको दिखा कर डालोगे। इसलिए किसी वोटर की हिम्मत नहीं थी कि वह बिना एजेंट को दिखाए वोट डाल दे। यह तो बिहार में भी होता है और अब सारे देश में शुरू हो गया है। ये सारी चीजें तो चलती हैं, इसलिए चुनाव से डरना नहीं चाहिए।

···(व्यवधान)···

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमारे साथ पानी को लेकर कुछ ज्यादतियां होती हैं। नहर बनने लग रही है, नहर पर केन्द्र का राज है, वह नहर इस चुनाव से पहले-पहले पूरी हो जानी चाहिये। यह बात मैं आपके माध्यम से प्रधान मन्त्री जी से भी कहता हूं, अगर यह नहर नहीं बनती है चार-पांच महीने में, तो हमको ये पानी देने वाले नहीं है। पंजाब वाले हमारे साथ ज्यादती करते हैं।

मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यहां पर कपूरथला रेलवे कोच कारखाने की बात कही जाती है, यह कारखाना हरियाणा में आना था, लेकिन पंजाब में बना दिया। इसी प्रकार सीआरपी की, बीएसएफ की विशेष यूनिटें पंजाब को दे दी गई। इसलिए पंजाब को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उनको एक चीज नहीं मिल रही है, वह है उनका राज। वह आप दे दीजिए तो समस्या अपने आप हल हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती सुखबंस कौर (गुरूदासपुर) : सभापति महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम पुन: राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की बात पर चर्चा कर रहे हैं। लगता है सरकार के पास पंजाब के लिए अधिक समय नहीं है और दुर्भाग्य से आज सभा के पास भी पंजाब के लिए भी समय नहीं है। प्रधानमन्त्री ने कहा है कि उन्हें यह विधेयक लाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दल पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वे सब चुनाव और लोकतांत्रिक-प्रक्रिया बहाल करवाना चाहते हैं। मैं इस गलत धारणा को दूर करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के विरुद्ध कोई आक्षेप नहीं लगने चाहिए। हम सब यहां चुनाव चाहते हैं तथा निष्पक्ष और स्वतन्त्र चुनाव के लिए स्थिति पैदा की जानी चाहिए। राजनैतिक पहल की जानी चाहिए तथा इस क्षेत्र के लिये आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की जानी चाहिए, साथ ही लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिये। वे सब पंजाब में लोकतांत्रिक प्रक्रिया चाहते थे। वे एक तरह से चुनाव के विरुद्ध नहीं हैं। इस वर्तमान स्थिति में कतिपय सलाह तो दी जा सकती है लेकिन केवल यह नहीं कि इसे स्थगित किया जाये और आराम से बैठ जायें। यह उनकी सलाह नहीं है। हमें लोगों के साथ आगे बढ़ना है। यही स्थिति है और यही एक शर्त है।

श्रीमती सुखबंस कौर : मुझे यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और यह बहुत अच्छी सलाह है। वामपंथियों और भारतीय जनता पार्टी से यह बहुत अच्छी सलाह मिली है और मैं आशा करती हूं कि प्रधान मन्त्री और उनकी सरकार इस पर ध्यान देगी।

पिछली बार, जब राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई थी, तब प्रधानमंत्री जी ने सदन

में कहा था कि छः महीने के भीतर-भीतर निश्चय ही चुनाव कराये जायेंगे और चाहे जालन्धर में वह श्री गुजराल हों, चाहे दक्षिण से श्री भूपिन्द्र हों, चाहे बंगलौर में श्री देवीलाल हों या चाहे पंजाब में बोइंग एयरक्राफ्ट में प्रधानमन्त्री हों, ये सभी समय-समय पर यह कहते रहे हैं कि चुनाव कराये जायेंगे। लेकिन इन उद्घोषणाओं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं तब तक यह नहीं बताऊंगी कि मैं इस संशोधन का समर्थन करूंगी या विरोध करूंगी, जब तक कि प्रधानमन्त्री हमें यह नहीं बता देते कि यह सुनिश्चित करने के लिए वह अगले छः महीनों में क्या कदम उठाने जा रहे हैं, कि वहां स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनाव कराये जाएंगे। आपने अभी कहा है कि आप अगले छः महीनों के लिए एक संशोधन ला रहे हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जैसा किसी ने हाल में यह कहा था कि जो कुछ सरकार कहती है, उस पर पंजाब के लोग आज यह विश्वास करने को तैयार नहीं है क्योंकि आप जो कुछ कहते हो, उससे पीछे हट जाते हो।

हम प्रधानमन्त्री जी से ही जानना चाहते हैं। अलबत्ता, गृहमन्त्री जी को कोई चिन्ता नहीं है। अतः वह सदन से चले गए हैं। लेकिन भगवान का शुक्र है, प्रधानमन्त्री जी यहां उपस्थित है। हम प्रधानमन्त्री से जानना चाहेंगे। अगले छः महीनों में या तीन महीनों में या दो महीनों में अथवा जितना भी समय हो, आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। मैं प्रधान मन्त्री के उत्तर का इन्तजार कर रही हूं।

वित्तमंत्री (प्रो. मधु दण्डवते) : वह सोच रहे हैं कि क्या उन्हें उत्तर देना चाहिए।

श्रीमती सुखबंस कौर : मैं जानती हूं कि उन्हें अवश्य प्रयास करना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, अगर वह उत्तर देंगे। लेकिन पिछले छः महीनों में जैसा हमने देखा है स्थिति बहुत खराब हो गई है। श्री राजीव गांधी के प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने पंजाब में शान्ति लाने के लिए कतिपय प्रयास और कार्रवाई की थीं। मैं यह नहीं कहती कि वह उनमें सफल हुए थे।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : एक दिन तो गये हैं, वे तो एक दिन भी नहीं गये स्थिति को ठीक करने के लिए।

श्रीमती सुखबंस कौर : आप सुनिये तो सही।

[अनुवाद]

श्रीमती सुखबंस कौर : मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगी कि कांग्रेस शासन के दौरान कतिपय उपाय और कार्रवाई की गई थीं। पंजाब में स्थिति में सुधार हुआ था। कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरी थी, जिससे लोक सभा के चुनाव सम्भव हो पाये। हालांकि इस बारे में राय भिन्न-भिन्न हो सकती हैं कि चुनाव कैसे हुए थे और क्या इनमें हेराफेरी हुई थी अथवा नहीं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से शान्त रहने का अनुरोध करता हूं।

श्रीमती सुखबंस कौर : वे हमेशा मेरी विजय का उदाहरण देते हुए हवाला देते हैं कि कोई

हेरा-फेरी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद नई सरकार सत्ता में आ गई।

2.00 **म. प.**

राष्ट्रीय मोर्चे के घोषणा-पत्र में कहा गया था कि पंजाब में पन्द्रह दिन के भीतर ही शान्ति स्थापित कर दी जायेगी। हो सकता है, इसीलिए देश ने इस आशा से इस सरकार को चुना कि पंजाब में लम्बे अर्से से अशांति फैली हुई है, वहां कुछ शान्ति तथा सौहार्दता का वातावरण बन जायेगा। लेकिन दुर्भाग्य से इस तथ्य के बावजूद, कि प्रधानमन्त्री खुली जीप में अमृतसर गये, जो एक अच्छा प्रयास था, इसमें कोई संदेह नहीं है—उन्होंने पंजाब के लोगों का दिल जीता और विशेषतया सिक्खों का, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ? सरकार सो गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कोई कार्यवाही नहीं हुई। हो सकता है, वे अपनी आन्तरिक समस्याओं में उलझे रहे। मैं उनकी मजबूरी समझ सकती हूं। लेकिन पार्टी की आन्तरिक समस्याओं की अपेक्षा, चाहे उसका नेता कोई एक विशेष व्यक्ति हो चाहे दूसरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पंजाब एक बड़ी समस्या है। पंजाब को पहली तरजीह दी ही जानी चाहिए। उसके बाद वह फिर अमृतसर गये, लेकिन खुली जीप में नहीं। सुरक्षा के प्रबन्ध थे। मैं नहीं जानती कि क्या प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी है। अमृतसर में, एक प्रकार से पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था। तत्पश्चात् वह वापस आ गये; उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने विमान पर चढ़ते हुए कुछ कहा। लेकिन दुर्भाग्य से, कुछ नहीं हुआ। लेकिन दुःख की बात यह है कि केवल तीन सप्ताह पहले, जब यहां पंजाब बजट पर चर्चा हो रही थी और दण्डवते जी वहां मौजूद थे, मेरे विचार से, सबने पूछा था 'आप पंजाब के बारे में क्या कर रहे हैं ?' कुछ नहीं बताया गया। सरकार बिल्कुल मूक बनी रही थी। आठ महीनों के शासन के बाद भी, सम्भवतः सरकार पंजाब की स्थिति के बारे में नहीं जानती थी और प्रधानमन्त्री जी ने बहुत विनम्रता से कहा था कि वह पंजाब के लोगों के विचार जानने के लिए पंजाब की **पदयात्रा** करेंगे। यह बहुत दुःख की बात है, यदि प्रधानमन्त्री को पंजाब की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। उन्हें पंजाब के लोगों की स्थिति जानने के लिए पदयात्रा करनी थी। सत्र के अन्त में, पंजाब से सांसदों को बुलाया गया। जैसा मैंने प्रधानमंत्री को बताया था देर आये दुरुस्त आये।

[हिन्दी]

आखिर में हमें बुलाया कि हमारी बात सुनेंगे।

[अनुवाद]

मीटिंग हुई और मुझे याद है कि मीटिंग को जबरदस्ती जारी रखा गया था। यह समाप्त नहीं हुई थी। यह अधूरी ही रह गई थी। हमें फिर से बुलाया नहीं गया। मैं नहीं जानती, उस मीटिंग का क्या हुआ। तीन सप्ताह पहले, सरकार यह नहीं जानती थी कि क्या वे चुनाव करा सकते हैं अथवा नहीं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ उन तीन सप्ताहों में क्या हुआ कि अचानक आपने यह सोच लिया कि आप चुनाव नहीं करा सकते। हम चुनाव चाहते हैं। मेरे विचार से, चुनाव एक सर्वोत्तम उपाय है जो पंजाब में किया जाना चाहिए। अलबत्ता प्रधानमन्त्री ने कहा था कि पंजाब की स्थिति चुनाव कराने के लिए ठीक नहीं है। स्थिति चुनाव कराने में सहायक क्यों नहीं है ? पिछले नौ महीनों से इस सरकार ने क्या किया है ? अगर आप आंकड़े देखें ··· **(व्यवधान)** मैं केवल दो मिनट और लूंगी। हो सकता है यह एक ऐसा अवसर हो, जब प्रधानमन्त्री और गृहमंत्री

दोनों ही, एक साथ यह सुन रहे हैं कि हम पंजाब के बारे में क्या सोचते हैं। पिछले वर्ष 1989 में शुरू में, लगभग सत्तर लोग मारे गये थे। मेरे पास ठीक आंकड़े नहीं हैं। इसीलिए अगर कोई सही स्थिति बतायेगा तो मैं अपने को दुरुस्त कर लूंगी। आज यह संख्या दुगुनी हो गयी है। पंजाब सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 305 सुरक्षा कर्मचारियों सहित 1600 नागरिक मारे गये हैं। 879 आतंकवादी मारे गए हैं। पिछले वर्ष, अनुमानत: 300 आतंकवादी मारे गये थे। जब यह सरकार आई तो अचानक और आतंकवादी बढ़ गये थे। सरकार ने इस बात पर विचार क्यों नहीं किया? ऐसा क्यों हो रहा है? आतंकवादियों या तथाकथित आतंकवादियों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, जैसा आपने कहा है? वे ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने 1323 आतंकवादी गिरफ्तार किये हैं? मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि आतंकवादियों की संख्या बढ़ने का क्या कारण था? क्या आपकी नीति में कुछ खामी है? कहीं न कहीं कुछ खामी अवश्य है। यह या तो प्रशासन में है या नीति में है। मैं वास्तव में जिला प्रशासन या पंजाब प्रशासन पर आक्षेप नहीं लगा रही हूं क्योंकि वे केवल ऐसा ही करेंगे, जैसा आप उन्हें करने के लिए या न करने के लिए कहेंगे। कार्यभार सम्भालने के तुरन्त बाद प्रशासन में एक प्रकार की ढिलाई आ गई थी जिस पर नियन्त्रण कर पाने में आप आज तक सफल नहीं हो पाए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं कि हत्याएं कम हो जायें चाहे वे इन आतंकवादियों की हों या तथाकथित आतंकवादियों की—मैं नहीं जानती कि आतंकवादी कौन से हैं? झूठी मुठभेड़ों के बारे में विपक्षी सदस्यों की ओर से बहुत शोर मचाया जाता था। आज इन व्यक्तियों की हत्या किस प्रकार होती है? क्या ये मुठभेड़ें नहीं हैं? आज क्या वे वास्तविक मुठभेड़ें बन गई हैं? उन सब हथियारों का क्या हुआ जो हमारे देश में आ रहे हैं?

एक राज्यपाल को वहां भेजा गया; उसे नौकरी से हटा दिया गया और दूसरे को भेजा गया। आरम्भ में हमने राज्यपाल की ओर से दी गई बहुत सी टिप्पणियां सुनी कि वे यह करेंगे और वे वह करेंगे; किन्तु अब वह व्यक्ति बहुत शान्त हो गया है। मैं नहीं जानती कि उन्हें क्या हुआ है। शायद राष्ट्रपति शासन के बढ़ाए जाने के साथ अन्य राज्यपाल को भेजा जायेगा। आप राज्यपाल या प्रशासन को कुछ करने या न करने के लिए कौन से निर्देश दे रहे हैं?

प्रधानमन्त्री महोदय, पंजाब में लोग कष्ट उठा रहे हैं। पंजाब में बहुत बुरी स्थिति है। कृपया भगवान के लिए देश के लिए और पंजाब के लोगों के लिए—आपने बार-बार यह कहा है कि आपका हृदय इस देश के लोगों के लिए द्रवित होता है—पंजाब के लिए कुछ करें; कृपया हमें बताएं कि आप पंजाब के लिए क्या करना चाहते हैं, पंजाब के लिए आप कौन से कदम उठाने जा रहे हैं। मैं आपको आश्वासन देती हूं कि लोग एक प्रजातान्त्रिक ढांचा चाहते हैं; सरकार एक स्व-निर्वाचित सरकार चाहती है और हम भी यह चाहेंगे कि सरकार कुछ करे। जैसा मैंने पहले कहा, हम दोनों ओर से पिस रहे हैं—आतंकवादियों या उन लोगों से जो नागरिकों की हत्या कर रहे हैं और दूसरी ओर प्रशासन की ओर से। पंजाब में विशेषतया सीमा क्षेत्रों पर, स्थिति बहुत खराब है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कुछ विशेष उपाय करें और यहां उद्घोषित करें कि आप क्या करने जा रहे हैं, ताकि हम चुनाव करवा सकें।

सभापति महोदय : अब माननीय प्रधानमन्त्री हस्तक्षेप करने वाले हैं।

कुछ माननीय सदस्य : माननीय प्रधानमन्त्री के बोलने से पहले हमें भी कुछ समय दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : यह केवल हस्तक्षेप है। मैं बाद में अन्य लोगों को भी बुलाऊंगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पहले पंजाब के माननीय सदस्यों को बोलने दें। मैं बाद में बोलूंगा।

[हिन्दी]

स० अतिन्दर पाल सिंघ (पटियाला) : सभापति महोदय, आज का दिन लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए चुनी गयी संसदीय प्रणाली के लिए अत्यन्त शर्मनाक व दुःखदायी है। यह सदन जो लोकतन्त्र का मन्दिर कहलाता है उसमें हम लोकतन्त्र को स्थगित करने के लिए संविधान में संशोधन करने का बिल पास करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, ऐसा लगता है जैसे सम्पूर्ण भारत ने यह निश्चय कर लिया है कि पंजाब को हमेशा के लिए पुलिस को ठेके पर दे दिया जाएगा। ऐसा लगा है जैसे सम्पूर्ण भारत ने यह सौदा कर लिया है नौकरशाही के साथ कि पंजाब में सिख नौजवानों का कत्लेआम लगातार जारी रखा जाएगा। ऐसा लगता है जैसे सम्पूर्ण भारत ने यह निश्चय कर लिया है कि अर्ध-सैनिक बलों को पंजाब में अराजकता फैलाने के लिए ठेका दे दिया है। सभापति महोदय, मैं सम्पूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वालों से, इस देश के नागरिकों से पूछना चाहता हूं कि आपने आखिर पंजाब को यह विशेष दर्जा क्यों दिया है? हम पंजाब को विशेष दर्जा देने की मांग करते आए हैं और आपने पंजाब को जो विशेष दर्जा दिया है उसमें कत्ले-आम, संवैधानिक और वैधानिक व्यवस्था में लगातार भेदभाव की व्यवस्था आपने पंजाब को दे दी है। जिस व्यवस्था का पंजाब अत्याधिक विरोध कर रहा है। मैं पंजाब की जनता की ओर से, दुनिया भर में बैठे सिख समुदायों की ओर से इस सदन में इस अमैण्डमेंट का अपने लहू की आखिरी बूंद तक विरोध करता रहूंगा।

मैं भारत की जनता से यह कहना चाहता हूं कि आप पंजाब को किसी भी तरीके से पुलिस राज के माध्यम से बन्दूक के माध्यम से नहीं जीत सकते। जब तक यह देश अपने दिये गये वायदों को पूरा नहीं करता तो तब तक आप पंजाब के लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि पंजाब के लोग भारत में अपना विश्वास लगातार प्रकट करते आए हैं। अब इस विश्वास को प्रकट करने के लिए दोबारा सोचने के मोड़ पर खड़े हैं। आप इस तरह की कार्यवाही न कीजिए, जिस वजह से इस ओर (व्यवधान) खुराना जी आपको बोलने का मौका मिला है, मुझे सुनिए। जब आपमें सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है तो फिर आप किसी भी मायने में देश का हित में सारा हित नहीं कर सकते। देश का हित इसी में है कि हम सच्चाई को, सत्य को दिल से और भरोसे से स्वीकार करें। पंजाब में आज जो लोग संघर्ष कर रहे हैं तो वे लोग इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने आप सब और हम सब यहां बैठे हुए हैं। आप उनको किस तरीके से भेदभाव की दृष्टि से देख सकते हैं। आप उनको किस तरीके से पुलिस के सामने झोंक सकते हैं। आप किस तरीके से बन्दूक की नोक पर

बैठा सकते हैं। ··(व्यवधान)···अगर आप पंजाब में पुलिस को पूरी छुट्टी दे सकते हैं तो फिर हमें भी जीने का उतना ही हक है जितना हक आपको हैं। एक बकरी को भी कसाई घर में बन्द कर दिया जाए तो फिर वह कसाई की छुरी के सामने सिंग मारती हैं। यह बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखिये पंजाब में कोई भी समस्या जैसे पानी या भाषायी इलाकों की समस्या या चंडीगढ़ की समस्या सभी गौण होकर रह गई हैं। पंजाब में इस वक्त पंजाब का नागरिक, इस देश का नागरिक अपने संवैधानिक हकों के लिए संघर्ष कर रहा है। पंजाब का नागरिक स्वयं अपने विधान और अपने हकों की बात कर रहा है। जब तक आप यह चीज नहीं देंगे तो पंजाब में कभी सोल्युशन नहीं हो सकता। जब तक यह देश पंजाब पर अपना भरोसा नहीं करता तब तक आप पंजाब का भरोसा नहीं जीत सकते। सम्पूर्ण भारत में गौर्वालिज्यन अप्रोच अपनायी हुई है और जिस तरह से सिख समुदाय को बदनाम किया जा रहा है, उसी तरह से सिख समुदाय का भरोसा नहीं जीत सकते। आप अपने से लगातार दूर करते जा रहे हैं। यह सदन को देखना है कि सिक्ख आपके नजदीक कैसे आते हैं। सिक्ख उतने ही नजदीक आयेंगे जितनी नजदीक आप उनके आयेंगे। मैं सदन के माध्यम से पूरे राष्ट्र को बताना चाहता हूं कि इस वक्त पंजाब में देश की पचास प्रतिशत से ज्यादा बी. एस. एफ., सत्तर प्रतिशत से ज्यादा सी. आर. पी. एफ. एवम् महाराष्ट्र पुलिस आदि वर्क कर रहीं हैं। जिस टाइम पंजाब पुलिस एडमिनिस्टेशन में चेंज की बात की जाती है तो कहा जाता है कि पंजाब पुलिस डीमोरेलाइज होगी। मैं सरकार को और प्रधानमन्त्री जी को कहना चाहता हूं कि जिस फोर्स में मारेलिटी न हो उस फोर्स का डीमोरेलाइजेशन का सवाल कहां से होता है, सुरक्षा सेना में मोरल ऊंचा करने के लिए अनुशासन पद्धति अपनाई जाती है। अनुशासनहीनता के माध्यम से पंजाब पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों को अराजक बनाया जा रहा है। जो अराजक बन चुके हैं उनको डिमोरेलाइज कैसे करेंगे वह तो पहले से ही डिमोरेलाइज हो चुके हैं। अगर पंजाब के लोगों का विश्वास सरकार जीतना चाहती है तो इस सभा को इस वक्त 1984 में जो कुछ हुआ उस सबके लिए अफसोस प्रकट करते हुए दो मिनट का मौन रखना चाहिए। यह सभा पंजाब का विश्वास जीतना चाहती है तो आज प्रधानमन्त्री को इस वक्त पंजाब में चुनाव कराये जाने की घोषणा करनी चाहिए। अगर यह सभा वहां के लोगों का भरोसा जीतना चाहती है तो पंजाब में जितनी भी सिख औरतें हैं, सिख नौजवान हैं, वहां 250 से ज्यादा सिख औरतें गिरफ्तार हैं और उन पर केस दर्ज हैं, उनको रिहा करने का ऐलान किया जाना चाहिए। अगर पंजाब के लोगों का आप भरोसा जीतना चाहते हैं तो आपको अपने प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर अपने अधिकार मजबूत करने का ऐलान करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं अन्त में इस सभा के माध्यम से सरकार को और सम्पूर्ण राष्ट्र को बता देना चाहता हूं कि वह अमेंडमेंट इस देश में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला है। मैं आपके माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र को बता देना चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट के जरिये पंजाब आपके नजदीक नहीं आयेगा, वह और दूर हो जायेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अपने लहू के आखिरी कतरे तक इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं। मैं आपसे पंजाब के लोगों द्वारा और उनके द्वारा दिये गये हकों के माध्यम से ··*···की मांग करता हूं। अगर आप नहीं दे सकते तो हमें वह रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जिसके जरिये हम अपना हक हासिल कर सकें। आज

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

पंजाब की जनता यही कर रही है। अगर कोई समाधान ढूंढना है तो आपको उनसे बात करनी होगी जिनके माध्यम से यह समस्या पैदा हुई है, मेरी समझ और राष्ट्र की समझ से यह बाहर की बात है कि आप उनसे बात करने से क्यों कतराते हैं। इसलिए जिनके माध्यम से कोई समस्या पैदा हो आप उनको किनारे पर रखते हुए समाधान सोचें यह कभी भी सम्भव नहीं है। आप अगर समाधान खोजना चाहते हैं तो आप खुले दिल से उन संघर्षशील नौजवानों को बुलायें, बातचीत करें और उनकी राजनीतिक लीडरशिप मानें। मैं इस अमेंडमेंट का अपने पूरे दिल से विरोध करते हुए इस सभा से वाकआउट करता हूं।

2.19 म. प.

(तत्पश्चात् स. अतिन्दर पाल सिंघ सभाभवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

समापति महोदय : मैं सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे संक्षेप में अपनी बात कहें। हमने पहले ही कह दिया है कि यह चर्चा 2.30 बजे तक समाप्त हो जायेगी। यदि आप दिए गए समय से अधिक समय लेते हैं, तो हमारे लिए इसे पूरा करना कठिन होगा। इसलिए, मैं अन्य सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है। इस सदन के अन्दर, जो कि भारत की सर्वोच्च संस्था है, संविधान के अन्तर्गत भाषण दिये जा सकते हैं, लेकिन यह अपने भाषण में कहना '...' हमें चाहिए, ऐसी बात नहीं कही जा सकती और क्या वह कार्यवाही में आनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब वह देखेगी कि यहां पर अलग विधान-अलग निशान की मांग की जाती है, इसलिए आपकी हम रूलिंग चाहते हैं कि क्या ऐसी बातों का अलाऊ किया जाना चाहिए या नहीं।

श्री जग पाल सिंह (हरिद्वार) : जब आप हिन्दू राष्ट्र की बात करते है तो यह कहां तक ठीक है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

समापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। यदि माननीय सदस्य के भाषण में ऐसा कुछ है जो संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है, तो इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : सभापति महोदय, यह बहुत दुःख की बात है कि हमें एक बार फिर पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ानी पड़ रही है। पिछली बार, जब राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ायी गयी थी तो पूरा सदन इस बात पर सहमत था कि अब यह अवधि आगे नहीं बढ़ायी जायेगी। अब जब हम फिर इसे आगे बढ़ा रहे हैं, मैं प्रधानमन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इस सदन को आश्वासन दें कि इन छः महीनों के बाद अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। दुःख की बात तो यह है कि पिछले छः महीने किसी नीति के बिना ही बेकार हो गए। वास्तव में पिछले छः महीनों में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जिसकी जरूरत थी।

सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि पंजाब में स्थिति बहुत खराब हो गई है। मुख्य रूप से ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने सीमा पर अपनी गतिविधियों को और बढ़ा दिया है। और इस सन्दर्भ में, मैं सोचता हूं कि यह वास्तव में एक बुरी बात है, और बड़ी शर्म की बात है कि सीमा को सील करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। सीमा को अवश्य सील किया जाना चाहिए और युद्ध-स्तर पर पूरी तरह से सील किया जाना चाहिए। आज तक भी, सीमा के 230 किलोमीटर के क्षेत्र में अभी कांटेदार बाड़ लगाना बाकी है। हमने अभी तक केवल 120 किलोमीटर क्षेत्र को पूरी तौर से कांटेदार बाड़ से सील किया है। और अन्य पचास किलोमीटर क्षेत्र को नीची कांटेदार बाड़ लगाई है। 230 किलोमीटर क्षेत्र को अभी भी बाड़ लगाना शेष है जिसमें नदी तटीय क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।

समापति महोदय, मेरा और बहुत से अन्य लोगों का यह विचार है कि हम प्रभावशाली ढंग से सीमा को सील कर सकते हैं। हम पंजाब की 50 से 75 प्रतिशत तक आतंकवादी समस्याओं से निबट सकते थे। पिछले साल जुलाई में, पंजाब में लगभग 571 ए. के 47 बन्दूकें थीं। यह उन सरकारी स्रोतों के अनुसार हैं जिनसे मुझे चण्डीगढ़ में बात करने का अवसर मिला था। एक साल में यह संख्या 571 से लगभग 1700 ए. के -47 बन्दूकों तक पहुंच गई हैं और इसके अलावा रॉकेट-लांचें, खदानें इत्यादि भी हैं। और इसमें वे 600 ए. के.-47 बन्दूकें शामिल नहीं हैं जो पकड़ी गई हैं। इसलिए, मेरा पहला मुद्दा है कि हमें युद्ध-स्तर पर सीमा को सील कर कर देना चाहिए।

मेरा दूसरा मुद्दा है, जैसा कि मैंने कहा है, कि प्रधानमन्त्री न केवल वचन दें कि राष्ट्रपति शासन को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा बल्कि एक उद्घोषणा करें और विशेष तारीख बताएं जब वहां पर अगले वर्ष जल्दी चुनाव कराए जाएंगे।

अन्त में, समय की कमी को देखते हुए, मैं एक अन्य मुद्दा उठाना चाहूँगा। राजनैतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बारे में बहुत बातें की गई हैं। अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। राजनैतिक प्रक्रिया को बढ़ाने से पहले, हमें पंजाब के लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना होगा, और इसके लिए कई उपाय करने होंगे। एक आर्थिक एकमुश्त कार्यक्रम, राजनैतिक पहल की आवश्यकता है और सबसे अधिक लोगों में व्याप्त असन्तोष को मिटाना है। पंजाब में, लोग इस बात पर पहले ही क्षुब्ध हैं कि दिल्ली और अन्य स्थानों पर 1984 की हिंसा में शामिल लोगों के बारे में कुछ नहीं किया गया है। मेरे विचार में असन्तोष को समाप्त करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने हैं।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि अब जबकि राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है तो हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि कुछ संस्थागत व्यवस्था ला सकें, कोई नयी पद्धति अपना सकें जिससे—चाहे हमारे पास विधान सभा नहीं है—हम पंजाब के लोगों को राष्ट्रपति शासन में किसी प्रकार से सम्मिलित कर सकें। इसलिए, मेरा विशेष सुझाव है कि आमतौर पर जैसे हमारे पास निर्वाचित सभा में मन्त्रिमण्डल है, उसी प्रकार सलाहकार मण्डल हो जो वास्तव में उतने ही अधिकार रखता हो। इस प्रकार एक तरह से हम लोगों को शामिल कर सकेंगे। प्रधानमन्त्री को यह उद्घोषणा यहां करनी चाहिए। यहां तक कि पंजाब के लोगों को भी अन्य छः महीनों तक के लिए राष्ट्रपति शासन को स्वीकार करने के लिए कहना चाहिए, उन्हें यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि राज्यपाल के स्तर पर उन्हें वार्ता में सम्मिलित किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सिर्फ एक बात सबसे पहले कहना चाहता हूं कि अमेंडमेंट् लाया गया है, ये पंजाब की अमन पसंद और जम्हूरियत पसंद लोगों की और उनके ख्यालात का कतल करता है और वह भी तब जबकि गवर्नमेंट यह अमेंडमेंट लायी है जो किसी तरह भी मुनासिब नहीं बन सकती है क्योंकि जो कुछ पंजाब में हो रहा है यह आज की बात नहीं है। अभी मेरे एक दोस्त ने एतराज करते हुए कहा था कि श्री अतिन्दर पाल सिंघ ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो संविधान के मुताबिक नहीं हैं। मैं बहुत हैरान होता हूं जब मैं इन लोगों की ऐसी बातें सुनता हूं।

अभी जब यह मामला चल रहा था तो जो लोग कहते थे कि पानी के सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे लेकिन उन्हें कहा गया कि ये देश के दुश्मन हैं, नेशनल इंटीग्रेशन के दुश्मन हैं। दूसरी तरफ आज जो लोग कहते हैं कि राज जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के मामले में हम अदालती फैसले को नहीं मानेंगे, क्या वे देशभक्त हैं या राममक्त हैं। जो लोग कहते हैं कि हम इस देश को हिन्दू राष्ट्र बनायेंगे, क्या वे समझते हैं कि यहां हिन्दू राष्ट्र बनेगा तो क्या सिक्ख राष्ट्र नहीं बनेगा, क्या मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनेगा, क्या इसाई राष्ट्र नहीं बनेगा। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी वे यहां बनाने की बातें करते हैं वे देश को तोड़ने की बातें करते हैं। इन्होंने हमेशा से इस देश को तोड़ने की बातें की हैं और आज फिर वैसी ही बातें कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिये। आज हमारे देश में जो व्यवस्था है, सिस्टम है, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने है, जहां लम्बी एमरजैंसी और सैन्ट्रलाइजेशन के नतीजे आज तक निकल रहे हैं। आज वहां प्रथा हमारे पंजाब में भी शुरू हुई है। जब आजादी का दौर था, उस वक्त पंजाब के सिक्खों ने हिन्दुस्तान के साथ रहने की बात कही थी :

हम बावफा थे इसलिये नजरों से गिर गये,
शायद उन्हें तलाश किसी बेवफा की थी।

उस वक्त जो देशभक्त रहे, उनके मुतल्लिक पहला सर्कुलर कांग्रेस सरकार के वक्त में तत्कालीन गवर्नर की ओर से निकला था, जिसमें कहा गया था कि ये सब लोग क्रिमिनल हैं जो पंजाब के दूसरे हिस्सों से आ रहे हैं। यह पहला सर्टिफिकेट उन लोगों को मिला था। आज फिर वही सिलसिला शुरू हो गया है। उसके बाद पंजाबी सूबे की बात चली, पंजाबी जुबान की बात चली, सिक्खों में जो शेडयूल्ड कास्टस हैं, उन्हें हक-हकूक देने की बात चली, पंजाब के बंटवारे की बात चली, पंजाब के गलत तकसीम की बात चली, पंजाब के पानी को हजम करने की बात चली, सब में हमारे साथ बेइंसाफी हुई और आज फिर वैसी ही बेइंसाफी हो रही है जब इस हाउस में पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि और बढ़ाने जाने वाले विधेयक पर बहस हो रही है, वह भी इतने लम्बे अर्से के लिए, इसे मामूली मामला समझ कर, इधर-उधर करने की बात चल रही है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यदि यह सिलसिला जारी रहा, यह व्यवस्था आगे भी चलती रही तो यह पंजाब और देश के लिए खतरनाक हो सकता है। पंजाब के बारे में यहां जितने पंजाबी मेम्बर साहेबान बोले हैं, चाहे वे सत्ता पक्ष के थे या विपक्ष के थे, सबने यही राय जाहिर की है कि पंजाब में फौरी तौर पर इलैक्शन्स होने चाहिए। पंजाब में पहले भी बन्दूक की नोक

पर इलैक्शन नहीं हुए। बन्दूक की नोक पर इलैक्शन हुए थे हमारे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के हल्के में, जिनके मुकदमे अब भी चल रहे हैं। बन्दूक की नोक पर इलैक्शन हुए थे हरियाणा में, जिनके मुकदमे आज भी चल रहे हैं। बन्दूक की नोक पर इलैक्शन्स हुए थे बिहार में, आज भी वहां यही रिवाज है। फिर पंजाब को क्यों बदनाम किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह जम्हूरियत का तकाजा है, यदि वहां इलैक्शन नहीं होते, जैसे यहां अभी आंकड़े पेश किये गए एक माननीय सदस्य ने कि पिछली दफा के इतने कत्ल हैं, इस दफा इतने कत्ल हुए, मेरी धारणा है कि जितने इलैक्शन्स लेट होंगे, शायद कत्ल भी उतने ही बढ़ते जायेंगे। क्यों बढ़ते जायेंगे क्योंकि आज पंजाब में जिस ब्यूरोक्रेसी का राज है, जिस पुलिस टीम का राज है, उनके साथियों ने जितने गुनाह किये हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे कि पंजाब में इलैक्शन्स कराये जाने की बात की जाये। फौरन कत्ल बढ़ने शुरू हो जायेंगे। फिर सबूत मुहैया किया जाएगा कि पंजाब इलैक्शन के काबिल नहीं है। जब तक आप उन लोगों को नहीं बदलते, पंजाब को इन्साफ नहीं मिल सकता।

वही शोले वही बिजली, वही आदाबे कफरा,
कौन कहता है कि गुलशन में बहार आयी है।

मैं समझता हूं कि यह संविधान में अमेंडमेंट, पंजाब की जम्हूरियत के लिये, पंजाब के अमन-पसन्द शहरियों के लिए, इन्साफ पसंद लोगों के लिये, जिनकी तादाद 90 से 99 प्रतिशत है, इंतहाई जुल्म है और मैं इस गुनाह में बिल्कुल शामिल होना नहीं चाहता। यह गुनाह कांग्रेस सरकार ने शुरू किया लेकिन मुझे निहायत अफसोस है कि वी. पी. सिंह जैसी छवि के लोग भी आज कांग्रेस की सपोर्ट के मुहताज हो रहे हैं। जिनके जुल्मों की दास्तान इतनी लम्बी है, जिनके तशद्दुद की दास्तान इतनी लम्बी है, जिनके गुनाहों की दास्तान इतनी लम्बी है कि शैतान भी इनसे खौफ खाये, शैतान भी इनको लांछन दे, उनके सामने सिर झुकाए। यदि वी. पी. सिंह जैसा आदमी भी इन लोगों के सामने झुक जाये तो यह बड़ी हैरानी की बात है, जुल्म की बात है, अन्याय की बात है और उनके जैसी अजीम शकसियत के लिए बड़े खतरे की बड़ी शर्म की बात है, उनकी वोट के लिये इतना कुछ किया जाए। मैं कम से कम इसमें साथी नहीं बनना चाहता। मैंने आपके सामने अपनी जजबात की बात कह दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को दुहराना नहीं चाहता जिसे मेरे सहयोगी श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा श्री सैफुद्दीन चौधरी ने कहा है मैं उनके विचारों से सहमत हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अच्छा तो यह होता कि इस संशोधन को लाने के बदले पंजाब में हम चुनाव करवा सकते।

2.31 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

भारी मन से और परिस्थितियों से बाध्य होकर हमें इस संशोधन का समर्थन करना पड़ा है और हम कर भी रहे हैं। लेकिन संविधान की दृष्टि से हम इस संशोधन के विरुद्ध हैं। हम किसी भी राज्य में और विशेषकर पंजाब में राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते हैं। लेकिन परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि न तो केन्द्र सरकार और न ही सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी, पंजाब में ऐसा माहौल उत्पन्न कर पाए जिसमें स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराया जा सके। इस संबंध में मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा व्यक्त विचारों का

अनुमोदन करता हूं कि राष्ट्रपति शासन के अवधि को बढ़ाए जाने तथा साथ ही हमें पंजाब के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करते हुए वहां के माहौल में परिवर्तन लाने का प्रयास करना होगा ताकि इस सरकार की साख पंजाब के लोगों के बीच बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ दबाव में आकर तथा बाध्य होकर मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव पर विचार करने के लिये 2.30 म. प. का समय निश्चित किया था। अब 2.30 बज चुके हैं वास्तव में 2.30 से अधिक समय हो चुका है।

श्री राजदेव सिंह (संगरूर) : महोदय, चूंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूं, जिसकी यहां चर्चा हो रही है, मैं इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को दो-तीन मिनट का समय दे सकता हूं।

श्री हरभजन लाखा (फिल्लौर) : महोदय, मैं यहां पंजाबियों की आवाज को व्यक्त करने के लिए हूं परन्तु हमें कभी-भी मौका नहीं दिया गया। पिछली बार भी हमें मौका नहीं दिया गया। मैं अपने दल का मुख्य सचेतक भी हूं। आप यह चाहते हैं कि मुख्य सचेतक को अनुशासन बनाए रखना चाहिए जबकि आपने कभी भी अनुशासन का पालन नहीं किया है। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बोलें।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : महोदय, समय बचाने के लिए उन्हें एक साथ बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री हरभजन लाखा : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने की इजाजत दे दी है।

मान्यवर, पंजाब भारत के दो प्रतिशत लोगों को वह हिस्सा है जिसमें छुआछूत, जाति-पांति के विपरीत भाईचारा बनाकर लोग रहते हैं। जहां एक ओर पंजाब में लोग आपस में भाई-चारे और मेलजोल से रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ, सारे देश में आज छुआछूत और नफरत फैल रही है।

मान्यवर, पंजाब में गुरुओं ने लोगों को भाईचारा बनाकर रहने की सीख दी थी, जिसके ऊपर वहां के लोग चल रहे हैं। देश की आजादी के लिए पंजाब के 90 प्रतिशत सिखों ने कुरबानियां दी थीं, लेकिन आज उनको आजादी देने के लिए उनके साथ मजाक किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, 11 मई, 1987 से पंजाब में जनतन्त्र समाप्त कर, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है जिसमें पंजाब के लोगों के साथ अन्याय हुआ है।

उससे पहले जब 5 मई को आल पार्टी की मीटिंग हुई थी उस समय यह वादा किया गया था कि पंजाब में छः मास के बीच-बीच इलैक्शन करेंगे। प्रधानमन्त्री जी ने उस समय

ऐनाउंस किया था, वह ऐनाउंसमेंट कहां गई ? आप लोग पंजाब के साथ जो धोखा कर रहे हैं वह जान-बूझकर कर रहे हैं क्योंकि आपने वादा किया था कि एक साल की एक्सटेंशन नहीं लेंगे, छः एक्सटेंशन के बाद हम पंजाब के लोगों को डैमोक्रेसी देंगे। क्या यह बात इस पार्लियामैंट में नहीं कही गयी थी कि हम छः मास में इलैक्शन करेंगे ? हम लोग इलैक्शन की तैयारी करते रहे और आप उन लोगों के साथ मजाक करते रहे। इस देश में पंजाब के साथ सबसे पहले कांग्रेस वालों ने बहुत बड़ा धोखा किया है, इसके बाद आज जनता दल दस महीनों से धोखा कर रही है। आप बताइए कि छः मास में पंजाब में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं ? जो वादा किया था उनमें से क्या कोई भी वादा पूरा हुआ है। वहां से हमारे डिप्टी होम मिनिस्टर वहां गए और सफाई देकर आ गये। क्या यह डैवलपमेंट का रास्ता है ? आज पंजाब में जाकर देखिये उनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, सी.आर.पी.एफ., बी एस.एफ. की फोर्सेस के ऊपर पैसा लगता है न ही एजुकेशन की डैवलपमैंट, न ही सड़कों की डैवलपमैंट, न ही इकोनोमी और दूसरे तरीके से डैवलपमैंट हो रही है। यह धोखा क्यों हो रहा है ? क्योंकि पंजाब के लोग न्यारे हैं जिनके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। मैं प्रधानमन्त्री से यही विनती करता हूं कि आपने पहले जो पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया है, पंजाब के लोगों ने हमें यह कहा है कि आप बिल का समर्थन नहीं देना क्योंकि वादा करके लोगों के साथ धोखा किया है। इसलिए हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि छः मास का वादा करके इस पंचायत में लोगों के साथ धोखा किया गया है। इलैक्शन हुआ था, इलैक्शन के दौरान एक मास में, आप पुराने रिकार्ड लाकर देखिए, वहां पर कोई भी कत्लेआम नहीं हुआ। इलैक्शन से पहले जरूर कत्लेआम हुआ होगा, इलैक्शन के दौरान कोई भी कुत्ता नहीं मरा, कोई भी इन्सान नहीं मरा। आप रिकार्ड देखिए। दूसरी तरफ देश में जो इलैक्शन होते हैं वे बन्दूक की नोक से होते हैं। पंजाब का रिकार्ड है इलैक्शन टाइम में कोई भी कत्लेआम नहीं हुआ। कौन लोग कहते हैं कि पंजाब के साथ धोखा हुआ है ? मैं भी इलैक्शन लड़कर आया हूं, कांग्रेस के दो लोग इलैक्शन लड़कर आए हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का था वह पैसे लेकर बैठ गया है। होशियार पुर से इलैक्शन लड़ा था और पैसे लेकर बैठ गया। कांग्रेस का एक आदमी इलैक्शन लड़ा, उसे 70 हजार वोट मिले हैं और वही लोग कहते हैं कि पंजाब में हालात खराब हैं ? कौन कहता है कि पंजाब में हालात खराब हैं ? मैं पी. एम. साहब से विनती करता हूं कि आप इस अमैंडमेंट को न रखें, इलैक्शन करवाएं। हम आपसे विनती करते हैं कि पंजाब में किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा और लोग शान्ति से इलैक्शन करेंगे क्योंकि इलैक्शन के पुराने रिकार्ड में पंजाब के लोग समझौता वाले हैं, भाईचारे से रहते हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस पंजाब के इलैक्शन के लिए समर्थन करता हूं और इस अमैंडमैंट के बारे में विरोध में बात कहता हूं।

[अनुवाद]

श्री राजदेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब में न तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का शासन है बल्कि वहां भ्रष्टाचार का शासन है। मैं सदन के कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्त इस विचार से सहमत नहीं हूं कि पंजाब समस्या का समाधान चुनाव है। पंजाब की समस्या मूलतः और बुनियादी तौर पर सिखों की समस्या है। सिखों की प्रतिनिधि संस्था शिरोमणि अकाली दल ने स्पष्ट किया है कि सिखों की कुछ मांगों को यदि मान लिया जाए तो पंजाब समस्या का समाधान किया जा

सकता है। सिखों की मांगों को बिना स्वीकार किये चुनाव कराने से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस संशोधन से पूर्व और राष्ट्रपति शासन के प्रख्यापित होने से पूर्व वहां एक निर्वाचित सरकार थी। यदि पंजाब की समस्या का समाधान चुनाव ही था, या यदि चुनाव ही है तो पिछली सरकार के विफल होने का कोई कारण नहीं था। सिखों की पहली मांग यह है कि भारत में रहते हुए उन्हें एक अलग दर्जा प्राप्त होना चाहिये, उनकी एक अस्मिता होनी चाहिये और उनके धर्म को भारत के धर्मों में एक माना जाना चाहिये।

शिरोमणि अकाली दल ने स्पष्ट रूप से यह मांग की है उन्हें एक अलग कौम के रूप में माना जाए। इसमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिये क्योंकि कौम शब्द के कई अर्थ होते हैं, और वास्तव में इसका सही अनुवाद अंग्रेजी में नहीं किया जा सकता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू विवाह, अधिनियम, हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, हिन्दू अल्पसंख्यता और संरक्षण अधिनियम सिखों को हिन्दुओं का ही एक भाग मानते हुए उन पर भी ये सभी कानून समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी सिख स्वयं को हिन्दू कहा जाना सहन नहीं कर सकता।

हमारा हिन्दुओं से कोई झगड़ा नहीं है और हमारा हिन्दुओं से बहुत ही अच्छा सम्बन्ध है और सभी धर्मों का सम्मान करना सिखवाद का मौलिक सिद्धान्त है। लेकिन इसके साथ ही हम यह नहीं सहन कर सकते कि हमारे धर्म को हिन्दू धर्म का ही एक अंग माना जाए और हमारे धर्म को एक अलग धर्म की मान्यता न मिले। सिखों को एक कौम के रूप में मान्यता देना ही पंजाब में सामान्य स्थिति लाने की दिशा में पहला कदम होगा। कोई भी पंजाब में सामान्य स्थिति लाने की दिशा में प्रधानमन्त्री के ईमानदारी और गम्भीरता पर शक नहीं कर सकता लेकिन पंजाब में नौकरशाही का निहित स्वार्थ है ताकि वहां उनका शासन कायम रहे। इसलिये नौकरशाही अपने शासन को कायम रखने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है और प्रधानमन्त्री द्वारा सामान्य स्थिति फिर से लाने के लिये किये गये प्रयास को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं यह महसूस करता हूं कि इस स्थिति में जबकि सिखों के मांग को नहीं माना जा रहा है और आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं तो चुनाव से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सिखों की मांगों को मानने के लिये तथा वे इस देश में पूरी तरह सुरक्षित हैं यह भावना पैदा करने के लिये हर सम्भव सहायता देकर, राष्ट्रपति शासन की बढ़ी हुई अवधि का उद्देश्यपूर्ण उपयोग किया जाएगा।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान के ढांचे के अन्दर सभी कदम उठाए जाने चाहिये और तब सिखों की ओर से भारत की एकता और अखंडता को कोई खतरा नहीं होगा। जो लोग यह कहते हैं कि सिखों की ओर से भारत की एकता और अखंडता को खतरा है, वे सिखों की मानसिकता और उनके जीवन-दर्शन से परिचित नहीं है।

इस, अवधि में सिखों की मांगों को मान लिया जाना चाहिये। किसान-वर्ग जो कि सिखों का आधार है उन्हें उचित रियायत दी जानी चाहिये और उनकी मौलिक मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिये।

अब सिखों को पंजाब में यातना दी जा रही है, जबकि दूसरी ओर नौकरशाही का

राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाते रहने में निहित स्वार्थ जुड़ा हुआ है। सिखों की दूसरी मांग यह कि भारत की रक्षा सेवा में उन्हें अधिक नौकरियां दी जाएं। 1947 से पूर्व भारत की रक्षा सेवा में सिखों की भागीदारी 33 प्रतिशत थी।

लेकिन, अब वे रक्षा सेनाओं में उनका प्रतिशत केवल 2 प्रतिशत हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे रक्षा सेनाओं में जाकर मातृभूमि की सेवा नहीं करना चाहते, इसका कारण यह है कि उन्हें रक्षा सेनाओं में भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सिखों को रक्षा सेनाओं में सेवा करने का अवसर दिया जाए, उन्हें मातृभूमि की सेवा करने, मातृभूमि की सुरक्षा करने के लिए और उन्हें और अधिक रोजगार के अवसर दिए जाएं। इसलिए इस सभा से मेरी पुरजोर अपील है कि भारत की अखंडता और एकता को मजबूत करने के लिए, जो कि धर्म, जाति पर गौर किए बिना ही प्रत्येक भारतीय को प्रिय है, सिखों को एक पृथक कौम घोषित किया जाए और उनकी अन्य मांगें मानी जाएं। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि माननीय प्रधानमन्त्री स्थिति को सुधारने और सिखों के सम्मान को पुनः कायम करने के लिए सब कुछ करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए. के. राय।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नहीं चाहता कि अध्यक्ष-पीठ निरंकुश हो। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम के तरहत मुझे पंजाब पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया। मुझे चर्चा के बीच में बुलाया जाना चाहिए था क्योंकि मैं अपने संसदीय गुट का नेता हूं। आपने किस नियम के तहत मुझे पंजाब पर बोलने से वंचित रखा? इस विषय पर मेरी निश्चित राय है। यदि मुझे दस मिनट के लिए बोलने की अनुमति नहीं दी गई तो मैं नहीं बोलूंगा। अब मैं इस बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूं। अगर आप घंटी भी बजाएंगे तो भी मैं कभी भी दो या तीन मिनट के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि इस विषय पर बोलना मेरे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मुझे इस विषय पर बोलने के लिए दस मिनट चाहिएं। अन्यथा मैं नहीं बोलूंगा और वाक-आउट करूंगा क्योंकि पंजाब पर मेरा निश्चित मत है। **(व्यवधान)** यह ठीक नहीं है। आपने किस नियम के तहत मुझे पंजाब पर बोलने की अनुमति नहीं दी? आप मुझे नियम बताइए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पौने तीन घण्टे की बहस में भारतीय जनता पार्टी को केवल 7 मिनट मिले हैं।

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : क्या आप मुझे बोलने का अधिकार नहीं देंगे? मुझे बोलने का अधिकार है। मुझे बोलने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में निदेश 115(क) उद्धृत कर रहा हूं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : मैं इस बारे में जानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर आपने मुझे यह बताने के लिए क्यों कहा?

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : आप निरंकुश नहीं बन सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए. के. राय।

आप यह नहीं कह सकते कि आप दस मिनट तक बोलेंगे। लेकिन आपको कुछ समय दिया जाएगा।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : लेकिन आप केवल दो मिनट की अनुमति देकर घण्टी नहीं बजा सकते। आप मुझे दस मिनट दें; मैं दो या तीन मिनट के लिए नहीं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

श्री ए. के. राय।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : मैं चाहता हूं कि अध्यक्षपीठ लोकतान्त्रिक मानदण्डों का अनुसरण करे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप काफी जानकार सदस्य हैं। आप इस पर जोर न दें।

श्री ए. के. राय।

श्री ए. के. राय (धनबाद) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और श्री सोज़ का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि आप दस मिनट से पहले घंटी नहीं बजाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं दो मिनट बाद ही ऐसा करूंगा।

श्री ए. के. राय : संसदीय प्रक्रिया तो भ्रमित को भ्रम में डालने की कला है; हम बड़े ही प्रशंसनीय तरीके से एक दूसरे को भ्रमित कर रहे हैं। हर वक्ता पंजाब में लोकतन्त्र और वहां पर शीघ्र निष्पक्ष चुनाव कराने का समर्थन करता है और हर वक्ता वहां पर राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का भी समर्थन करता है। मैं यह अवधि बढ़ाने का विरोध करता हूं और चुनावों का समर्थन करता हूं। मैं तीन बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहले तो यहां पर यह विचार किया जाए कि क्या आपात्कालीन सत्र और छः महीने की अवधि बढ़ा कर संविधान का मौलिक स्वरूप खंडित हो रहा है।

महोदय, हाल ही में एक संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण प्रावधान को रद्द करके इस अवधि को कुछ सीमाओं के साथ छः महीने से बढ़ा कर एक वर्ष कर दिया है। परन्तु इससे इस विचार को अलग नहीं किया जा सकता कि आपातकालीन सांवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग बहुत ही कम किया जायेगा। पिछली बार आपसे हमने यह आश्वासन सुना था कि कुछ सीमित अवधि में चुनाव करवा दिए जायेंगे और इस प्रावधान का गलत प्रयोग नहीं किया जायेगा। उस समय भी मैंने यह कहा था कि "सभी सदस्य बेदिली से इसे विधेयक का समर्थन कर रहे हैं और मैं बेदिली से इसका विरोध कर रहा हूं। और आज भी मेरा यही दृष्टिकोण है और यह साबित हो गया है कि उस समय मैंने जो भी कहा था, वह सत्य था।

दूसरी बात यह है कि मैं प्रधानमन्त्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या हम पंजाब में चुनाव

करवा कर सभी समस्याएं हल कर सकते हैं। चुनाव करवा कर हम देश की सभी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते हैं। हम पंजाब को सारे भारत की तरह बनाना चाहते है परन्तु आज सारा भारत पंजाब जैसी स्थिति में आ गया है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूं कि क्या चुनाव स्थगित करके हम कोई समस्या सुलझा रहे हैं अथवा नहीं, क्या हम समस्या सुलझाने की दिशा में प्रगति करेंगे अथवा और भी पिछड़ जायेंगे। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। हमारा मनोरथ क्या है ? हमारा उद्देश्य उग्रवादियों को अलग-थलग करना है जिनका अपना कोई सिद्धान्त नहीं है और जिन पर लोगों को विश्वास है। परन्तु चुनाव स्थगित करके क्या हम उग्रवादियों के हाथों को मजबूत कर रहे हैं अथवा कमजोर कर रहे हैं ? मेरे विचार में चुनाव स्थगित करके हम उग्रवादियों के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और इस प्रकार हम स्थिति को बद से बदतर बना रहे हैं।

मेरा तीसरा मुद्दा यह है कि जब इस सरकार ने सत्ता सम्भाली थी तो इसने काम का अधिकार देना जैसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया था, काम का अधिकार अभी तक नहीं दिया गया है और मेरा विश्वास है कि निकट भविष्य में यह नहीं दिया जायेगा। परन्तु इस सरकार ने लोकतन्त्र प्रदान करने का आश्वासन दिया था। इस सरकार ने विधि-सम्मत प्रशासन देने का आश्वासन दिया था। इस सरकार ने और अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करने का आश्वासन दिया था। इस सरकार ने अभिव्यक्ति के अधिकार तथा राजनैतिक संगठनों को गठित करने तथा चुनाव करवाने का आश्वासन दिया था मैं यह जानना चाहता हूं कि चुनाव स्थगित करके यह सरकार अपनी विश्वसनीयता में बढ़ोत्तरी कर रही है अथवा लोगों में अपनी विश्वसनीयता को खोती जा रही है ? चुनाव न करवा कर वास्तव में यह सरकार सभी लोगों में अपनी विश्वसनीयता को कम कर रही है। यद्यपि इस मामले में सभी दलों से आम सहमति स्थापित हो गई है, तो भी मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें जन समुदाय के एक वर्ग को उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करने का हक है। इसीलिए मैं यह कहता हूं कि यह एक अवैध, अनैतिक तथा अनुचित कदम है। इस सम्मानित सभा के लिए यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तथा काला दिन है यद्यपि हम पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए सहमत हैं।

मैं केवल एक मिनट का और समय लूंगा। अन्त में मैं इस सरकार को तथा इस सदन के सदस्यों को एक काफी पुरानी घटना का स्मरण करवाना चाहूंगा। एक बार कनफ्यूशियस से उसके एक शिष्य ने पूछा, "एक देश का शासन अच्छी प्रकार चलाने के लिए कौन कौन से तीन तत्व आवश्यक हैं ?" कनफ्यूशियस ने उत्तर दिया कि तीन बातों की आवश्यकता है, एक है किला, दूसरी है भोजन और तीसरी है विश्वास। तब उसके शिष्य ने फिर पूछा, "अगर यह तीनों बातें उपलब्ध न हों तो किसे छोड़ा जा सकता है ?" उत्तर मिला, "किला"। तब शिष्य ने फिर पूछा कि अगर दोनों बातें प्राप्त न हों तो किस एक चीज को छोड़ा जा सकता है ?' तब उसने उत्तर दिया कि भोजन का परित्याग किया जा सकता है, परन्तु विश्वास को नहीं खोया जा सकता।

मेरे विचार में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ा कर हम विश्वास और पंजाब पर शासन करने के अधिकार को खोते जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सोज साहिब, आप एक बहुत ही अनुशासित सदस्य हैं और आप सदन के निर्णय से अवगत हैं और मुझे विश्वास है कि आप कम से कम समय में अपनी बात समाप्त

कर लेंगे।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : पंजाब के मुद्दे पर विचार व्यक्त करने में मेरी बहुत अधिक रुचि नहीं थी। इस सदन की अपनी सदस्यता की अवधि में लगभग बीस बार मैंने पंजाब पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम आपको और अपने विचारों को अच्छी तरह जानते हैं, आप शीघ्रता से अपनी बात कह सकते हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : आज विशेषतया दो बातों के कारण मेरी रुचि जाग्रत हुई है। उनमें एक मुद्दा खुराना साहिब द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन है। इस सम्बन्ध में मैं गालिब साहिब की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। उसे बताया गया है कि प्रधानमन्त्री उर्दू कविता को समझते हैं। खुराना साहिब राष्ट्रपति शासन की अवधि में छः महीने की नहीं बल्कि एक वर्ष की बढ़ोतरी करवाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। बड़े दुखी हृदय के साथ मैं कल कश्मीर से लौटा हूं। इसलिए मैं गालिब साहब की पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूंगा क्योंकि पीड़ा की अभिव्यक्ति में आज तक उनका कोई सानी पैदा नहीं हुआ। हमारे प्रधानमन्त्री इस पुरानी गज़ल को जानते होंगे।

[हिन्दी]

इसका एक शेर है :

"हैरान हूं कि दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं,
मकदूर हो तो साथ रखूं नोहागर को मैं।"

[अनुवाद]

पुराने समय में, और हो सकता है कि गालिब के समय में भी यह प्रथा थी कि जब आप लगातार रोते रहें और हालात पर आपको बहुत दुख हो और आपका सब्र समाप्त हो जाये तो आप किराये के दो लोग अपने दायें बायें बिठा सकते थे जो कि आपकी तरफ से रोते थे। इसलिए गालिब कहते हैं कि :

"मेरा मन दुख से भरा हुआ है। मैं और आंसू नहीं बहा सकता। अगर मेरे बस में होता तो मैं किराए पर रोने वालों को ले आऊंगा।"

जहां तक इस संविधान संशोधन का प्रश्न है, तो मेरा यह विचार है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाना केन्द्रीय सरकार की मजबूरी है। मैं शब्दों में हेरफेर नहीं करना चाहूंगा। मेरे विचार में पंजाब की परिस्थितियां चुनाव कराने के अनुकूल नहीं हैं। अन्यथा प्रधानमन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि वह पंजाब में चुनाव करवायेंगे। इसलिए मैं इस संशोधन की भावना को समझता हूं कि राष्ट्रपति शासन की अवधि में छः महीने की बढ़ोतरी करना केन्द्रीय सरकार की मजबूरी है। परन्तु खुराना साहिब ने मुझे और चौकन्ना कर दिया है। वह राष्ट्रपति शासन की अवधि में एक वर्ष की बढ़ोतरी चाहते हैं··· **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : वह मेरी तरफ से बोल रहे हैं···

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : इसलिए जब प्रधान मन्त्री चर्चा का उत्तर देंगे तो उनसे मैं यह आश्वासन लेना चाहूंगा कि राष्ट्रपति शासन की अवधि केवल छः महीने के लिए बढ़ाई जायेगी और इस दौरान प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है। मेरे जैसे सदस्य के मुंह से हो सकता है यह बड़ी बात लगे। मैंने प्रधानमन्त्री के समक्ष एक प्रश्न उठाया था। वह पंजाब में अमृतसर गए थे। मुझे उनकी ईमानदारी तथा उनकी विचारधारा के बारे में कोई संशय नहीं है। उन्होंने पंजाब के लोगों में आशा की एक किरण जगाई है। परन्तु मैं प्रधानमन्त्री के समक्ष एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ। वह उस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पर कि इस देश को उचित ढंग से चलाने की जिम्मेवारी है क्योंकि वामपंथी दल तथा भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन कर रहे हैं। जनता दल ने पंजाब में क्या किया ? आम जनता में मंत्रियों का नहीं बल्कि दल का महत्त्व होता है। प्रधानमंत्री की अमृतसर यात्रा से लेकर अब तक जनता दल ने पंजाब में क्या किया है ?

मुझे पता है कि उस दल के सदस्य स्वयं को समितियों में शामिल करवाने और विदेश जाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री महोदय पर दबाव डलवा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे पंजाब गए थे; कश्मीर गए थे ? क्या आपने वहां कोई प्रतिनिधि मंडल भेजा था ? यह सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल हो सकता था—क्या जनता दल ने पंजाब के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कोई पहल की ?

इस सभा में, अपने जीवन में पहली बार मेरे विचार कामरेड इन्द्रजीत गुप्त के विचारों से मेल नहीं खा रहे हैं। मैं उनका अत्यधिक सम्मान करता रहा हूं। उनकी यह धारणा गलत नहीं है कि पंजाब में आर्थिक समस्या भी है। वह चाहते हैं कि बहुत से क्षेत्रों में, विशेषतया सेना में रोजगार मुहैया कराए जाएं। वह सड़कों, भवनों, अस्पतालों और अन्य ऐसे बहुत से निर्माण-कार्य चाहते हैं। इन्द्रजीत बाबू मैं कश्मीरी हूँ। पंजाब में आज जो स्थिति है, उसमें आर्थिक पहलू इतना संगत नहीं रह जाता है। पंजाब को सहानुभूति की, करुणा की आवश्यकता है और उस करुणा से पंजाब को वंचित रखा गया है; कश्मीर को वंचित रखा गया है। यह गोली के बदले गोली की नीति है। मैं पंजाब के राज्यपाल को जानता हूं। वह एक समिति में लम्बे समय तक मेरे सहयोगी रहे थे। वह एक नेक व्यक्ति हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि नौकरशाह सब पर हावी हो जाए और उन्होंने प्रशासन में अपना नौकरशाही वाला ढंग ही अपनाया।

3.00 म. प.

पंजाब में गोली के बदले गोली की नीति अभी भी जारी है। और अब कश्मीर में इससे भी खराब स्थिति है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने अशांत क्षेत्र अधिनियम तथा सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जैसे काले कानूनों की ओर ध्यान दिया है ? कांगन में क्या हुआ है ? ऐसे लोगों से भरी एक बस को, जिन्हें उग्रवादी कहा गया, जला दिया गया। मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच करवाएं और मैं पारिस्थितिक प्रमाणों से साबित कर सकता हूँ कि उनमें निर्दोष लोग भी शामिल थे। अरामपुरा सोपोर में क्या हुआ ? सैयद शहाबुद्दीन और अन्य कुछ व्यक्ति कल ही मेरे साथ श्रीनगर से आए हैं। वे राज्यपाल से मिले थे और उन्हें बताया था कि सोपोर में 60 घर जला दिए गए और उनमें से एक घर में चार व्यक्ति मारे गये। (**व्यवधान**) पंजाब और कश्मीर की स्थिति एक दूसरे से संबंधित हैं। आप गोलियों से कश्मीर की समस्या का, कभी

समाधान नहीं कर सकते हैं। श्री जगमोहन की नीति आज भी जारी है। श्री सक्सेना ने कोई अलग नीति नहीं अपनाई है। उनके सलाहकार और मुख्य सचिव उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। कर्मचारियों के साथ टकराव चल रहा है। वे पूर्ण हड़ताल पर हैं। राशन डिपो और अस्पताल बंद हैं। विद्युत की आपूर्ति अस्त-व्यस्त है। आम व्यक्ति कठिनाई में हैं। केन्द्र सरकार असहाय होकर यह सब देख रही है। मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह पंजाब के लोगों से सहानुभूति दर्शाने के लिए वहां एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे ? क्या वह कश्मीर में वहां की स्थिति देखने के लिए एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे ? क्या वह सोपोर जाएंगे, जहां सीमा सुरक्षा बल द्वारा घरों के अंदर ही लोगों को मार दिया गया है ? यह सीमा सुरक्षा बल द्वारा हत्या, उत्पीड़न और आगजनी का मामला है। हम कश्मीर में किए गए सभी अत्याचारों की उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायधीशों द्वारा जांच कराना चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि माननीय प्रधानमन्त्री जी असहाय होकर कश्मीर की दुर्दशा को देखते रहें और अपने मंत्रियों के माध्यम से हमें सलाह दें कि हमें सहयोग करना चाहिए अथवा हमें किस प्रकार सहयोग करना चाहिए। मुद्दा यह है कि आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं अथवा करना चाहते हैं ? क्या आप लोगों को मारना चाहते हैं, क्योंकि आप उग्रवादियों और निर्दोष व्यक्तियों के बीच अन्तर करने में असफल रहे हैं ? पंजाब में भी आप निर्दोष और उग्रवादियों के बीच अन्तर करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार यह एक-दूसरे से संबंधित समस्या है। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमन्त्री जी मेरे इन मुद्दों के उत्तर दें। क्या वह इसकी जांच करवाएंगे ? क्या वह कांगन, सोपोर और पाजीपोरा जाएंगे, जहां सेना और सीमा सुरक्षा बल के व्यक्तियों ने निर्दोष लोगों को बिना उसकी किसी गलती के मार दिया है ? सरकार उग्रवादियों और निर्दोष व्यक्तियों के बीच अन्तर करने में क्यों असफल रही है ? आप उग्रवादियों के साथ अपने कानून से निपटें। लेकिन आपको निर्दोष व्यक्तियों को मारने का क्या अधिकार है ? मेरे पास सबूत है। क्या वह सदन को आश्वासन देंगे कि पंजाब और कश्मीर में निर्दोष लोगों को मारा नहीं जाएगा ?

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : डिप्टी स्पीकर सर, यह बात बिल्कुल सही है कि 5 महीने पहले जब इस हाउस में संविधान संशोधन के लिए हम आए, उस वक्त सरकार ने, खसूसन प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस ऐवान में यह यकीन दिलाया कि 6 महीने के अन्दर-अन्दर चुनाव होंगे और यह बात भी सही है कि पंजाब के हालात ठीक करने के लिए नेशनल फ्रंट की सरकार जब बनी तो उसने कुछ कदम उठाए, जिसको यह कहा जा सकता था उस वक्त कि कुछ जख्मों को मरहम करने की कोशिश की गई, कुछ कदम उठाकर वहां के हालात को, वहां के लोगों की साइकी को ठीक करने के लिए कदम उठाए गए, लेकिन जहां तक आतंकवाद और टेररिजम का ताल्लुक है, यह बात बिल्कुल साफ है कि मदद बाहर से मिल रही है, खुले रूप से मिल रही है।

जितना सामान, जितने आर्म्स हमारी सिक्योरिटी फोर्सिस ने पकड़े हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। उस प्रोपोरशन के मुताबिक टैरोरिस्ट्स के हाथ में इतना सामान है। हकीकत यह है कि हम इस वक्त नहीं कह सकते हैं कि पंजाब में आइडियल हालात हैं जिससे वहां चुनाव हो जाएं। फिर प्राईम मिनिस्टर ने पंजाब के जो सदस्य हैं, एम. पी. हैं उनके साथ बात की, वहां की अकाली दल पार्टियों से बात की। पूरी डिटेल में इस बात की असैसमेंट की गयी कि क्या

पंजाब में चुनाव कराए जाएं। इसमें एक राय वहां से आयी। पंजाब के लोग यह समझते हैं कि हम इस बड़े मुल्क का, इस देश का हिस्सा हैं जहां जम्हूरियत है, डैमोक्रेसी है। पंजाब के लोग समझते हैं कि पिछले साढ़े तीन साल से वहां चुनाव नहीं हुए हमारे साथ डिसक्रीमिनेशन हो रहा है। इसलिए पंजाब के लोगों को साथ चलाना है। वहां के लोग चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। वे लोग भी हैं जिनको माई से सपोर्ट मिलती है। जो पंथ कमेटी है उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि जो चुनाव में हिस्सा लेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। लेकिन फिर भी पंजाब के बड़ी तादाद में लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। एक राय थी कि चुनाव फौरन करना चाहिए। अगर पंजाब के लोगों में विश्वास कायम करना है तो चुनाव होना चाहिए। दूसरी राय थी कि जब तक आतंकवाद को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए। टैरोरिज्म का फिनामिना लांग टर्म फिनामिना है। जब तक आतंकवादियों को माई से मदद मिलेगी तब तक मारने का माहौल चलता रहेगा। इसलिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि इस पर कंट्रोल कर लीजिए फिर चुनाव करवाइये, इस पर कंट्रोल किए बिना चुनाव नहीं करना है।

तीसरा सुझाव आया था कि कुछ न कुछ इनीशिएटिव लेने की जरूरत है। जैसे एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। जैसे हमी इन्द्र जीत गुप्त जी ने कह दिया कि जितनी भी नेशनल पार्टियां हैं सब मिल कर लड़ें, लोगों को मोबिलाइज करें, लोगों को समझाएं तो एक माहौल बन सकता है। एक राय यह थी कि अभी नहीं, एक महीने में नहीं, छः महीने का एक्सटेंशन मिल जाए। इस दरमियान में चुनाव कराने की जरूरत है। उसमें पॉलिटीकल इनीशिएटिव लेने की जरूरत है। यह बात भी सही है कि अगर आज सरकार कह दे कि 6 महीने में चुनाव हो जायेंगे तो लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे। प्राईम मिनिस्टर जी की ख्वाहिश थी कि 6 महीने के बजाए 4-5 महीने में चुनाव हो जाए, 4-5 महीने का टाईम दिया जाए। लेकिन सब लोगों के साथ मिल कर हमने यह फैसला किया है, सभी सहयोगी पार्टियों से, बी. जे. पी. और लैफ्ट पार्टियों से भी बात की है। गवर्नमेंट के पास विजडम का खजाना नहीं है। हम कांग्रेस से गुजारिश करेंगे, एक्शन प्लान हम बना सकते हैं, सभी पार्टियों के मशविरे से तय कर सकते हैं कि एक्शन प्लान क्या होना चाहिए जिससे पंजाब में अच्छा और खुश-गवार माहौल बने और वहां चुनाव हों। हमने काफी कदम उठाए। मैं भी बार्डर पर गया, प्राईम मिनिस्टर साहब भी गए। जहां तक फैंसिंग का ताल्लुक है, जिस इलाके में हमने फैंसिंग की है उस इलाके में बहुत हद तक इनफिल्ट्रेशन कंट्रोल हो गया है। जितने भी बाकी इलाके पंजाब में हैं वहां 37 किमी. की फैंसिंग हम इस साल बार फुटिंग पर कर रहे हैं। जो एजेंसियां इसमें इनवाल्व हैं हमने उनसे कह दिया है कि जनवरी से पहले-पहले 236 किमी. फैंसिंग पंजाब और राजस्थान के बार्डर तक कम्पलीट होनी चाहिए। इसी तरह से हमने 207 किमी. फल्ड लाईटिंग का इन्तजाम किया है।

[अनुवाद]

सीमाओं पर यह फैंसिंग काफी प्रभावी होगी।

[हिन्दी]

इसलिए पूरे पंजाब बार्डर पर फैंसिंग करना चाहते हैं। ऐसे ही इम्पलायमेन्ट का सवाल है।

यह बात सही है कि जितने भी जवान हैं चाहे गुरदासपुर, अमृतसर या फिरोजपुर हैं और जितने भी जवान आतंकवाद में जाते हैं उनमें से अक्सर लोगों को एम्पालायमेंट मिले।

जो गन पाउडर आतंकवाद के लिए है, वह नहीं हो सकता। प्रधानमन्त्री जी ने पंजाब में जाकर घोषणा की कि एक लाख जवानों को इस साल रोजगार मुहैया किया जायेगा। उसके लिए केन्द्र सरकार ने एक सौ करोड़ के करीब पंजाब सरकार के डिसपोजल पर रखे हैं। जो सैक्टर वाइज ब्रेक अप है वह बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

वेतन रोजगार उद्योग क्षेत्र	—	30,000
औद्योगिक क्षेत्र में स्व-रोजगार	—	20,000
व्यापारिक और सेना क्षेत्र में स्व-रोजगार	—	10,000
परिवहन क्षेत्र में रोजगार	—	10,000
डेयरी	—	20,000
मुर्गी-पालन	—	5,000

[हिन्दी]

उसके अलावा दस हजार के करीब राज्य सरकार ने टास्क फोर्स बनाने के काम पर किए हैं। उसी पर काम हो रहा है। जब तक वे ट्रेनिंग करेंगे तो उनको एक साल तक पूरा मुआवजा और तन्ख्वाह मिलेगी। इसके अलावा हमने यह फैसला किया है कि सेन्ट्रल फोर्स में कम से कम बी. एस. एफ. की दस बटालियन, तीन डिस्ट्रीक्ट्स में उनको रिक्रूट करेंगे। यह एक एम्पलायमेंट का सवाल है। इसी तरह डिस्ट्रीक्ट्स लेवल पर पंजाब में जो प्लान अलोकेशन इस साल था तो दो सौ, सात सौ और नौ सौ करोड़ हमने दिए। राज्य सरकार ने जिलों के लिए डिस्ट्रीक्ट डवलपमेंट बोर्ड के सामने उनके लिए 255 करोड़ रखे हैं। 255 करोड़ डिप्टी कमिश्नर्स के डिस्पोजल पर होगा ताकि वे पंचायत के जरिये से इस पर खर्च करें। खुशी की बात है कि पिछले साल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पंजाब में 49.86 लाख मीट्रिक टन व्हीट और राइस का था। इस साल वह टारगेट एक्सीड कर रहा है। इसके अलावा पंजाब में इस साल पांच और शुगर मिल खोलने की राज्य सरकार को सैंक्शन दी है। उसके लिए वे जगह देख रहे हैं। इन्डस्ट्रीज में भी इस साल हमने राज्य की सारी स्कीप क्लीयर की हैं। उसमें भी इन्डस्ट्रीयल सैक्टर में काफी काम करने का है। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनमें से 150 के करीब इन्वैस्टमेंट किया जायेगा।···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : परामर्शदात्री समिति गठित करने के बारे में आपका क्या विचार है। एक संसदीय समिति भी गठित की गई थी।

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। इसमें यह है कि जो ब्युरोक्रेसी यानी अफसरशाही होती है और काश्मीर के बारे में सोज साहब प्राईवेटली बात कर रहे थे और मुझे सक्सेना जी के बारे में बता रहे थे।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं केवल आधा मिनट लूंगा, क्योंकि उन्हें गलतफहमी हो गई है। मैंने संवाददाता-सम्मेलन में कहा था कि श्री सक्सेना की सोच श्री जगमोहन से भिन्न है लेकिन उनके सलाहकार उन्हें क्रियान्वित नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि ये सलाहकार श्री जगमोहन द्वारा नियुक्त किए गए थे। श्री सक्सेना को अपनी सोच क्रियान्वित नहीं करने दी जा रही है। आप उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और मुख्य सचिव को हटाएं। मैंने निजी तौर पर जो कहा था, उसे ही सार्वजनिक तौर पर भी कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जहां अकाउन्टेबिलिटी नहीं है और जहां कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, जैसा काश्मीर में है और अफसरों के हाथ में वहां का राज है। उनके पास कोई अकाउन्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए उसका असर उतना ज्यादा नहीं है। अगर पीपल्स पार्टिसिपेशन या पोलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेशन होता है और जहां प्रेजीडेंट रूल हो और जहां पीपल्स रिप्रजन्टेशन नहीं हो।

अगर कोई इन्स्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हो जाये जिसमें अकाउंटीबिलिटी हो तो फर्क हो सकता है। इसलिए जब तक कश्मीर में चुनाव में नहीं होते वहां भी ऐसा कोई तरीका सोचना होगा कोई हल निकालना होगा। हम अधिकारी लोगों को ताकत देते हैं तो मुमकिन है कि वह ताकत देश के हित में इस्तेमाल होती है, लेकिन कहीं-कहीं उसके कारण ज्यादती हो जाती है, उसकी कोई अकाउन्टीब्लिटी नहीं, जैसा अभी बिमल कौर जी ने शिकायत के स्वर में कहा कि उसी अफसर से कहना है जो फैसला करने वाला है इसलिए वह कोई एक्शन नहीं ले सकता। ऐसे ही कुछ साथियों को पार्टियों को।

श्रीमती बिमल कौर खालसा : नौकरशाही कैसे काम करती है उसके लिए आप क्या एक्शन लेंगे यह मैं जानना चाहती हूं।

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : उन्होंने अशान्त क्षेत्र अधिनियम और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम में दमनकारी शक्तियां मुहैया कराई हैं। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत : क्या आप राज्य से चुने गए संसद-सदस्यों को शामिल नहीं कर सकते हैं। उन्हें सक्रिय रूप से शामिल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जब तक पंजाब में चुनाव नहीं होते तब तक राज्यपाल के स्तर पर, राज्य स्तर पर एडवाइजरी कमेटी हो जिसमें पंजाब के सांसद हों और दूसरे दलों के लोग हों। यह एडवाइजरी कौंसिल एक डेकोरेटिव पीस की तरह से नहीं होगी, बल्कि यह अण्डरस्टेंडिंग हो कि कौंसिल का जो फैसला होगा उसको वहा की सरकार को, वहां के गवर्नर को अमल में लाना होगा। ताकि एक एकाउन्टीब्लिटी हो जाये। वहां पर 15 साल से जिला स्तर पर पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं। कुछ लोगों का खयाल है कि वहां के लोग पंचायतों के या अन्य निकायों के चुनाव नहीं चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। जितने हमारे संसद के सदस्य आये हैं

पंजाब से पिछले चुनाव में किसी ने भी इस सदन की सदस्यता से त्याग पत्र नहीं दिया है। ये लोग देश की तरक्की में हिस्सा लेना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं।

[अनुवाद]

पंजाब में पूरे तौर पर लोकतन्त्र लाएं।

[हिन्दी]

विधान सभा के चुनाव करा लिये जायें, जिलों के चुनाव करा लिये जायें, म्यूनिसिपेलिटी के चुनाव करा लिये जायें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस डवलपमेंट प्रोसेस में शरीक हो सकें। जिला स्तर पर भी ऐसी कमेटीज बनाई जायेंगी जो जिलों के कार्य देखेंगी। जितनी देर तक राष्ट्रपति शासन रहेगा उतनी देर तक वह काउन्टर प्रोडक्टिव होगा। कुछ लोगों का खयाल है कि पंजाब में ऐसे हालात हैं कि अगर चुनाव हो जायेंगे तो ऐसे लोग आ जायेंगे जो देशद्रोही होंगे।

[अनुवाद]

श्री ए. के. राय : हम यह जानना चाहते हैं कि आपने पिछली बार समय बढ़ाए जाने के बाद से अब तक क्या किया। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : कुछ लोगों का ऐसा खयाल है। लेकिन हम ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पंजाब में रहने वाला एक आम इनसान जो सिख या हिन्दू हो वह कौमी धारा से अलग नहीं हुआ है अगर उस पर भरोसा नहीं करें तो हो सकता है वह एलिनेट हो, लेकिन हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है सब सदस्यों से कि आज एक ऐतिहासिक मौका है हमारे लिये हम आज यह पलिज लें और आज की बार सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जायेगा। इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है, जैसा किसी ने अभी कहा कि जनता दल क्या कर रही है, इसमें केवल जनता दल का सवाल नहीं है, यह सारे देश के सामने एक राष्ट्रीय प्रश्न है, जहां देश की अखण्डता को एक चुनौती है उसमें सभी दलों को मिलकर वहां के लोगों के साथ सहयोग करना चाहिए। 1989 के चुनावों में क्या हुआ, मैं बताता हूं मान पार्टी को वहां 30 फीसदी वोट मिले, कांग्रेस पार्टी को 29 फीसदी मिले, जनता दल के भी उम्मीदवार जीते। जो कहते हैं कि वहां बन्दूक की नोक पर वोट लिये गये तो कांग्रेस के चौधरी जी और मिसेज मिण्डर कैसे जीतीं। ऐसी बात नहीं है कि बन्दूक की नोक पर चुनाव हुआ और आइन्दा भी होगा। अगर सारी फोर्सेज इक्ट्ठी हो जायेंगी तो पंजाब में अच्छा माहौल न बन सकता है। तो मेरी यही इलतजा है सब मैम्बरों से कि यह जो संविधान का संशोधन आया है, इसको सारे लोग अपना को-आप्रेशन दें और अपना वोट देकर पास करें।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : एक स्पष्टीकरण जरूरी है। यदि देश के लोगों को इसको ताईद करना है ··(**व्यवधान**) प्रधानमन्त्री के द्वारा अखबारों में आ गया है कि आज सदन में प्रधानमन्त्री आश्वस्त करते हैं कि इस अवस्था में या अगले 6 महीने में माकूल हालात पैदा करके चुनाव करा लिये जायेंगे तो पंजाब में पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और विधानसभा

सभी के लिए चुनाव एक साथ होंगे। यह सदन में प्रधानमन्त्री आश्वासन दें।

श्री कृपाल सिंह : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहता।

3.22 म. प.

इस समय श्री कृपाल सिंह सभा-भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अतः इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें खाली कर दी जायें—

अब दीर्घायें खाली हो गई हैं।

प्रस्ताव रखने से पूर्व मैं सदस्यों की सुविधा के लिए यह बताना चाहता हूं कि सभा में मतदान किस प्रकार होगा।

मेरा प्रत्येक सदस्य से अनुरोध है कि वह अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठें। प्रत्येक सदस्य से अनुरोध है कि वह 'पक्ष' में 'विपक्ष' में अथवा 'अनुपस्थित' जैसा भी मामला हो, सही मत डालने की ओर विशेष ध्यान दें, ताकि उसमें सुधार करने की कोई आवश्यकता न रहे।

मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा "अब मतदान होगा" की घोषणा करने के साथ जैसे ही स्वचालित मतदान रिकार्डिंग उपस्कर को चालू किया जाएगा, एक घंटी बजेगी, जो सदस्यों के लिए मतदान करने का संकेत होगा, तब प्रत्येक सदस्य को स्विच दबा कर अपनी इच्छानुसार तीन बटनों में से एक बटन अर्थात् 'पक्ष' 'विपक्ष' अथवा 'अनुपस्थित' दबाना होगा। स्विच और बटन को 10 सैकंड बाद दूसरी बार घंटी बजने तक साथ-साथ दबाकर रखना होगा।

इस बारे में सदस्यों से सहयोग का सादर अनुरोध है।

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : इस दल, मोर्चे और सरकार में विभाजन हो गया है। हम चाहते हैं कि यह सरकार सभा में अपना बहुमत साबित करे। हम पहले चरण पर ही मतदान नहीं चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि क्या इस सरकार का बहुमत है, तभी हम सहयोग करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती बिमल कौर खालसा : उपाध्यक्ष जी, मैं पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने के विरोध में हूं और इसीलिए सदन से वाक-आउट करती हूं।

3.28 म० प०

[इस समय श्रीमती बिमल कौर खालसा सभा भवन से बाहर चली गईं]

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कांग्रेस पार्टी तो बुरी तरह बंटी हुई है। वह तो एक विभाजित पार्टी है।

श्री पी. चिदम्बरम : हम विधेयक पर विचार करने के प्रथम चरण में मतदान नहीं करेंगे। अगर उनके पास साधारण बहुमत है तो हम विशेष बहुमत के लिए एक साथ मतदान करेंगे। हम प्रथम चरण में मतदान नहीं करेंगे। हम इस सम्बन्ध में कोई बटन नहीं दबाएंगे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें। अब दीर्घायु खाली कर दी गई है।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

पक्ष में*

मत विभाजन संख्या—एक 3.29 **म. प.**

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र	इन्द्र जीत, श्री
अग्रवाल, श्री जे. पी.	उन्नीकृष्णन, श्री के. पी.
अजित सिंह, श्री	कटारिया, श्री गुलाब चन्द
अमात, श्री डी.	**कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
अर्गल, श्री छविराम	कापसे, प्रो. राम गणेश
अहमद, श्री अनवार	काबडे, डा. वेंकटेश
आचार्य, श्री वसुदेव	कालका दास, श्री

* इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यों ने भी डिवीजन क्लर्कों के माध्यम से पक्ष में अपना मतदान किया :

सर्वश्री शरद यादव, आरिफ मोहम्मद खान, भजमन वेहेरा, नेगा राम, मानधाता सिंह, महेन्द्र सिंह मेवाड़, दिलीप सिंह जूदेव, शिव शरण वर्मा, कैलाश नाथ सिंह यादव, लालबाबू राय, हीरा भाई, निर्मल कान्ति चटर्जी, श्रीमती सुभाषिनी अली, डा. शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, सर्वश्री जनार्दन यादव, करिया मुण्डा, डा. खुशाल परसराम बोपचे, सर्वश्री इन्द्रजीत गुप्त, नानी भट्टाचार्य, रामाश्रय प्रसाद सिंह, हरधन राय, गोपालराव मायकर, गोविन्दराव निकाम, कंकर मुंजारे, हरीश पाल और रामशरण यादव।

** गलती से पक्ष में मत दिया।

कालवी, श्री कल्याण सिंह
कुन्डू, श्री समरेन्द्र
केशरी लाल, श्री
कोटड़िया, श्री मनुभाई
खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल
खनोरिया, श्री डी. डी.
खां, श्री सुखेन्दु
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, श्री संतोष कुमार
गांधी, श्रीमती मेनका
गिरि, श्री सुधीर
*गिरियप्पा, श्री सी. पी. मुदालगि
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्रशेखर, श्री
चांद राम श्री
चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई
चौधरी, श्री दलई
चौधरी, श्री राम प्रसाद
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री प्रभात सिंह
जसवन्त सिंह, श्री
जाटव, श्री थान सिंह
जायनल अबेदिन, श्री
जेना, श्री श्रीकान्त
जोराकर राम, श्री
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
टंडेल, श्री डी. जे.
ठाकुर, श्री गामाजी मंगाजी
डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई
डोम, डा. राम चन्द्र
ढाकणे, श्री बबनराव
तस्लीमुद्दीन, श्री
तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास
तारीफ सिंह, श्री
तिवारी, श्री बृज भूषण
तीरकी, श्री पीयूष
तोपदार, श्री तरित बरण
त्यागी, श्री के. सी.
दण्डवते, प्रो. मधु
दत्त, श्री अमल
दानवे, श्री पुंडलीक हरि
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री भक्त चरण
दासगुप्त, डा. विप्लव
दीक्षित, श्री नरसिंहराव
देशमुख श्री चन्दूभाई
धनखड़, चो. जगदीप
धूमाल, प्रो. प्रेम कुमार
नाईक, श्री राम
नत्थू सिंह, श्री
नायक, श्री नकुल
नीतीश कुमार, श्री
नेगी, श्री सी. एम.
नेहरू, श्री अरुण कुमार
पंवार, श्री हरपाल सिंह

* गलती से पक्ष में मत दिया।

पचरेवाल, श्री गोपाल
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा. ए. के.
पटेल, श्री अर्जुन भाई
पटेल, श्री नटुनाई एम.
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री मगनभाई मणिभाई
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास
पटेल, श्री सोमाभाई
परास्ते, श्री दलपत सिंह
परांजपे, श्री बाबूराव
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री बासवराज
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाणि, श्री रवि नारायण
पाण्डेय, प्रो. यदुनाथ
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री एम. एस.
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेम प्रदीप, श्री

फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फर्नान्डीज, श्री जॉस
बंगाली सिंह, डा.
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बानखेले, श्री किशनराव बाबूराव
बाला, डा. असीम
बीरेन्द्र सिंह, राव
बेग, श्री युसुफ
बैठा, श्री महेन्द्र
बैस, श्री रमेश
ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भाबेय गोबर्द्धन, श्री
भाटिया, श्री राम सेवक
भारतीय, श्री सन्तोष
*भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री बिरधारी लाल
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री सनत कुमार
मक्कासर, श्री शोपत सिंह
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री मंगाराज
मलिक, श्री सत्यपाल
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
महाता, श्री चित्त

* गलती से पक्ष में मत दिया।

महाले, श्री हरि शंकर
मायावती, कुमारी
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बालगोपाल
मिश्र, श्री राज मंगल
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, डा. किरोड़ी लाल
मीणा, श्री नन्दलाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र
मेघवाल, श्री कैलाश
मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र
यादव, डा. एस. पी.
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री बालेश्वर
यादव, श्री मित्रसेन
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि
यादव, श्री राम कृष्ण
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री सूर्य नारायण
यादव, श्री हुकमदेव नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री
युवराज, श्री
रशीद मसूद, श्री
राउतराय, श्री नीलमणि
राघवजी, श्री
राजवीर सिंह, श्री
राजू, श्री भू० विजयकुमार
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राथवा, श्री एन. जे.
राठौर, डा. भगवान दास
राम अवध, श्री
राम धन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राम सिंह, श्री
रामकृष्ण, श्री वाई.
राय, श्री एम. रमन्ना
राय, डा. सुधीर
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री के. राम मोहन
रावत, प्रो. रासा सिंह
लोढा, श्री गुमान मल
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्री एस. सी.
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वेकारिया, श्री एस. एन.
शकीलुर्रहमान, डा.
शाक्य, डा. महादीपक सिंह
शाक्य, श्री राम सिंह

शास्त्री, श्री अनिल
शास्त्री, श्री कपिल देव
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी
शेखड़ा, श्री गोविन्दभाई कानजीभाई
सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद
सरवर हुसैन, श्री
सरोज, श्री सरजू प्रसाद
सहाय, श्री सुबोध कान्त
सान्याल, श्री माणिक
साय, श्री नन्द कुमार
सारण, श्री दौलत राम
सावे, श्री मोरेश्वर
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री अजय
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्रीमती उषा
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री जगन्नाथ
सिंह, श्री तेज नारायण
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री के. मानवेन्द्र
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री सुरेन्द्र
सिंह, श्री सूर्य नारायण
सिंह देव, श्री ए. एच.
सूबेदार, श्री
सैनी, श्री गुरदयाल सिंह
*सोज, प्रो. सैफुद्दीन
सोनकर, श्री कल्पनाथ
हन्नान मोल्लाह, श्री
हर्षवर्धन, श्री
हेत राम, श्री
होटा, श्री भवानी शंकर

विपक्ष में **

श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री राजदेव सिंह
श्री ए. के. राय

* गलती से पक्ष में मत दिया।

* गलती से विपक्ष में मत दिया।

** इसके अतिरिक्त श्री आर. एस. प्रसाद ने डिवीजन क्लर्क के माध्यम से विपक्ष में मतदान किया।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रधानमन्त्री को सभा में साधारण बहुमत प्राप्त नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम : आज उनका नैतिक अधिकार शून्य है। आज देश में उनका नैतिक अधिकार क्या है ? लोगों की हत्या हो रही है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : प्रधानमन्त्री इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया करें। उनकी प्रतिक्रिया क्या है ? मैं सुनना चाहता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : आप साधारण बहुमत लाइए। हम आपको दो-तिहाई बहुमत देंगे।

प्रो. पी. जे. कुरियन : हम दो-तिहाई बहुमत दे सकते हैं। आप साधारण बहुमत लाइए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं कहना चाहता हूं कि सभा कक्ष बन्द रहना चाहिए। सभा कक्ष खुलना नहीं चाहिए। मैं सदस्यों की गिनती करने की मांग करता हूं। सभा-कक्ष बन्द रहना चाहिए। हम इस संबंध में सभा कक्ष की जांच करेंगे। यह बन्द होना चाहिए। किसी को भी अन्दर आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मैं सदस्यों की गिनती करने की मांग करता हूं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आपने कहा था कि "हम सहयोग करेंगे।" अब अन्त में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

डा. बिप्लव दास गुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : यह मूर्खतापूर्ण खेल मत खेलिए। आप क्या प्रमाणित कर रहे हैं ? अभी भी बहुमत है। **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : आपको पर्चियों के बारे में अत्यन्त सावधान रहना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इस समय नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, क्या आप अपने स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मेरी अभी भी यह मांग है कि सदस्यों की गिनती होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री बी. शंकरानन्द (चिक्कोडी) : महोदय, देरी क्यों हो रही है ? कृपया आप परिणाम घोषित कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, क्या आप अपने स्थान ग्रहण करेंगे ?

श्री बी. शंकरानन्द : देरी क्यों हो रही है। वह बाहर क्यों गए हैं। **(व्यवधान)** उपाध्यक्ष महोदय, इतनी अधिक देरी क्यों हो रही है ? **(व्यवधान)**

मैं इस सभा में 20 वर्षों से अधिक समय से हूं। मैंने कभी भी गणना में इतनी अधिक देरी नहीं पाई। इतनी देरी नहीं हो सकती। इससे अनावश्यक सन्देह उत्पन्न होंगे। कृपया सन्देह

उत्पन्न न होने दें। (व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, गिनती करने की मेरी मांग अभी भी है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बी. शंकरानन्द : अब आप क्या देख रहे हैं ?

[अनुवाद]

अनावश्यक ही देरी क्यों हो रही है ? इस कार्य में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है ?

(व्यवधान)

आप देरी क्यों कर रहे हैं ? आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : क्या और स्लिप्स आने का इन्तजार है ? (व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : क्या आप लोग इतने कन्फ्यूज्ड हैं ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

मुझे आपको खेदपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि अनुचित देरी से हमारे दिमाग में सन्देह उत्पन्न हो रहे हैं। इतनी देरी क्यों ? (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : आप परिणाम घोषित कीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियम पढ़ूंगा। इसमें कहा गया है :

"जब सदस्य अपना मत अभिलिखित कर लेंगे तो उसके पश्चात् मत-विभाजन लिपिक 'हां' वाली तथा 'ना' वाली पर्चियां इकट्ठी करेंगे और उन्हें सभा पटल पर लायेंगे जहां पर सभा पटल के निकट बैठे अधिकारियों द्वारा मतों की गणना की जायेगी तथा 'हां' और 'ना' वालों के योग अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

मत-विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा विघोषित किया जायेगा और उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. पी. जे. कुरियन : कहां से आ गयीं स्लिप्स ? ये बाहर से आ गयी है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी. शंकरानन्द : लेकिन आप और कितना समय लेंगे। आप परिणाम घोषित कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें मुझे पर्ची देनी है।

(व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : हम इस पर आपत्ति करते हैं। (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : अब ये पर्चियां कहां से आ गई ?

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : इनके पांच मैम्बर्स वोट नहीं डाल रहे थे। इनके ऊपर दबाव डालकर वोट दिलाया गया है जो एक गलत तरीका है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी : हम आपको इसका एक सीधा सादा समाधान बता सकते हैं। जब आपको परिणाम प्राप्त हो जाएं, तो आप उनके नामों की घोषणा कर दें और सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जायें। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : अन्यथा आपको सदस्यों की गिनती करनी पड़ेगी। केवल यही एक तरीका है। (व्यवधान)

प्रो. पी जे. कुरियन : हमें पर्चियों के बारे में भारी सन्देह है। हमें लगता है कि कुछ पर्चियां बाहर से आयी हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं कि उन पर्चियों के नाम डिवीजन संख्या सहित बोलिए। हम इसे केवल तब ही स्वीकार करेंगे। (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : क्या मैं विपक्ष के सदस्यों विशेषत: विपक्ष के नेता समेत समूची सभा से कुछ विनम्र निवेदन कर सकता हूं। हमारे सामने गम्भीर संकट है। इन्द्रजीत जी के अनुसार हमें आज सुबह यह आश्वासन दिया गया था कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाएगा। मैं श्री चिदम्बरम द्वारा दिए गये वक्तव्य से यह समझ सकता हूं कि हमें सभा में अपना बहुमत प्रदर्शित करना चाहिए हम ऐसा नहीं कर पाए हैं।... (व्यवधान) ...आपने राजनैतिक रूप से हमारे विरुद्ध प्वाइन्ट बना लिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे विरुद्ध प्वान्ट बनाने के लिए पूरे देश को कठिनाई में मत डालिए। मेरा इस सभा और उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिसके द्वारा यह विधेयक पारित हो। आपने सभा और पूरे देश को जो कुछ बताने का प्रयास किया है उसमें आप अपने तरीके से सफल हुए हैं... (व्यवधान) ... मेरा आपसे अनुरोध है कि विधेयक को सर्वसम्मत रूप से पारित कराने में विपक्ष का सहयोग लिया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि ऐसा कुछ न कुछ किया जाएगा।

श्री कमल चौधरी : इस देश के लिए संकट किसने पैदा किया है ?

श्री राजीव गांधी (अमेठी) : उपाध्यक्ष महोदय, हम पंजाब के बारे में इस मतदान द्वारा पैदा की गयी समस्या का समाधान ढूंढ़ना चाहते हैं। जब तक हमें संख्या के परिणाम का पता नहीं चलेगा तब तक मैं मतदान के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम कोई गैर जिम्मेदाराना कार्य नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें चुनाव कराने चाहिए, यह सब क्यों है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कांग्रेस (आई) के सदस्यों द्वारा अपनाए गये दृष्टिकोण के फलस्वरूप यदि चुनाव की ही बात है, तो हम उसके लिए तैयार हैं।

श्री राजीव गांधी : प्रश्न पंजाब मे चुनाव कराने का नहीं है, प्रश्न इस सरकार की विश्वसनीयता का है। (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं एक वाक्य और कहना चाहता हूं। (**व्यवधान**) श्री चिदम्बरम् ने 'सनारू' दल के 'बहुमत' के बारे में प्रश्न उठाया है। महोदय, यदि वह हमारे बहुमत की जांच करना चाहते हैं तो अविश्वास का प्रस्ताव लायें हम अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। सुबह उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। आपने सुबह आश्वासन दिया है; आप हमें अपनी ईमानदारी से जबाव दीजिए। हम एक निश्च्छल जबाब चाहते हैं। (**व्यवधान**)

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : महोदय, मतदान से दो मिनट पहले मैं विपक्ष के नेता और मुख्य सचेतक से मिला था। दोनों ने मुझे इस कार्य में अपने दलों का समथन देने का आश्वासन दिया था। परन्तु अब वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :—

पक्ष में : 249

विपक्ष में : 3

"प्रस्ताव लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 157 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार पारित नहीं हुआ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

———

श्री राजीव गांधी : महोदय, दो तिहाई बहुमत दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। साधारण बहुमत प्रदर्शित करना तो सरकार की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हमारी यह आशंका आज सच हुई है कि यह सरकार इस सभा में बिना बहुमत के ही चल रही है। महोदय, वे इस सभा में साधारण बहुमत भी नहीं दिखा पाए हैं। हमारे समक्ष संवैधानिक संकट है। हम आज भी पंजाब की समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्या किया जाए। हम सरकार की इस बात से सहमत हैं कि सरकार पंजाब में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकती है। हम यहां यह पता करने का प्रयास करें कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करते हैं। श्री शंकरानन्द ..

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब सरकार का बहुमत ही नहीं है तो क्या हम सभा की कार्यवाही जारी रख सकते हैं ? सभा अभी स्थगित कर दी जानी चाहिए। ऐसे में सभा का कोई कार्य नहीं हो सकता है। **(व्यवधान)** आज देश में कोई सरकार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि जिस सरकार के पास बहुमत ही न हो तो क्या उसकार को काम करने का अधिकार है या बने रहने का ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शंकरानन्द···

(व्यवधान)

4.00 म० प०

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सलेम) : अब कोई सरकार नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। ये लोग हल्ला-गुल्ला करके मेरे प्वायंट ऑफ आर्डर को नहीं दबा सकते हैं। **(व्यवधान)**

संवैधानिक रूप से यह सरकार अपनी मेजॉरिटी नहीं पा सकी है और ऐसी हालत में जब इस सरकार के पास बहुमत है ही नहीं तो श्री वी. पी. सिंह को और उनकी मंत्रिपरिषद् को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अब यह सरकार नहीं है। **(व्यवधान)**

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि संविधान और लोकतन्त्र के नाम पर आप मेहरबानी करके सदन को एडजर्न करें और इसे एडजर्न करने के बाद संविधान-विदों को बुलाकर परामर्श किया जाना चाहिये क्योंकि इस सरकार के पास अब बहुमत नहीं है और इसको एक पल भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। हम इसे सरकार मानने से इनकार कर रहे है। आप कृपा करके अपनी राय देने का कष्ट करें। **(व्यवधान)**

4.02 म. प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री पी. आर. कुमारमंगलम् : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान (संशोधन) विधेयक पर मतदान हुआ था। सरकार साधारण बहुमत भी सिद्ध नहीं कर पायी। उन्हें उपयुक्त समर्थन प्राप्त नहीं है।

संवैधानिक तौर पर वे सरकार नहीं चला सकते हैं ··(**व्यवधान**) ·· उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिये। सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती है।···(**व्यवधान**)। वह इस सभा में नहीं रह सकते। सभा की कोई कार्यवाही नहीं हो सकती ··(**व्यवधान**) ·· सभा की कार्यवाही तुरन्त स्थगित होनी चाहिये या प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिये ··(**व्यवधान**) उनके पास इतना बहुमत नहीं है कि वे लोकतांत्रिक आधार पर सत्ता में रहने का दावा कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सभा को तुरंत स्थगित करें और वर्तमान संकट को दूर करें। आप उन्हें त्यागपत्र देने के लिए कहें। ·(**व्यवधान**) आप इतने भयभीत क्यों हैं? आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। आप अपने पद पर क्यों बने बैठे हैं। (**व्यवधान**)

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है और मैं जो निवेदन करने जा रहा हूं वह माननीय प्रधानमंत्री और साथ ही विपक्ष के माननीय नेता से भी है। मेरे माननीय और अच्छे मित्र श्री चन्द्रशेखर ने पहले ही इस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। जिस राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा होनी थी, उस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : गुमराह करके।

श्री जसवन्त सिंह : यह चाहे जो भी हो। (**व्यवधान**)

विपक्ष के माननीय नेता द्वारा व्यक्त विचार से मैं सहमत हूं। हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है। मेरे विचार से यह मुद्दा पंजाब के संदर्भ में नहीं है। मैं नहीं समझता कि हम अपनी राजनीतिक खींचतानी में पंजाब को अथवा राष्ट्रीय एकता को या इनमें से किसी भी पहलू को खतरा पहुंचाएंगे। मुझे थोड़े में ही अपनी बात कहनी है।

इसी सत्र के दौरान फिर से इस संविधान संशोधन को प्रस्तुत करने में कठिनाई है। यदि सभा सर्वसम्मति से उस विशेष नियम को रद्द करने का निश्चय करती है जिसके कारण इस संविधान संशोधन पर पुनर्विचार नहीं किया जा रहा जिसे सभा ने स्वीकार नहीं किया है तब उस पर फिर से इसी सत्र में विचार किया जा सकता है। आपके माध्यम से मैं, माननीय प्रधानमन्त्री और विपक्ष के माननीय नेता तथा आपसे भी निवेदन करता हूं कि सदन को 15-20 मिनट के लिये स्थगित कर दिया जाए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दौरान इस नियम को रद्द करने के संबंध में कोई रास्ता निकाल लेंगे और कोई रास्ता निकाल लेंगे। सहमत हो जाएंगे।

यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जो खतरे में है · (**व्यवधान**) और उसके लिये, मैं निवेदन करता हूं कि इस मामले को लेकर एक-दूसरे के समक्ष राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। मेरा निवेदन है कि आप एक घंटे के लिए सदन को स्थगित कर दें। हम इसके लिए कोई रास्ता निकालें और वह उपाय बहुत ही सरल है। सभा इस नियम को रद्द कर सकती है और इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं इसलिये बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं चूंकि आप यहां आ गए हैं। आज सुबह आप अपने चैम्बर में थे और वहां आपके द्वारा सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई गई थी। वे वहां थे और आप जानते ही हैं कि एक लम्बी चर्चा के बाद बैठक में यह सहमति हुई—जिसके आप गवाह हैं—यदि मैं कुछ गलत कहूं तो कृपया उसे सुधार देंगे—कि इस संविधान संशोधन को पारित करने के लिये सभी सहयोग देंगे। (**व्यवधान**) उस आश्वासन

को विपक्ष के नेता ने सभा में दुहराया है। (व्यवधान) ये लोग इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के नेता अपनी बात कहेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा यह कहना है कि इन आश्वासनों को आपके चैम्बर तथा सभा में देने के बाद विपक्षी दल उसके नेता जो भी कर रहे हैं, वह परस्पर विरोधी है। क्या यही तरीका है संसद के साथ व्यवहार करने का? उनकी देश के प्रति इतनी ही चिंता है। उनके आश्वासनों का यही अर्थ है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : जान-बूझकर हमें गुमराह किया गया। यह राजनीतिक अनैतिकता है। वे देश को गुमराह कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने जो आपके चैम्बर में और यहां जो आश्वासन दिया है और अब वे मतदान में भाग नहीं लेंगे, तो क्या यह उन द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप है? क्या यह गुमराह करने वाली बात नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे क्या प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या वे इस तरह देश के साथ व्यवहार कर सकते हैं और देश से खिलवाड़ कर सकते हैं? वे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। राष्ट्र को पता चलना चाहिये कि उन्होंने क्या किया है।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, बैठक में क्या हुआ यह मैं बता रहा हूं और तब हमारे दल के नेता बोलेंगे चूंकि उस समय वे वहां नहीं थे।

उस बैठक में मैं अपने दल की ओर से सम्मिलित हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं जहां तक संविधान (संशोधन) विधेयक को पारित करने का सम्बन्ध है, यह कहा गया था कि देश की वर्तमान स्थिति पर हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। आपने कहा था कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद, इसे आपके द्वारा निश्चित किये गये समय पर रखा जाएगा। तब हमने यह सुझाव दिया कि इसे 2.30 बजे (म. प.) रखा जाए। यह सुझाव दिया गया था कि जब हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा, तब हम इस विधेयक के पारित होने में सहयोग करेंगे। हमने यही कहा था और उसे अब भी दोहराते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह तो हाऊस में हुआ, साठे साहब।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : महोदय, चैम्बर में भी मैंने और प्रो. कुरियन ने वादा किया था कि हम इस संविधान (संशोधन) विधेयक को पारित करने में सहयोग देंगे। हमने यह कभी भी नहीं कहा है कि सरकार को साधारण बहुमत जुटाने में भी सहयोग देंगे। यदि यह सरकार साधारण बहुमत

भी जुटा पाने में असमर्थ है तो इसे शासन करने का कोई अधिकार नहीं है और इसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिये। यह मेरा निवेदन है। इसलिये श्री इन्द्रजीत गुप्त का यह कहना पूर्णत: गलत है कि हमने किसी को भी गुमराह किया है या सरकार का सहयोग नहीं किया है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, आपको हमारी बात भी सुननी चाहिए।

महोदय, मैं नहीं जानता कि श्री चिदम्बरम ने प्रथम वाचन में मतदान नहीं करने का प्रश्न क्यों उठाया। यह स्पष्ट है कि अभी इस पक्ष के पास बहुमत नहीं हो सकता लेकिन, इसके परीक्षण के लिए यह उपयुक्त अवसर नहीं है। हम पंजाब के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं कि वहां चुनाव हो सकता है या नहीं। क्या वे चुनाव के लिए तैयार हैं ? मैं समझता हूं कि हम लोग चुनाव कराने पर सहमत हो जाएंगे। विपक्ष के नेता यह कहें कि "हम वहां चुनाव कराने के विरुद्ध नहीं हैं।" वे देश को दाव पर लगाना चाहते हैं। वे अपने वायदों से पीछे हट गए हैं। उनमें यह नैतिक साहस हो कि वह कहें कि वे चुनाव कराना चाहते हैं। लेकिन, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्हें बताना चाहिए कि उनका इस बारे में क्या रवैया है, मैं नहीं चाहता कि उन्होंने यह दोहरी नीति क्यों अपनाई है। आपको यहां और बाहर भी इसका उत्तर देना होगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब श्री राजीव गांधी बोलें।

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी : थोड़ा खामोश हों तो मैं बोलूं।

अध्यक्ष महोदय : खामोश रहेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह, आपके कमरे में और बाद में फिर सदन में बैठक हुई थी। मैंने कहा था, कांग्रेस इस विधेयक के साथ सहयोग करेगी। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस तरीके से ? **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : महोदय, यह हमारी जिम्मेवारी है, मुख्य विपक्षी दल के रूप में हमने अपना सहयोग देने का वादा किया था ताकि संविधान (संशोधन) विधेयक दो-तिहाई से हार न जाए। यह हमारी जिम्मेवारी नहीं है ·· **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, यह सुनिश्चित करना विपक्षी दलों की जिम्मेवारी नहीं है कि सरकार के पास सामान्य बहुमत हो, कि सदस्यों की आधी संख्या उपस्थित हो, यह सत्तारूढ़ दल और इसके समर्थन दलों की जिम्मेवारी है। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस दल गैर-जिम्मेदार नहीं है, ये तो जनता दल, भाजपा, भारतीय मार्क्सवादी दल और विपक्षी दलों ने अपने सदस्यों को सदन में न लाकर गैर-जिम्मेदाराना हरकत की है ··

श्री बसुदेव आचार्य : आपने यह उस समय क्यों नहीं कहा ? **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : महोदय, दो मुद्दे हैं। महोदय, पहला मुद्दा है कि चुनाव या राष्ट्रपति

शासन को आगे बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में क्या करना है ? पहले, जब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे तो मैंने कहा था कि हम सरकार के साथ मिलकर एक समाधान खोज निकालने के लिए तैयार हैं। मैं सरकार की स्थिति से परिचित हूं कि सरकार ·· **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : आपने सदन को दिग्भ्रमित किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जिस तरह से आपने जसवन्त जी को सुना है, उसी तरह से राजीव जी को भी सुनिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : महोदय, आज दो प्रश्न उठाए गए हैं।

एक यह कि पंजाब में क्या किया जाना है। हम सरकार के साथ मिलकर चर्चा करने को तैयार हैं कि क्या किया जाना है। हम सरकार की सिफारिशों और सुझावों का स्वागत करते हैं। हम सरकार का पक्ष सुनने की प्रतीक्षा करेंगे।

दूसरा प्रश्न है—यह भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है—इस सरकार के पास क्या अधिकार है और इस सरकार की नैतिक स्थिति क्या है यदि यह सदन में सामान्य बहुमत भी पेश नहीं कर सकती ? यदि सरकार के पास सामान्य बहुमत नहीं है तो क्या किया जा सकता है ? **(व्यवधान)**

प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, विपक्ष के माननीय नेता ने इस सरकार के कायम रहने के अधिकार को चुनौती दी है। यही वह मूलभूत मुद्दा है जो उठाया गया है। उन्होंने दो मुद्दे उठाए हैं। **(व्यवधान)**

शोर मचाकर बहस को दृढ़ता प्रदान नहीं की जा सकती। **(व्यवधान)** उन्होंने दो विषय उठाए हैं : एक पंजाब के सम्बन्ध में, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं; किन्तु हमने उनकी प्रतिक्रिया देखी है, और इस पर विभिन्न सदस्यों का मूल्यांकन भी देखा है। इसका परिणाम यह है कि संविधान संशोधन विधेयक खतरे में है। उनके रचनात्मक समर्थन और आश्वासन का यही परिणाम है, **(व्यवधान)** और मैं जानता हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री यशपाल सिन्हा ने क्या कहा है, वे क्या प्रकाश में लाए हैं, किस विषय पर सुबह सहमति व्यक्त की गई थी, और क्या किया गया है—इस विभिन्नता को काफी स्पष्ट रूप से सामने लाया गया है। देश ही इसका निर्णायक होगा। **(व्यवधान)** फिर भी, क्या वे इसे दिमाग में रखते हैं ? क्या वे पीछे हटना चाहते हैं ? **(व्यवधान)**

ठीक है, यदि आप पीछे नहीं हटना चाहते तो इसे सिद्ध करें। आपके मत से मुझे पता चल जाएगा। **(व्यवधान)**

मैं अब अगले विषय पर आ रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। वे अपना भाषण समाप्त नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : आक्सीजन पर कब तक जिन्दा रहोगे। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उसके अगले विषय पर मैं विपक्ष के नेता को चुनौती देना चाहता हूँ; और वहां, मैं चाहता हूं कि विपक्ष का नेता सीधे मुझे सुने। मैं विपक्ष के नेता को चुनौती देता हूँ। (**व्यवधान**) इसी समय, सदन के बीचोंबीच। (**व्यवधान**) कृपया उन्हें चुप रहने को कहें।

[हिन्दी]

[अनुवाद]

अपने लोगों को जरा कंट्रोल कीजिये। मैं उन्हें अभी चुनौती देना चाहता हूं, कि सदन के बीचोंबीच, वे अविश्वास प्रस्ताव पेश करें। हमारे पास बहुमत है और उनके पास अल्पमत है। हमारे 249 सदस्य हैं, और उनके पास तो ·· (**व्यवधान**) इसलिए, इस पर कोई प्रश्न नहीं है। यदि आप चाहें, तो आप अब चुनौती दे सकते हैं, और मतदान करा सकते हैं। आप इससे कतरा क्यों रहे हैं ? (**व्यवधान**) आप इसी समय मतदान करा सकते हैं। (**व्यवधान**)

आप सुबह पीछे हट गए थे। इसलिए, हमने कहा है : अपनी चुनौती से, आप इस समय पीछे हट कर दिखाइए। (**व्यवधान**) मतदान करा लें और देख लें कि सरकार के पास बहुमत है या आपके पास। आइए। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि उनके पास साहस है तो आप अभी करा लें। यदि उनके पास साहस है तो वे चुनौती स्वीकार करें। (**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : मैं प्रधानमन्त्री की दुविधा की प्रशंसा करता हूं। वे कोई भी बहाने बनाएं, किन्तु वे आज इस तथ्य को नहीं छिपा सकते कि इस विशेष सत्र में जो संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए बुलाया गया था, इसमें सरकार और इसके समर्थन दल सामान्य बहुमत प्राप्त कर पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : विपक्ष के नेता क्या सिद्ध करना चाहते हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं विपक्ष के माननीय नेता को बताना चाहता हूं कि यह विश्वास मत का प्रश्न नहीं है। यह उनके द्वारा उनके द्वारा विश्वासघात का प्रश्न है। जहां तक अविश्वास मत का प्रश्न है; वे सदन से इसी समय इसकी परीक्षण कर सकते हैं, और मैं उन्हें इसे पेश करने के लिए चुनौती देता हूं।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : वे दिग्भ्रमित कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : यदि वे हमारा सहयोग चाहते हैं—और हम उनसे बात करेंगे—या वे इसी तरीके से जारी रखना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : विपक्ष के नेता ने यह बात मानी है कि इस सत्र को पंजाब संबंधी संविधान (संशोधन) विधेयक को पारित करने के लिए बुलाया गया है। उनके अनुसार, वे कहते हैं कि पंजाब के चुनाव स्थगित कराने का हमने राजनैतिक निर्णय लिया है। (**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अन्यथा, यह क्या बात थी ? विपक्षी दल के नेता ने सदन में कहा था कि संविधान (संशोधन) विधेयक के पारित किए जाने के सम्बन्ध में आप अपना सहयोग देंगे। इसका अर्थ है वे चाहते हैं कि चुनाव स्थगित कर दिए जाएं। सुबह की सभा में अध्यक्ष महोदय के सामने भी यह कहा गया था। अब वे ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि आज वर्तमान में इस सरकार के पास पचास प्रतिशत समर्थन नहीं है। इसलिए, वे देश के साथ मजाक कर रहे हैं। अब उनके समर्थन का क्या प्रस्ताव है ? आज इसका कुछ संकेत नहीं दिया गया है वे किस प्रकार का सहयोग देंगे। अब वे इस स्थिति को उत्पन्न करके अपने सहयोग का महान प्रस्ताव दे रहे हैं। इस समय, सदन में पेश करने के लिए उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है। देश को यह जानना चाहिए कि यह स्थिति कांग्रेस के बचकाने रवैए के कारण उत्पन्न हुई है (**व्यवधान**) वे देश के साथ मजाक कर रहे हैं। यदि सदन का यह विचार है कि पंजाब में चुनाव स्थगित करा दिए जाने चाहिए, यदि बहुमत का यही विचार है, सदन का यह प्रबल बहुमत है, तो वे आग से खेल रहे हैं; वे देश को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए, हम यह अवश्य स्पष्ट करना चाहेंगे वे यह सिद्ध करें (**व्यवधान**)। उनके पास कोई सुझाव नहीं है। यह जिम्मेवारी सदन पर थोपी जा रही है। (**व्यवधान**)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं फिर सदन के सहयोग के लिए निवेदन करूंगा। यह वास्तव में बड़ी दुःखद स्थिति है। यह हमारे देश की उच्चतम संस्था है। हम आग के साथ खेल रहे हैं। (**व्यवधान**)। हम ऐसा नहीं कर सकते; कुछ भी हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए, यदि वे वास्तव में अविश्वास प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने दें।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : अध्यक्ष जी, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोलें, उससे पहले मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इस गाय को बहुत दुह लिया, इतना मत दुहिए कि इसके थनों में दूध नहीं बल्कि खून निकलने लगे। (**व्यवधान**)

मेरा निवेदन है कि बहुत राजनीति हो गई, इस विषय को लेकर बहुत राजनीति हो गई। जो राजनीतिक पहलू उन्होंने रखा, जो राजनीतिक प्वाइंट प्रतिपक्ष स्कोर करना चाहता था, यह जवाब, हां-ना, और यह कोई कबड्डी की चुनौती नहीं है। (**व्यवधान**)

मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है, कि इस बहस में न जाकर, जो हो गया वह बीत गया। मेरा एक सुझाव है, मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि एक संवैधानिक दिक्कत खड़ी हुई है, उस संवैधानिक दिक्कत को पंजाब के पहलू में, पंजाब के परिप्रेक्ष्य में, पंजाब के संदर्भ में हम आपसी डिबेटिंग का विषय न बनाएं।

आप हाउस को घंटे भर के लिए स्थगित कीजिए। उस दौरान में, मैं प्रधानमन्त्री जी और प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि हाउस का जो रूल इस विषय को इसी सत्र में लेने के लिए हमको बाध्य करता है उसे सस्पैंड किया जाए। एक घंटे बाद हाउस फिर मिले और इस कांस्टीच्यूशन अमैंडमेंट को पास किया जाए। यह मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मतदान में भाग ने लेकर कांग्रेस (इ) ने अप्रत्यक्ष रूप से खालिस्तान तथा पंजाब में आतंकवाद के पक्ष में मत दिया है। अगर अभी भी वे अपनी गलती महसूस कर रहे हैं तो मैं उनसे माफी की मांग नहीं करता अन्यथा उन्हें अपने व्यवहार तथा सभा में अपनी भूमिका के लिए खेद प्रकट करना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (महम) : ऐसे ही एक मुद्दे को साबित करने के लिए इन्होंने पंजाब में खालिस्तान आन्दोलन आरम्भ किया था, उन्हें इस बात पर कोई लज्जा नहीं है। पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए इन्हें ही पूरी तरह से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : इन सब आडम्बरपूर्ण बातों, अपमानजनक शब्दों तथा आरोपों से एक मुद्दे को झुठलाया नहीं जा सकता और वह यह है कि प्रधानमन्त्री तथा विपक्ष के नेता के बीच चार पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। प्रधानमन्त्री अपना दृष्टिकोण प्रस्ताव स्पष्ट नहीं कर पाए। पत्राचार बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। तब एक विशेष सत्र बुलाया गया। जब विशेष सत्र बुलाया गया तो उनके अपने जनता दल के सदस्य उन्हें मंझधार में छोड़ गए। उनकी पार्टी में बगावत की भावना पनप रही है। वह अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाये। उनका हमें किशोर कहने का क्या औचित्य है ? इस सबको दुर्बल आलोचना कहने के लिए मुझे कितना समय लगेगा ? उन्हें दुर्बल कहने के लिए कग्रेस दल को कितना समय लगेगा ?

वास्तविक मुद्दा यह है कि आज जब विक्ष के नेता तथा हम आपसे सहयोग की पेशकश कर रहे हैं, तो उन्हें कोई ठोस प्रस्ताव लाना चाहिए। परन्तु वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनका दल तथा राष्ट्रीय मोर्चा बुरी तरह से विभाजित हैं और उनमें विद्रोह की भावना है। वे कोई भी सुझाव अथवा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकते। अब अगर, प्रधानमन्त्री अपने दल के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को तैयार कर सकते हैं और विश्वास में ले कर कोई प्रस्ताव करते हैं, तो हम उस पर विचार करने को तैयार हैं। उनके अपने सदस्यों ने उन्हें छोड़ा है। हम उन्हें दो-तिहाई बहुमत दिलवाने को तैयार हैं परन्तु वे साधारण बहुमत भी सिद्ध नहीं कर सकते। न अपने सदस्यों ने उन्हें धोखा दिया है। उन्हें उन पर आरोप लगाना चाहिए।

माननीय जसवन्त सिंह जी तथा माननीय चन्द्रशेखर जी ने बड़ी रचनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने स्थिति की वास्तविकता को समझा है। वे हमारा सहयोग चाहते हैं। प्रधानमन्त्री हमको चुनौती दे रहे हैं। विपक्ष के नेता ने उसका उत्तर दिया है। अगर आप हमारा सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रधानमन्त्री को अपने सत्ता के घोड़े से उतर कर नीचे आना होगा। प्रधानमन्त्री यह समझते है कि वे सत्ता के बहुत ऊंचे घोड़े पर आसीन हैं। उन्हें जमीन पर उतर कर हमारा सहयोग मांगना चाहिए और वह उन्हें मिलेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अब वे अपने आपको दोषमुक्त करना चाहते हैं।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य मन्त्री श्री पी. उपेन्द्र : खैर मैं यह नहीं जानता कि विपक्ष के नेता क्या साबित करना चाहते थे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संसद में संविधान संशोधन कांग्रेस(इ) के सहयोग के बिना पारित नहीं करवाया जा सकता और यह सर्व विदित है तथा उन्हें हर बार इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस सभा में ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी

ऐसी ही स्थिति हैं जहां कि हमारे 116 सदस्य तथा कांग्रेस के 180 सदस्य होने के कारण कांग्रेस का बहुमत है। इसलिए जब भी संविधान संशोधन लाने का प्रस्ताव होता है तो हम कांग्रेस पार्टी से मलाह मशविरा करते हैं और केवल सहमति होने की स्थिति में ही हम कोई संशोधन प्रस्तुत करते हैं। इस सभा में सरकारी पक्ष के उनके सहयोगी दलों के सदस्यों सहित 284 सदस्य हैं। हम 273 अथवा 274 सदस्यों को सदन में मतदान के लिए उपस्थित रहने की सीमा को भी जानते है ·· (**व्यवधान**) ऐसा कई बार हुआ है। जब कांग्रेस पार्टी के 400 सदस्य, 350 सदस्य और 450 सदस्य थे, तब भी कई बार संविधान संशोधन विधेयक गिरे हैं। हम सीमाओं को जानते है ·· (**व्यवधान**)। इसीलिए हमने हमेशा संविधान संशोधन विधेयक पारित करवाने के लिए उनका सहयोग मांगा है। यहां कि कि आज भी मैं मतदान के दो मिनट पहले विपक्ष के संदस्यों की पंक्ति में गया क्योंकि मैंने देखा कि एक सचेतक सदस्यों के पास जा कर उनसे कुछ कानाफूसी कर रहे थे। मुझे कुछ शक हुआ था। मैंने मुख्य सचेतक से बातचीत की। हम दोनों को बातचीत करते आपने देखा होगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि विपक्ष ने संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिया है ··(**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : नहीं महोदय, वक्तव्य बिस्कुल गलत है। (**व्यवधान**) आप 'खुला मंच' का संपादन कर सकते हैं।। लोकसभा की कार्यवाही का नहीं (**व्यवधान**)

श्री पी.उपेन्द्र : उसके पश्चात्, विपक्ष के नेता ने मुझे बुलाया और मुझे दिखाया—"यह पर्ची है। आप आश्वस्त रहें कि हम विधेयक के पक्ष में मतदान कर रहे हैं।" ··(**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : यह बिल्कुल गुमराह करने वाला वक्तव्य है। मैंने उन्हें पर्ची दिखाई थी। परन्तु मैंने कहा कुछ नहीं था···(**व्यवधान**)

श्री पी. उपेन्द्र : यह पंजाब में चुनाव का प्रश्न है। अगर वे सहयोग करने को तैयार नहीं, तो सरकार चुनाव करवाने को तैयार है ··(**व्यवधान**)। आज भी हमारे 250 सदस्य उपस्थित हैं। इस तरफ हम बहुमत में हैं और उस तरफ वे अल्पमत में हैं। उन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाने दीजिए और हम किसी भी समय अपना बहुमत सिद्ध करने तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा को 5.30 म. प. पर पुन: समवेत होने तक के लिए करता हूं। मेरा पार्टियों के नेताओं से अनुरोध है कि वे मुझसे मेरे कक्ष में मिलें।

4.47 म. प.

[तत्पश्चात् लोकसभा 5.30 म. प. तक के लिए स्थगित हुई]

5.35 म. प.

[तत्पश्चात् लोकसभा 5.35 म. प. पर पुन: समवेत हुई]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके लिए तथा सभा के लिए मेरे पास एक शुभ समाचार है। माननीय मित्र श्री वसन्त साठे को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के आधार पर अपनी भूख हड़ताल तोड़ने तथा मंडल आयोग की रिपोर्ट के विरोध में प्रस्तावित सत्याग्रह वापिस लेने के लिए मना लिया गया है। इसलिए, मैं इस सभा तथा दूसरे पक्ष के एक नेता को बधाई देता हूं···(**व्यवधान**)

———

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय के विरोध में देश के विभिन्न भागों में छात्रों द्वारा किए गए आंदोलन से निपटने के लिए पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार तथा इस निर्णय के विरोध में छात्रों द्वारा आत्म-दाह किया जाना

—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में कार्य सूची में अगला विषय स्थगन प्रस्ताव है। मुझे इस पक्ष तथा दूसरे पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बताया गया है कि···

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते) : महोदय, अध्यक्षपीठ द्वारा सदन स्थगित किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अलग प्रकार का स्थगन प्रस्ताव था। अब अगर आप दोनों नहीं चाहते हैं, तो हम इस पर चर्चा नहीं करवाते।

———

5.36 म. प.

उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा

हजरत मोहम्मद साहिब के जन्म-दिवस पर 3 अक्तूबर, 1990 को सभा की बैठक रद्द किया जाना

उपाध्यक्ष महोदय : सभा स्थगित करने के पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि बुधवार, 3 अक्तूबर, 1990 के लिए निश्चित की गई लोकसभा की बैठक हजरत मोहम्मद साहिब के जन्म दिवस (मिलाद-उन-नबी) के उपलक्ष में रद्द कर दी गई है, जिसे कि राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर दिया गया है। तदनुसार; उस दिन लोकसभा की कोई बैठक नहीं होगी।

5.37 म. प.

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 4 अक्तूबर, 1990/12 आश्विन 1912 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

———

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स दिल्ली-6